हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 मार्च, 2015

खण्ड 1, अंक 6

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

सोमवार, 16 मार्च, 2015

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(6)18
अनुपस्थिति की अनुमति के संबंध में मामला उठाना	(6)27
सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र	(6)27
विभिन्न मामलों को उठाना	(6)28
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान	(6)30
वैयक्तिक स्पष्टीकरण– स्वास्थ्य मंत्री द्वारा	(6)36
नियम 64 के अधीन वक्तव्य	(6)37
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)	(6)40

मूल्य :

653

कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट	(6)47
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)	(6)49
वैयक्तिक स्पष्टीकरण–	
श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा	(6)80
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)	(6)81
बैठक का समय बढ़ाना	(6)84
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)	(6)85
बैठक का समय बढ़ाना	(6)101
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)	(6)102
वर्ष 2014–2015 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना	(6)104
प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(6)104
वर्ष 2014–2015 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(6)104
विधान कार्य–	
(i) दि हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टैक्नीकल एजूकेशन (अमैंडमैंट एण्ड वैलीडेशन) बिल, 2015	(6)114
(ii) दि हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2015	(6)116
(iii) दि हरियाणा गौवंश संरक्षण एण्ड गौसंवर्धन बिल, 2015	(6)118
बैठक का समय बढ़ाना	(6)121
विधान कार्य (पुनरारम्भण)	
दि हरियाणा गौवंश संरक्षण एण्ड गौसंवर्धन बिल, 2015 (पुनरारम्भण)	(6)121

Vidhan Sabha Secretariat Haryana Chandigarh LIBRARY

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 16 मार्च, 2015

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में दोपहर 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है।

Mining in village Manauli of Rai Constituency

***131. Sh. Jai Tirth Dahiya :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the acreage of land for which contract has been given for sand mining in village Manauli of Rai constituency;

(b) whether environmental clearance was taken from environmental department before giving the contract of the above said land; and

(c) whether the opinion of villagers was also taken?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) श्रीमान् जी, मनौली गांव का क्षेत्र सोनीपत इकाई-3 के खनन ठेके के कुल क्षेत्र 993.10 हैक्टेयर (2482.74 एकड़) का हिस्सा है जिसमें से 713.60 हैक्टेयर (1784 एकड़) क्षेत्र गांव मनौली का है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ति केवल परियोजना प्रस्तावक/ठेकेदार द्वारा खनिज अनुदान/ठेका लेने उपरान्त, परन्तु वास्तविक खनन कार्य शुरू करने से पहले ली जाती है।

(ग) जी हां, श्रीमान, ग्रामवासियों की राए पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ति लेने की प्रक्रिया के दौरान जन सुनाई के समय ली जाती है। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार वास्तविक खनन करने से पहले नियमानुसार भूस्वामियों की सहमति मुआवजा देने के उपरान्त प्राप्त करता है।

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने मनौली गांव के बारे में विशेष रूप से पूछा है कि वहां कितने एकड़ भूमि रेत खनन के अंदर आ रही है। उस गांव की 1784 एकड़ भूमि है जो उत्खनन के अंदर आ रही है। उन्होंने पूछा है कि क्या उसकी पर्यावरण विभाग से क्लीयरैंस ली गई है। पर्यावरण संबंधी अनापत्ति केवल परियोजना प्रस्ताव ठेकेदार द्वारा खनिज अनुदान ठेका लेने के उपरान्त तथा वास्तविक खनन शुरू करने से पहले ली जाती है। तीसरा सवाल है कि क्या खनन के लिए ग्रामवासियों की राय ले ली गई है। जी हाँ, श्रीमान, ग्रामीणों की राय पर्यावरण संबंधी अनापत्ति लेने की प्रक्रिया जनसुनवाई के दौरान ली जाती है। इसके अतिरिक्त ठेकेदार वास्तविक खनन करने से पहले नियमानुसार उचित भू-स्वामियों की राय मुआवजा देने के उपरांत प्राप्त करता है। इस पर जो एतराज आया है उसके लिए हमने कृषि वैज्ञानिकों की कमेटी गठित की है। कृषि वैज्ञानिकों की उस पर जो रिपोर्ट आएगी हम उस पर आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात जब किसी भी जगह खनन करते हैं तो वास्तविक भूमि मालिक की सहमति के बिना खेत में खनन कार्य नहीं करते हैं। यह खेत के मालिक की इच्छा है कि वह अपने खेत में खनन होने दे या न होने दे। इसके अलावा मैं दो बातें और बताना चाहता हूं। जब खनन होता है तो सामान्यत : ऊपर की सोल को उतारकर और बचाकर इकट्ठा रखा जाता है। हालांकि उसको दोबारा रिवाइव होने में कई वर्ष लग जाते हैं। उसके साथ-साथ किसानों की आमदनी एन्युटी के लिए ठेकेदार के साथ उनका समझौता होता है जो खेती के उत्पादन से कहीं अधिक होता है। इस क्षेत्र में किसानों का आर्थिक नुक्सान हो रहा है, यह ठीक है क्योंकि कुछ इलाके महत्वपूर्ण होते हैं। यह क्षेत्र भी सब्जी उगाने वाला इलाका है और इनकी इच्छा के अनुरूप दो वैज्ञानिकों की एक कमेटी गठित की गई है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट तथा किसानों की सहमति के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे।

श्री जयतीर्थ दहिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मनौली खनन में 7 गांवों की जमीन आती है और इन गांवों की जमीन बहुत उपजाऊ है। इन गांवों की जमीन इतनी उपजाऊ है कि इसमें हर वर्ष तीन फसलें होती हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि हम उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं करेंगे। दूसरी तरफ उपजाऊ जमीन को ही खनन माफियाओं को दिया जा रहा है। इस बाबत हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अप्रोच किया था। हमें ज्ञात हुआ है कि अभी तक पर्यावरण संबंधी लोगों के ओपिनियन के बाबत कोई राय नहीं ली गई है। मैं माननीय मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि डी.सी.साहब ने अपनी कोठी पर ठेकेदारों को बुलाकर कहा कि आप कुछ आदमियों को ले आओ और उनके बयान लिख लेते हैं लेकिन हकीकत में किसी भी आदमी से ओपिनियन नहीं ली गई। इस मुद्दे पर 7 गांवों की पंचायत हुई है और वे इस पर विरोध करने के लिए तैयार हैं। क्या इन खनन करने वालों के खिलाफ सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई की जायेगी ताकि यह खनन चलने न दिया जाए, ऐसी मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है। वैसे माननीय मंत्री जी ने डिटेल के साथ जवाब दे दिया है कि किसी किसान की जमीन में जबरदस्ती से खनन न किया जाए। अब देखना यह है कि वह कमेटी अपनी रिपोर्ट किस प्रकार से देती है।

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, हमारे तिगाँव विधान सभा क्षेत्र में लगभग 10 गाँवों में इस प्रकार का रेती का खनन हो रहा है। वे खनन माफिया हरियाणा के न होकर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जो ऐसा खनन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान है कि उन खनन माफिया को रेती के खनन करने से रोका

जाए ताकि हमारे प्रदेश हरियाणा में इस प्रकार का खनन न हो सके। कुछ हरियाणा के लोग भी वहां पर खनन करते हैं जिससे वहां के किसानों को उनकी फसलों का काफी नुक्सान हो रहा है क्योंकि खनन माफिया जबरदस्ती रात के समय खनन करके ले जाते हैं। इस काम में कहीं न कहीं पुलिस की भी मिलीभगत होती हैं। क्या सरकार इस प्रकार के खनन को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है ? इस प्रकार के खनन को रोकने के लिए खनन के लिए सरकारी ठेके दिए जाएं ताकि प्रदेश का रेवेन्यू भी बढ़ सके और इस प्रकार के खनन माफिया को भी रोका जा सके।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत व्यावहारिक और सुन्दर सवाल पूछा है। वास्तव में हमारे प्रदेश में पिछले दिनों जिस तरीके से खनन पर रोक लगी हुई थी उसके कारण पड़ौसी राज्यों के खनन माफिया वैध या अवैध रूप से खनन कर रहे थे जो भिन्न भिन्न रास्तों से राज्य में आ रहे थे। जिसके कारण बिल्डिंग मैटीरियल महंगे हो गये थे। इस कारण से हरियाणा प्रदेश में बहुत से विकास के कार्य रूके हुए थे। इसको ठीक करने के लिए इस रास्ते पर हम आगे बढ रहे हैं कि खनन का कार्य बड़े लोगों के साथ साथ आम नागरिक को भी मिल सके। सोनीपत में तीन बड़े बड़े प्लॉट थे जिन में से दो प्लॉट वालों ने खनन के कार्य के लिए डिनाई कर दिया तो सरकार ने उन दो प्लॉट्स को आगे 14 हिस्सों में बांटकर खनन का कार्य आगे दिया है ताकि सामान्य आदमी भी खनन कार्य में हिस्सा ले सकें। अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट लैवल पर एक टॉस्क फोर्स भी बनाई हुई हैं जो ऐसे मामलों की देखरेख करती हैं। अगर तिगाँव विधान सभा में ऐसा हो रहा है तो विभाग इस बारे में तुरन्त जाँच करवायेगा ताकि अवैध खनन को रोका जा सके और प्रदेश के लोगों का विकास हो सके और बिल्डिंग मैटीरियल भी उपलब्ध हो सके यह सरकार की प्रभावी इच्छा है।

श्री जयतीर्थ दहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक और बात पूछना चाहता हूं कि जो कमेटी माननीय मंत्री जी ने बनाई है उसमें किसानों की तरफ से कोई आब्जैक्शन फाईल किया जायेगा या फिर वह कमेटी ही इस बारे में अपनी रिपोर्ट देगी और वह कमेटी कब तक रिपोर्ट देगी ? माननीय मंत्री जी इस बारे में स्पष्ट करें। लोग खुद जाकर अपने आब्जैक्शन कमेटी के पास देंगे या कमेटी खुद किसानों के पास जाकर आब्जैक्शन कलैक्ट करेगी।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, उस कमेटी ने एक बार तो उस एरिया का दौरा कर लिया है । इसके बावजूद भी उस कमेटी के पास किसान अपनी शिकायत भेज सकते हैं। खनन के कार्य करने के लिए किसान की खुद की सहमति आवश्यक है तभी हम अवैध खनन को रोक सकते हैं। अगर वह अपनी जमीन खनन के लिए नहीं देना चाहता तो वह इसके लिए इन्कार कर सकता है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री जयतीर्थ दहिया ने जो (ग) पार्ट में अपना सवाल पूछा है कि क्या पर्यावरण विभाग से क्लीयरेंस लेने से पहले इस काम के लिए वहां के ग्रामीणों की राय भी ली गई थी या नहीं? After paying compensation for the same as per the rule जो आपने लिखा हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कौन से रूल के तहत किसान को उनकी भूमि का कम्पनसेशन दिया जाता है। इसके लिए सरकार के मापदण्ड क्या हैं ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जयतीर्थ जी ने कमेटी के बारे में पूछा है। इसके बारे में मैं माननीय सदस्य को और इस सदन को बताना चाहता हूं कि पिछले साल

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

17.09.2014 और 24.11.2014 को इस मामले में उस कमेटी ने पब्लिक हियरिंग की हुई है। जैसा कि माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल जी ने पूछा है इसलिए मैं उनको बताना चाहूंगा कि रूल 62(a) के चैप्टर 9 के तहत किसानों से पूछताछ की जाती है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि जो किसान अपनी जमीन दे रहे हैं, उसके बदले में उनको मुआवजा देने के मापदण्ड क्या हैं ? क्या किसानों को कलैक्टर रेट्स दिये जाते हैं ? हो सकता है किसान ज्यादा मुआवजा चाहते हों, जिसके लिए ठेकेदार नहीं मानते हों। वे कलैक्टर रेट्स को मानते हैं अथवा नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि वास्तव में रूल्ज़ क्या हैं ? इसके लिए उपायुक्त या विभाग किसान के साथ जबरदस्ती करेगा या किसान की मर्जी के मुताबिक किसान को मुआवजा दिया जाएगा ? इस बारे में रूल्ज़ क्या कहते हैं ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शायद पहले प्रश्न का उत्तर सुना नहीं है क्योंकि वे थोड़ा देरी से आये थे। माननीय सदस्य श्री जयतीर्थ दहिया जी ने पूछा था तो मैंने प्रारम्भ में ही इसका उत्तर दिया था कि भूमि को किराये के रूप में देने के लिए एक लैण्ड एक्वीज़िशन एक्ट है जिसके तहत वार्षिक एन्युटी 21,000/- रुपये दी जाती है जो सब को दी जाती है। इसके अलावा मैं एक और बात क्लीयर करना चाहता हूं कि जब किसी किसान से खनन के लिए जमीन लेते हैं तो किसान व ठेकेदार की आपसी सहमति से जो तय होता है, उतना मुआवजा किसान को दिया जाता है।

Illegal Passage

***233. Shri Umesh Aggarwal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the illegal passage has been made available to the Hotel Pullman situated at Mehrauli Gurgaon road, Sector 26 by the officers of HUDA by demolishing the BPL houses during the year 2012-13;

(b) if so, the reasons and circumstances under which the said passage has been developed togetherwith the name of Deptt. and name of officers who were competent to grant the permission for said illegal passage; and

(c) whether any irregularities have been committed by granting the said permission?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) राजस्व रिकार्ड के अनुसार, वर्ष 2004 में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति देते समय होटल पुलमैन के स्थल को 33 फुट चौड़े

गैरमुमकिन रास्ते से पहुंच उपलब्ध थी। हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के अनुभाग 265 के अन्तर्गत तत्कालीन आयुक्त, नगर निगम, गुड़गांव ने दिनांक 5 फरवरी, 2014 को यह कारण बताते हुए कि यह घर सुरक्षित नहीं है, इन घरों को गिराने के आदेश जारी किये।

(ख)&(ग)नगर निगम, गुड़गांव द्वारा तत्कालीन आयुक्त, नगर निगम के आदेश अनुसार रास्ते को चौड़ा करते हुए विकसित किया गया।

श्री उमेश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में 2-3 बातें पूछी थी। पहली बात तो मेरी यह थी कि क्या सैक्टर-26 स्थित होटल पुलमैन का सी.एल.यू. हुआ था ? उस में 33 फुट चौड़े रास्ते का जिक्र किया गया था जिसके बारे में सरकार द्वारा यह जवाब दिया गया है कि इस होटल के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं था। इस शर्त के साथ यह सी.एल.यू. दिया गया था कि बाद में पंचायत की जमींन से ये रास्ते ले लेंगे और H.U.D.A. द्वारा सड़क बनाकर वहां से भी इनको रास्ता दिया जायेगा लेकिन जब इस होटल के लिए सी.एल.यू. दिया गया था तो उस वक्त वहां पर रास्ता उपलब्ध नहीं था। मेरे प्रश्न ख और ग के संबंध में भी मैं पूछना चाहूंगा कि क्या परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से नया रास्ता विकसित किया गया तथा पंचायत की जमींन में से इस होटल को नया रास्ता दिया गया ? वहां पर कुछ बी.पी.एल. परिवार भी रहते थे, जिनको सरकार द्वारा प्लॉट अलॉट किये गये थे। उनके मकानों को तोड़कर बीच में से रास्ता दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में न तो यह बताया कि किन परिस्थितियों में इस होटल को यह रास्ता उपलब्ध करवाया गया, न यह बताया कि क्या अनियमिततायें हुई तथा न ही बताया कि सी.एल.यू. देते समय वहां पर रास्ता था अथवा नहीं, उस बारे में भी दो अलग-अलग बातें कहीं गई हैं तथा किन अधिकारियों की इस मामले में सक्षमता थी ? किस अधिकारी ने यह कार्य किया तथा किन परिस्थितियों में किया ? इनमें से माननीय मंत्री महोदय ने किसी भी बात का ठीक ढंग से जवाब नहीं दिया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।

श्री अनिल विज : माननीय विधायक श्री अग्रवाल जी कह रहे हैं कि इस होटल के लिए जो रास्ता दिया गया है वह संदेहास्पद है। इन्होंने ठीक कहा है कि वहां पर 33 फुट रास्ता था। वहां पर 6 घर भी बने हुए थे। घरों को अनसेफ डिक्लेयर करने की बाकायदा एक प्रक्रिया होती है। लेकिन जिस दिन कमिशनर साहब ने वहां पर विजिट किया था, उसी दिन उनको अनसेफ डिक्लेयर करवा दिया गया था और उसी दिन उन घरों को गिरवाने के आदेश भी जारी कर दिये गये थे। 6 घर वहां इंदिरा आवास योजना के तहत बने हुए थे । इनमें से 3 घर तो पहले से ही गिरे हुए थे तथा बाकी घरों को गिराकर उस 33 फुट के रास्ते को चौड़ा करके 45 फुट का रास्ता बनाया गया था।

श्री उमेश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि वहां पर इंदिरा आवास योजना के तहत छोटे-छोटे मकान बने हुए थे। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इंदिरा आवास योजना के तहत जो मकान बने हुए थे वे निश्चित रूप से सिंगल स्टोरी के ही होंगे तथा छोटे-छोटे मकान ही होंगे, उनमें कितने असुरक्षित मकान थे, क्या वहां पर कोई बिल्डिंग गिरने वाली थी तथा वहां पर क्या कार्य होने वाला था ? अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने बताया कि इसमें अनियमितता बरती गई है और एक दिन में ही सारे काम कर दिए गए हैं और हजारों करोड़ों रुपये की लागत से फाइव स्टार होटल को लाभ पहुंचाने के लिए निगमायुक्त की तरफ

[श्री उमेश अग्रवाल]
से एक तरफा कार्यवाही की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिस अधिकारी द्वारा यह एकतरफा कार्यवाही की गई है क्या उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है या सरकार भविष्य में कोई कार्यवाही करने वाली है ताकि आगे से कोई और अधिकारी इस तरह की कार्यवाही न कर सके।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह जो केस है यह वाकई में ही संदिग्ध केस है और इसकी जांच कराई जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य उमेश अग्रवाल जी और आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार की भ्रष्टाचार की जीरो टोलरैंस की नीति है। इस केस में जो तथ्य फाइल पर उपलब्ध हैं उनसे बिल्कुल यह सिद्ध हो रहा है कि इसमें किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर यह सब प्रक्रिया अपनाई गई है। यदि सदस्य इसकी जांच करवाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि इसकी विजीलैंस जांच करवाई जानी चाहिए ताकि सारे तथ्य सामने आ जाएं।(विघ्न) गुड़गांव में तो इस तरह के बहुत से मुद्दे होंगें इसलिए आप लोग यहां मुद्दे लाते रहिए और हम जांच कराते रहेंगें।

Upgradation of Schools

*122. **Shri Mahipal Dhanda** : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the GMS Diwana, GMS Rajpur and GHS Soundhapur?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : नहीं, श्रीमान जी।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दिवाना व राजकीय माध्यमिक विद्यालय राजपुर स्तरोन्नति के योग्य नहीं है और राजकीय उच्च विद्यालय सोंधापुर को पहले ही स्तरोन्नत किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दीवाना और राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजपुर और राजकीय उच्च विद्यालय सोंधापुर का दर्जा बढ़ाने के बारे में पूछा है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि राजकीय उच्च विद्यालय, सोंधापुर का दर्जा तो पहले ही बढ़ा दिया गया है। दीवाना और राजपुर के विद्यालयों के बारे में जो इन्होंने पूछा है इसके बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि इनको अपग्रेड करने की अभी कोई प्रपोजल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कई बार सवाल की बजाय उसके पीछे की मंशा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इन विद्यालयों को अपग्रेड किया जाए और इस नाते से ही शायद इन्होंने सवाल पूछा है। अध्यक्ष महोदय, ये दोनों विद्यालय बच्चों की संख्या के हिसाब से और जमीन के हिसाब से तो नार्म्ज पूरे करते हैं लेकिन डिस्टैंस के हिसाब से जो नार्म्ज की बात है उसको ये दोनों स्कूल पूरा नहीं कर रहे हैं इसलिए इस नाते से अभी इन दोनों स्कूलों को अपग्रेड करने की कोई प्रपोजल सरकार की नहीं है।

श्री महिपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राजपुर गांव के आस पास कौन से स्कूल हैं जिनमें 10+2 और दसवीं के बच्चों को एजूकेशन मिल रही है तथा सोंधापुर स्कूल को कब अपग्रेड किया गया था ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, पहले पूरक प्रश्न के बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि दीवाना के आस पास राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिवाह है जोकि 5 किलोमीटर दायरे में है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सिवाह, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, झटीपुर भी दीवाना के आसपास में है। इसी प्रकार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, काबड़ी और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ददलाना ये सभी राजपुर के आस पास पड़ते हैं। केवल सिवाह के कन्या विद्यालय को छोड़कर बाकी विद्यालयों में बच्चों की संख्या जितनी इस लैवल के स्कूलों में होनी चाहिए उतनी नहीं है। गांव के लोगों की अपने यहां के सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करवाने की स्वाभाविक इच्छा रहती है। आज प्राइवेट स्कूलों का महत्व ज्यादा बढ़ रहा है जिस कारण सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या लगातार कम होना एक चिंता का विषय बन गया है। स्कूलों को अपग्रेड करने में स्टाफ के साथ-साथ और बहुत खर्चा होता है इसलिए इस दृष्टि से भी विचार करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने सौंधापुर के बारे में सवाल किया है इस बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि सौंधापुर में 9वीं से 12वीं कक्षा तक पी.जी.टी. के पदों की स्वीकृति करके राजेश, राजेन्द्र और ओमवती नाम के टीचर्स लगा दिए गए हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सौंधापुर के आदेश 30/2/2012 दिनांक 6.8.2013 के तहत यह प्रोविजन कर दिया गया है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी महिपाल ढांडा जी ने सौंधापुर के बारे में सवाल पूछा था जो कि पानीपत हल्के में पड़ता है। इसमें विभाग को समझने में कुछ गलती लगी है और माननीय मंत्री जी ने सोंधापुर के बारे में जवाब दिया है जो कि मेरे हल्के ईसराना में पड़ता है। इसी स्कूल को अपग्रेड करके क्लासिज शुरू कर दी गई हैं लेकिन वहां पोस्टें सैंग्शन नहीं की गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि सौंधापुर स्कूल में पोस्टें कब तक सैंग्शन की जायेंगी ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि स्कूल अपग्रेड किया गया है और निश्चित रूप से प्राध्यापकों की पोस्टें भी सैंग्शन होंगी। जहां तक माननीय सदस्य श्री महिपाल जी के सवाल में महकमें द्वारा गांव का नाम समझने में दिक्कत हुई है उसको दुरूस्त करके जानकारी माननीय सदस्य को बाद में भिजवा दी जायेगी।

श्री महिपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि राजपुर से आसपास के जो दूसरे स्कूलों की दूरी बताई गई है कृपया उसकी दोबारा से जांच करवाई जाए।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, हम इसकी जांच करवा देंगे।

Shortage of Specialist Doctor in General Hospital

***153. Shri Pirthi Singh :** Will the Health Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is great shortage of specialist doctors in the 100 beds General Hospital of Narwana; and

(b) if so, the time by which the shortage of the speicalist doctors in the abovesaid hospital is likely to be met out?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी, सामान्य अस्पताल, नरवाना में हड्डी रोग, नेत्र रोग, कम्युनिटी मैडिसन, बायोकैमिस्ट्री तथा एनेस्थिसिया प्रशिक्षित, छः विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात हैं। फिर भी नई भर्ती द्वारा जब भी विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे तो शेष विशेषज्ञों से संबंधित पदों को भरने के प्रयास किये जायेंगे, जिसके लिये आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने सवाल में पूछा है कि whether it is a fact that there is great shortage of specialist doctors in the 100 beds General Hospital of Narwana इस बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि नरवाना में 100 बैड का नहीं बल्कि 50 बैड का अस्पताल है। अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जहां तक डाक्टर्ज की शोर्टेज की बात की है इस बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि नरवाना के सामान्य अस्पताल में हड्डी रोग, नेत्र रोग, कम्यूनिटी मैडिसन, बायोकैमिस्ट्री तथा एनेस्थिसिया के विशेषज्ञ चिकित्सक इस समय तैनात हैं। इस तरह से वहां 6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात हैं। इसके अतिरिक्त नई भर्ती द्वारा जैसे ही विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध होंगे दूसरी पोस्टें भी भर दी जायेंगी। डाक्टर्ज की भर्ती के लिए आवश्यक कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है।

श्री पिरथी सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सदन में डाक्टर्ज की कमी को दूर करने के लिए जानकारी पहले भी दे चुके हैं कि जल्द ही डाक्टर्ज की कमी को दूर किया जायेगा। नरवाना के सामान्य अस्पताल में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां विशेषज्ञ डाक्टर्ज की बहुत कमी है जिसके कारण मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। नरवाना में विशेषज्ञ डाक्टर्ज की कमी होने के कारण मरीजों को ईलाज करवाने के लिए हिसार, रोहतक, चण्डीगढ़ और दिल्ली तक जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि नरवाना के सामान्य अस्पताल में एक्सरे, अल्ट्रासांउड की मशीनों के प्रबन्ध के साथ साथ विशेषज्ञ डाक्टर्ज की कमी को भी पूरा करवाया जाए। वहां के लोगों को एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भी कैथल तथा जींद जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त नरवाना के सामान्य अस्पताल में 26 नर्सिज की पोस्टें सैंग्शन हैं जिनके अगेंस्ट 12 नर्सें ही कार्यरत हैं। इसी तरह से सफाई कर्मचारियों की 12 पोस्टें सैंग्शन हैं जिनके अगेंस्ट 6 सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से रेडियो-लोजिस्ट की भी पोस्ट खाली है। इन सबकी तरफ ध्यान देकर ये कार्य जल्द से जल्द माननीय मंत्री जी करवायें। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं दूसरी सप्लीमंट्री करना चाहूंगा कि नरवाना हल्के में नाम मात्र का उझाना में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है जहां आस पास के गांवों के लोग ईलाज के लिए आते हैं। जिसकी बिल्डिंग जर्जर हालत में है। वहां पर कमरों के अभाव में कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण एक कमरे में 7-8 कर्मचारियों को बैठना पड़ता है। मरीजों को अपनी बीमारी के साथ-साथ जगह की तंगी का भी सामना करना पड़ता है इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग को रैनोवेट करवाने के साथ-साथ इसके कमरों की संख्या भी बढ़ाई जाये। यह काम कब तक हो जायेगा माननीय मंत्री जी सदन में इस बारे में भी जानकारी देने की कृपा करें। स्पीकर सर, इसके साथ-साथ मेरा एक और बहुत ज्यादा महत्व का सवाल है कि मेरे हल्के के गांव सीसर में पिछले 20-22 वर्षों से गांव की थाई (धर्मशाला) में एक पी.एच.सी. चल रही है। इस गांव के लोगों ने इस पी.एच.सी. के लिए स्वास्थ्य विभाग के नाम ज़मीन की भी रजिस्ट्री करवा दी है लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर आज तक पी.एच.सी. की बिल्डिंग नहीं बन पाई है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पी.एच.सी. की बिल्डिंग भी

निर्धारित ज़मीन पर जल्दी से जल्दी बनवाने की कृपा करें ताकि लोगों को पी.एच.सी. की पूरी सुविधा मिल सके।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, विधायक साथी ने अपने हल्के के बारे में इस क्वैश्चन के माध्यम से काफी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने प्रश्न तो एक ही लगाया था लेकिन उसके साथ-साथ आस-पास के गांवों की समस्याओं के बारे में 3-4 और क्वैश्चन भी पूछ लिये हैं। ये सभी प्रश्न जनरल सी कैटेगरी में आते हैं। सर, जहां तक नरवाना के हॉस्पिटल की बात है वहां पर एस .एम.ओ. की एक पोस्ट सैक्शंड है और इस एक सैक्शंड पोस्ट के अगेंस्ट वहां पर दो एस.एम.ओ. लगे हुए हैं। इस प्रकार से वहां पर एक पोस्ट अतिरिक्त है इसलिए उसे मैं जल्दी ही वहां से हटाने के आदेश जारी कर दूंगा और जहां पर कमी है उसे वहां लगा दिया जायेगा। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : मंत्री जी, आप यह तो कह रहे हैं कि वहां से आप एक एस.एम.ओ. को हटा लेंगे, मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि आप ऐसा करने से पहले सी.एम. साहब से पूछ लेना।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने किरण जी को पहले भी कहा था कि ये बैठे-बैठे न बोला करें क्योंकि अगर इनके बोलने पर मैं जवाब देता हूं तो इनको परेशानी हो जाती है। किरण जी बोल रही है इसलिए मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि हमने पिछले पांच साल का समय भी देखा है जब इनको न कुछ बोलने की इज़ाजत होती थी और न ही कुछ पूछने की इज़ाजत होती थी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनकी ऐसी हालत को देखते हुए मैंने एक दिन सदन में ही इनको सुझाव दिया था कि ये ट्रेजरी बैंचिज़ से उठ कर विपक्ष के बैंचों पर आ जायें क्योंकि इनकी उस समय विपक्ष वाली स्थिति थी। मैंने इनको यह बात कही थी। (विघ्न)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, आप माननीय मंत्री जी को कहें कि पहले वे उनसे पूछे गये सवाल का जवाब दें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, दांगी साहब को मुझे समझाने से पहले अपनी नेता को समझाना चाहिए।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैंने तो सीधी और सत्य बात ही कही थी। मैंने अखबारों में पढ़ा था कि इन्होंने एक सी.एम.ओ. को सस्पैंड कर दिया था लेकिन सी.एम. साहब ने कहा कि उस सी.एम.ओ. को सस्पैंड नहीं किया जायेगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं भी सीधी बात कह रहा हूं कि इनको तो पिछले पांच साल के दौरान बोलने की भी इज़ाजत नहीं होती थी। सर, यह मैंने ही इनको सुझाव दिया था कि ये विपक्ष में आ जायें उसी के कारण ये आज विपक्ष में बैठी हैं। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी को यह बताना चाहती हूं कि कोई भी मंत्री क्वैश्चन ऑवर के दौरान अपने से सम्बंधित प्रश्न के जवाब के अलावा और बातों के बारे में नहीं बोलते क्योंकि यह सदन की मर्यादा होती है। अध्यक्ष महोदय, आप और विज साहब इस बारे में जानते हैं कि this is an august House and he should know the Rules and Regulations.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं किरण जी को भी यह बताना चाहूंगा कि यह भी मर्यादा होती है कि कोई भी सदस्य बैठे-बैठे नहीं बोलता और यह भी सदन की मर्यादा होती है कि कोई भी सदस्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बिना नहीं बोलता। इनको अध्यक्ष महोदय की अनुमति मिली नहीं फिर भी ये बोल रही हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से भी और किरण जी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि क्वैश्चन ऑवर में जब किसी ज़रूरी सवाल का जवाब दिया जा रहा हो तो सदन में इस प्रकार की परिस्थितियों पैदा न करें। यहां पर हैल्थ विभाग से सम्बंधित सवाल का जवाब चल रहा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को भी यहां पर मज़ाक में लिया जायेगा तो सदन का समय जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वह भी बर्बाद होता है और जो क्वैश्चन पूछा गया होता है उस क्वैश्चन को भी कहीं न कहीं इस तरह की बातें बीच में लाकर ठण्ढे बस्ते में डाल दिया जाता है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि ये इनसे पूछे गये सवाल का जवाब दें, किरण जी से तो ये बाद में भी उलझ सकते हैं ये इनको यहीं पर मिलेंगी।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि नरवाना में एस.एम.ओ. की एक सैंक्शन पोस्ट है जबकि वहाँ पर दो एस.एम.ओ. कार्यरत हैं। एक डॉ. आर.के. सिंगला तथा दूसरे डॉ.देवेन्द्र बिंदलिस हैं। उन दोनों में से एक का तबादला वहाँ से होना है। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे बता दें कि उपरोक्त डॉक्टरों में से किसको बदलवाना चाहते हैं और किसको रखना चाहते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वहाँ से उन दोनों का तबादला करके कोई महिला एस.एम.ओ. लगा दी जाये ताकि महिलाओं को सुविधाएं मिल सकें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से माननीय सदस्य ने पूछा था कि चिकित्सा अधिकारी कितने लगे हुये हैं। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वहाँ पर सैंक्शंड पोस्ट 11 हैं जिनमें से 7 भरी हुई हैं और 4 खाली हैं। अध्यक्ष महोदय, हालात तो खराब हैं लेकिन जिस प्रकार से माननीय सदस्य बता रहे हैं उतने खराब नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि हमने भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 529 डॉक्टर लगाने की सैंक्शन दे दी है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) इन पोस्टों को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन के प्रिव्यू से बाहर निकालने के लिए फाईल मूव की हुई है और जैसे ही वह एप्रूवल मिल जायेगी हम शीघ्र ही यह भर्ती कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम खुद एक-एक वैकेन्सी भर देना चाहते हैं, चाहे वह सिविल हॉस्पीटल की हो, सी.एच.सी. की या पी.एच.सी. की हों या चाहे किसी भी हैल्थ सैन्टर की हों, हम जल्द से जल्द सारी नियुक्तियाँ कर देंगे।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने जो बताया कि उनके अपने गांव की जो पी.एच.सी. है वह एक धर्मशाला में चल रही है। उन्होंने यह पूछा था कि उस पी.एच.सी. को धर्मशाला से निकाल कर क्या उसके लिए कोई सरकारी बिल्डिंग बनाई जायेगी तथा उसको उस बिल्डिंग में शिफ्ट किया जायेगा। मैं केवल एक इसी पी.एच.सी. के बारे में नहीं कहना चाहता बल्कि ऐसी बहुत सी पी.एच.सीज. या

सी.एच.सीज हैं जिनकी बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी हैं या गिर चुकी हैं। क्या सरकार ऐसी पी.एच.सीज. या सी.एच.सीज. की बिल्डिंग्ज का रखरखाव करेगी या उनकी जगह नई बिल्डिंग बनाएगी ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, पी.एच.सी. बनाने के लिए नॉर्म्स तय होते हैं। उसमें पंचायत जहाँ पर जमीन दे देती है वहीं पर हम बिल्डिंग बना कर शिफ्ट कर देते हैं। इस बारे में मैं सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि वे भी स्वयं जा कर देखें और जहाँ पर भी बिल्डिंग टूटी हुई है या जहाँ पर और कमियाँ हैं या कहीं पर पी.एच.सी. के लिए उपयुक्त रास्ता नहीं है तो आप लोग हमें बतायें हम उसको ठीक करवायेंगे। वैसे तो इस बारे में हम स्वयं विभाग द्वारा सर्वे भी करवा रहे हैं। मैं खुद भी जा कर देखता हूँ और मैं खुद ही देखना चाहता हूँ। जिस प्रकार श्री परमिन्द्र सिंह ढुल ने बताया था कि मेरे गांव के हॉस्पिटल में जाने के लिए उपयुक्त रास्ता नहीं है। मैंनें स्वयं वहाँ पर जा कर देखा और वास्तव में वहाँ पर जाने के लिए उपयुक्त रास्ता नहीं था। उसके पास ही एक एफ.सी.आई. का गोदाम है जहाँ पर ट्रक आते-जाते हैं जिसके कारण वहाँ पर रास्ता बिल्कुल टूटा हुआ है। मैंने इस बारे में उपायुक्त से बात की है कि आप इस हॉस्पिटल का रास्ता बनवा कर दें, इसलिए आप सभी से मेरा कहना यह है कि आप काम बताते रहिए और हम काम करवाते रहेंगे। आप चिन्ता मत कीजिए, हम काम करने के लिए ही आये हैं।

श्री पिरथी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव की पंचायत ने तो जमीन भी विभाग के नाम कर दी है उसके बावजूद भी वहाँ पर कुछ काम नहीं हो पाया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर कब तक बिल्डिंग बन जायेगी ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य उस जमीन के कागजात मेरे पास भिजवा दें मैं उसको इग्जामिन करवा लूंगा।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव जुंआ में सी.एच.सी. है और एस.एम.ओ. की पोस्ट खाली है क्या माननीय मंत्री जी नरवाना से हटाने वाले एक एस.एम.ओ. को जुंआ गांव में लगायेंगे। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि खानपुर मैडिकल कॉलेज में एम.आर.आई. तथा सीटी स्कैन करने के लिए मनिपाल ग्रुप के ऑर्डर हो चुके हैं लेकिन 4 महीने हो गये और अभी तक उसका एम.ओ.यू. साईन नहीं हुआ है, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह एम.ओ.यू. साईन क्यों नहीं हुआ ? वहाँ पर लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई हजार लोग बाहर से एम.आर.आई. और सी.टी.स्कैन करवा कर आते हैं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, परेशानी तो तब होती जब हम डॉक्टर लगाते नहीं, हम तो डॉक्टर लगा रहे हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उस डॉक्टर को कब तक नियुक्त कर दिया जायेगा, क्या मंत्री जी कोई समय सीमा तय करेंगे ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में पूरी प्रक्रिया हो चुकी है और बहुत जल्दी वहाँ पर डॉक्टर नियुक्त कर दिया जायेगा।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से 2 हजार रुपये की बुढापा पैन्शन देने का वायदा आप 5 साल में पूरा करने जा रहे हैं उसी प्रकार से क्या डॉक्टर भी आप 5 साल में लगायेंगे, मंत्री जी समय सीमा बता दें कि कब तक लगा देंगे ?

श्री अनिल विज : सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसके लिए कोई तिथि नहीं बताई जा सकती। मैंने उसकी सारी फाईल स्टडी की है और मैं यह आश्वासन देता हूं कि हम वहां जल्दी ही डॉक्टर लगवा देंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिक : मंत्री जी, आप ये बताईये कि क्या मुख्यमंत्री जी ने आपकी रिकमैंडेशंज को वापिस तो नहीं कर दिया है ? क्योंकि मुख्यमंत्री जी आपकी रिकमैंडेशंज को वापिस कर देते हैं इसलिए आप जवाब नहीं देना चाहते।

Schools for Girls

***135. Shri Naseem Ahmed :** Will the Education Minister be pleased to state the total number of GHS and GSS schools for girls in Mewat?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान् जी, मेवात जिले में दो (2) राजकीय कन्या उच्च विद्यालय और (7) राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं।

श्री जाकिर हुसैन : स्पीकर सर, श्री नसीम अहमद जी ने मुझे यह प्रश्न पूछने के लिए कहा है। इसलिए यदि आपकी अनुमति हो तो मैं यह प्रश्न पूछ लूँ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप पूछ सकते हो।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, श्री नसीम अहमद जी ने जो सवाल पूछा है वास्तव में जिस क्षेत्र की तरफ इन्होंने सदन का ध्यान खींचा है उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मेवात में स्कूलों की संख्या बहुत कम है और जब मैंने इसकी जानकारियां विभाग से ली तो मुझे लगा कि मेवात में छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता है क्योंकि अभी मेवात में 2 राजकीय कन्या उच्च विद्यालय हैं और 7 राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं। जब मैंने इस सवाल के जवाब को समझा तो मैंने विभाग को यह भी कहा कि हमारे दो इलाके हैं मोरनी हिल्ज और मेवात का इलाका अगर नोर्म्स के हिसाब से और डिस्टैंस के हिसाब से वहां कोई बात आती है तो ऐसे इलाकों में उसमें छूट दी जानी चाहिए ताकि इन इलाकों में कन्याओं के विद्यालय बहुत ज्यादा स्थापित किए जा सकें। ऐसे में मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा लेकिन वह इस समय मौजूद नहीं हैं कि जब उनके ध्यान में यह विषय लाया गया तो उन्होंने कहा कि प्रारम्भ में हम महिला बसिज खास कर स्कूल के शुरू होने के समय और स्कूल के बन्द होने के समय विशेष तौर से मेवात के क्षेत्र में शुरू करें ताकि छात्राएं तुरन्त उन विद्यालयों तक पहुंच सकें।

श्री जाकिर हुसैन : स्पीकर सर, जैसा कि अभी मंत्री जी ने खुद ही बताया और उन्होंने कहा कि मेवात में स्कूलों की बड़ी भारी कमी है। यहां ये दर्शाना भी जरूरी है कि सन् 2012-13 में मेवात जिले में पहली से पांचवी तक बच्चों की जो संख्या थी वह 1,60,057 थी और जैसा कि मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि नोर्म्ज पूरे न होने के कारण कुछ स्कूलों में दिक्कत आती है। सर, पांचवी कक्षा

तक बच्चों की संख्या 1,60,057 है और सिर्फ स्कूल न होने की वजह से आप देखें कि नौवी कक्षा में यह संख्या मात्र 6,047 रह गई। 1,54,000 बच्चे घर बैठ गये जिनमें ज्यादातर हमारी बहन बेटियां हैं। पूरे हरियाणा में मेवात जिले में लड़कियों के ही नहीं बल्कि लड़कों के स्कूल भी सबसे कम हैं। सर, मेवात में हाई स्कूल केवल 45 हैं और राजकीय सीनियर सैकेंडरी स्कूल 30 हैं। मेवात जिला बेटी बचाओ के मामले में पूरे हरियाणा में अवल नम्बर पर आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज आदरणीय प्रधान मंत्री जी के एजेंडे की सबसे बड़ी बात है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ में तो मेवात जिला सबसे आगे है क्या सरकार बेटी पढ़ाओ में भी मेवात को सबसे आगे लाने के लिए कोई प्रयास करेगी ? दूसरा मेवात में रोडवेज की बसों की सुविधा नहीं है जिस कारण सवारियां लटक-लटक कर जाने पर मजबूर हैं ऐसे में बहन बेटियों का बसों में सफर करना बहुत मुश्किल है। मैंने गवर्नर साहब के अभिभाषण पर भी मेवात में बसों की सुविधा के लिए रिक्वैस्ट की थी। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर सरकार चाहे कोई भी सरकार हो वह अग्रणी रहती है और रहना भी चाहिए तो क्या सरकार बहन और बेटियों को स्कूलों तक पहुंचाने के लिए बसों की सुविधा प्रदान करेगी ?

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इनकी बात बिल्कुल वाजिब है और यह आंकड़ा भी माननीय सदस्य का सही है कि जहाँ प्राईमरी विद्यालयों में 77 हजार लड़कियाँ पढ़ रही थी, मिडिल स्कूल में आते-आते लड़कियों की संख्या 30 हजार रह गई है। अध्यक्ष महोदय, जब सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में लड़कियों की संख्या 5548 रह गई तो मैं समझता हूँ कि यह संख्या बहुत तेजी से गिरी है और जिसका कारण है हरियाणा प्रदेश में विद्यालयों की संख्या छात्राओं के अनुसार नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात को समझता हूँ। मेवात और मोरनी दो क्षेत्रों के बारे में आज सुबह से ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा हो रही थी कि वहाँ पर खासकर लड़कियों के लिए अधिक से अधिक विद्यालय खोलने के लिए नॉर्म्स में छूट मिले। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो इस सवाल में सवाल जोड़ा है सरकार इस पर विचार करेगी। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने विचार किया है कि स्कूलों के शुरू होने के समय पर और बंद होने के समय पर लड़कियों के लिए स्पैशल बसें चलाई जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर ज्यादा मात्रा में विद्यार्थी जा रहे हैं उन रूटों पर बसें चलाने के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज सुबह ही विचार किया है। **(इस समय मेजे थपथपाई गई)** और हरियाणा प्रदेश में छात्राओं के लिए किराये में पहले से ही छूट है।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जैसा कि उनकी सोच है और अभी उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेवात में लड़कियों की शिक्षा पर खासतौर से जोर दे रहे हैं तो क्या इस बात पर विचार करेंगे कि 10-12 गाँवों का कलेस्टर बनाकर जो बड़ा गाँव हो वहाँ लड़कियों के लिए स्कूल खोला जाए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पूरे मेवात जिले में लड़कियों के लिए विशेष रूप से स्कूल स्थापित किये जायें। आज शहरों और कस्बों का माहौल आने जाने के लिए ठीक नहीं है और शहर की तुलना में गाँव का माहौल आज भी बेहतर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूँगा कि बड़े गाँव को आईडैंटीफाई करके इसी वित्त वर्ष में लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाए जाएँ।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से सरकार इनके सुझाव पर गौर करेगी।

प्रो. रविन्द्र बलियाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान शिक्षा से जुड़े हुए बहुत ही गंभीर मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। आपने अभी कहा है कि लड़कियों की शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे जो कि यह बड़ी खुशी की बात है। फतेहाबाद के बिल्कुल जड़ में गाँव बोड़िया खेड़ा है यह रतिया हल्के में पड़ता है। यह गाँव फतेहाबाद के बिल्कुल जड़ में है और इस गाँव की आबादी 15 हजार से ऊपर है लेकिन आज तक वहाँ पर एक भी 12वीं का स्कूल नहीं हैं। उस गाँव को फतेहाबाद से जोड़ दिया जाता है क्योंकि फतेहाबाद शहर में स्कूल है। अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में लड़कियों को शहर में पढ़ने के लिए दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसलिए क्या मंत्री महोदय डिस्टैंस के नॉर्म्स में छूट देकर इस गाँव में स्कूल खोलने पर विचार करेंगे ? जनसंख्या के क्राईटेरिया को ध्यान में रखकर क्या मंत्री महोदय जी आश्वासन देंगे कि वहाँ पर स्कूल बनाया जायेगा ?

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने काफी महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और इस एरिये की तरफ मेरा ध्यान व्यक्तिगत रूप से भी है। हम देखते हैं कि सरकारी विद्यालयों में छात्राओं की संख्या अधिकांश स्थानों पर छात्रों की तुलना में ज्यादा है। छात्र प्राईवेट विद्यालय में दूसरे अन्य स्थानों पर जाना चाहते हैं तथा समाज यह भी मानता है कि छात्र सुरक्षा की दृष्टि से भी और बाकी अन्य कारणों से भी इतनी दूर तक जा सकता है। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ कि क्या उनके पास जानकारी है कि गाँव में जाने वाले कुल छात्राओं की संख्या कितनी है या सरकार द्वारा विभाग से जानकारी लेकर इस विषय पर विचार किया जा सकता है। माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है।

Protection of Forest in Arawali Hills

***269. Shri Zakir Hussain** : Will the Forest Minister be pleased to state the detail of scheme prepared by the Government for the protection of forests in Arawali Hills of Gurgaon area so that to check the unnecessary deforestation?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : इस समय गुड़गांव जिले सहित अरावली पहाड़ियों में वन के संरक्षणों के लिए "अरावली पहाड़ियों में संस्थानों का पुनरूद्धार" तथा "उजड़े हुए वनों का पुनरूद्धार" नामक दो राज्य प्लान स्कीमें लागू की जा रही हैं। इन स्कीमों की विस्तृत सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

अरावली पहाड़ियों में वन का संरक्षण

स्कीमें :-

1. **अरावली पहाड़ियों में संस्थानों का पुनरूद्धार (2014-15)**

यह स्कीम वर्ष 2008-09 से लागू की जा रही है। इस स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार है :-

(क) अरावली वनीकरण परियोजना के अन्तर्गत बनाई गई ग्राम स्तरीय संस्थाओं (ग्राम

वन समितियों तथा स्वयं सहायता समूहों) का पुनरूद्धार करना।

(ख) अरावली वनीकरण परियोजना के अन्तर्गत बनाए गए वृक्षाच्छादित क्षेत्र को ग्राम वन समितियों तथा अन्य हितधारकों की सहायता से सुरक्षित करना।

(ग) नंगी पहाड़ियों पर खाई-गड्ढा विधि द्वारा रोपन करके वनीकरण करना और

(घ) अरावली पहाड़ियों की तलहटी में सुरक्षा खाई का निर्माण करके सम्भावित अवैध खनन की गतिविधियों को रोकना तथा इन क्षेत्रों में रखवालों को रखना।

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में गुड़गांव जिले की अरावली पहाड़ियों में 80 हैक्टेयर क्षेत्र में 40000 पौधे लगाये गये हैं।

2. **उजड़े हुये वनों का पुनरूद्धार (2014-15)**

यह स्कीम वर्ष 1990-91 से लागू की जा रही है। इस स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार है :-

(क) उजड़े हुए वन क्षेत्रों में पौधारोपण करके उनका पुनरूद्धार करना, उन्हें वृक्ष आच्छान्दित क्षेत्र के तहत लाना तथा उनकी अधिक क्षति रोकना।

(ख) उजड़े हुए वन क्षेत्रों में भू-क्षरण को रोकना।

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में गुड़गांव जिले की अरावली पहाड़ियों में 25 हैक्टेयर क्षेत्र में 21500 पौधे लगाये गये हैं।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वर्ष 1990-91 से अरावली की परियोजना चल रही है। अध्यक्ष महोदय, अरावली परियोजना बेरोजगारी के हिसाब से खासतौर पर मेवात जिले के लिये, सबसे बड़ी रूकावट बनी हुई है, क्योंकि इससे माईनिंग और खनन का कार्य बंद है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बार-बार दलील आने के बाद और हरियाणा सरकार ने कहा है कि अरावली में वनों के नाम पर सिर्फ मसकट जो काबली कीकर है बाकी कोई भी पेड़ नाम की चीज अरावली में नहीं है, इसलिए ये पेड़ लगे या ना लगे, सदन चाहे इनकी इन्कवायरी करवाये या ना करवाये यह तो जांच का अलग विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं मेवात क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मेरा विधान सभा क्षेत्र भी यही है और अरावली की पहाड़ियों में मैं घूमा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, फोरैस्ट विभाग वाले खड्डे खोदकर पेड़ को फैंक जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि पेड़ लगाने के बाद ऐसी कोई निगरानी हो क्योंकि पेड़ लगाने से ज्यादा महत्व पुराने वनों की प्रोटैक्शन की है और उनका सरवाईवल ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं, उनकी ग्रोथ हो रही है या नहीं इस बात को चैक करने की आज जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ऐसी व्यवस्था करें कि हर तीन महीने में वनों की निगरानी हो जिससे उनका प्रोटैक्शन, उनका ग्रोथ और उनका सरवाईवल का पता चल सके।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण विषय उठाकर एक गम्भीर चिंता व्यक्त की है। अध्यक्ष महोदय, अरावली के क्षेत्र में फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रेवाड़ी,

[कैप्टन अभिमन्यु]

महेन्द्रगढ़ और भिवानी, हरियाणा प्रदेश के इन 6 जिलों के लगभग 293 गांव लगते हैं। अध्यक्ष महोदय, 1 लाख 13 हजार हैक्टेयर अरावली क्षेत्र की भूमि है। अध्यक्ष महोदय, अरावली हमारा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पर्यावरण क्षेत्र है, इस प्रकार से अरावली क्षेत्र के वनों को बचाकर पर्यावरण को शुद्ध रखना हम सबकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है कि पेड़ लगाने के बाद उनकी मोरटेलिटी कम से कम होनी चाहिए। अतीत में इस प्रकार की जानकारी मिलती रही है कि पेड़ लगाकर उनका बचाव नहीं हो सका, जिसके कारण मोरटेलिटी अलग-अलग क्षेत्रों में बढ़ी है। फिलहाल अरावली क्षेत्र में कुल मिलाकर बेहतर काम हुआ है। अध्यक्ष महोदय, विभाग की प्रक्रिया के अनुसार 5 वर्ष के अंदर अपने रजिस्टर में एन्ट्री करके रिकॉर्ड को प्रॉपर दुरुस्त करके रखा जाता है। मोरटेलिटी कम से कम हो इस बात को चेक करने के बारे में विभाग और सरकार पूरी तरह से गम्भीर है। यह काम तभी संभव हो सकता है जब पूरे क्षेत्र के लोग, ग्राम समूह, वन समितियां और स्वयं सहायता समूह और सभी कम्युनिटीज इसमें इनवॉल्व हों। एक योजना बनाई गई है ताकि सभी समूह इस योजना के रखवाले बनकर काम करें। एक ऐसी ही योजना नये सिरे से विकसित करने के लिए सरकार विचार कर रही है ताकि एक-एक पौधे की रक्षा करके फॉरेस्ट की डेनसिटी को बढ़ाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पर्यावरण और विकास के अन्दर संतुलन बनाए रखना अपने आप में जरूरी है। विकास बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन किसी भी सूरत में हम वन क्षेत्र और पर्यावरण से समझौता नहीं कर सकते।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि पेड़ों का 5 साल का रिकॉर्ड रखा जाता है। चूंकि हम खेतों में भी जाते हैं और हर जगह घूमते हैं इसलिए मैं अपने जिले मेवात और गुड़गांव की बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अरावली पर्वत पर हमें कहीं पर पेड़ दिखाई नहीं देते हैं। अगर अंडरग्राऊंड पेड़ उगाने की कोई विधि हो तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। मंत्री जी को एक कमेटी बना देनी चाहिए और इन्हें स्वयं भी खेतों का दौरा करना चाहिए। अगर ये कहीं पर इकट्ठे सौ पेड़ लगे हुए दिखा देंगे तो हम इनकी बात को मान लेंगे। सच्चाई तथ्यों से बहुत दूर है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप इसकी इन्कवायरी कराएं और देखें कि इसमें कितना घोटाला हुआ है ? अगर आप विदेशों से पैसा न आने की वजह से पेड़ों के अलावा इनके मकान और दफ्तरों की हालत देखें तो पाएंगे कि यह बहुत जर्जर हो चुके हैं। दूसरी बात, भूड़ या टिब्बों की मिट्टी को भरत इत्यादि करने के लिए उठाकर बेचा जा रहा है। इससे अरावली को बहुत नुक्सान हो रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसकी इन्कवायरी करवाएं क्योंकि हरियाणा प्रदेश को अरावली परियोजना से सिवाय नुक्सान के कुछ नहीं हुआ है। क्या मंत्री जी सुनिश्चित करेंगे कि इससे भविष्य में लाभ होगा?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अरावली के बारे में चिंता व्यक्त की है और इसे स्वीकार करने में मुझे कतई गुरेज नहीं है। हमारी सरकार पारदर्शिता के सिद्धांत पर कार्य करना चाहती है। हमें इस प्रकार के अनुभव और जानकारी प्राप्त हुई है कि जिस जिम्मेदारी के साथ पौधों को लगाकर उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए थी वैसा नहीं हुआ है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि विभाग पौधों के रख-रखाव के लिए स्थानीय ग्राम वन समितियों को इन्वॉल्व करता है और उनको काम सौंपता भी है। जिन अनियमितताओं

की तरफ आपने ध्यान दिलाया है हम उनकी जांच निश्चित तौर पर कराना चाहेंगे। अगर यदि आपके संज्ञान में कोई इस प्रकार की अनियमितता है तो हमारे सामने लाईये। हमारी सरकार ने एक बड़े महत्वपूर्ण विषय मनरेगा में एक बड़ा घोटाला उजागर किया है। हमने उस पर कार्यवाही करके कई उच्च अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और उसकी जांच प्रारम्भ कर दी है। वर्ष 1991-1999 तक विभाग को और सरकार को विदेशों से सहयोग मिला है जिसके कारण पौधारोपण अभियान चलाये गये हैं लेकिन आज कहीं न कहीं रखरखाव के अभाव के कारण या गैर जिम्मेदाराना वन की कटाई के कारण अगर कोई नुक्सान हुआ है और उसके लिए कोई अनुदान नहीं मिल पा रहा है तो इसके कारण कहीं न कहीं वनों की कमी जरूर हो रही है। उसकी चिन्ता सरकार को है और निश्चित रूप से सरकार अरावली क्षेत्र के लिए अपनी जिम्मेदारी समझती है। सिर्फ चार महीने पहले इस सरकार का कार्यकाल प्रारम्भ हुआ है इसलिए जो आवश्यक होगा उसके लिए जाँच भी करायेंगे और वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वह सरकार जरूर करेगी।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने वर्ष 2010 में एन.सी.जैड जोन डिक्लेयर करवाया था जिसके कारण 500 मीटर की दूरी तक न तो कोई बिल्डिंग ही बन सकती है और न ही वहां कोई डैम्पिंग हो सकती है और न ही वहां पर वाटर से रिलेटिड काम हो सकता है and as you know Sir, Aravallis are very ecologically frazile zone. I think the Haryana Valley has a forest cover about 3.5%. So, I would like to know from the Hon'ble Minister that is there any proposal to shorten 500 metres buffer zone which was made for the protection of the Aravallis, because as I have read in one of the newspapers saying that the Govt. had written to or spoken to the central Government saying that the 500 metres zone should be reduced so that more buildings can be taken up there. Is that so ?

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, हालांकि यह एक स्पेट क्वैश्चन है। माननीय सदस्या इस सदन की एक वरिष्ठ सदस्या हैं और इनका एक लम्बा अनुभव है। माननीय सदस्या ने मूल प्रश्न से हटकर एन.सी.जैड जॉन के बारे में विषय उठाया है। मैं विभाग से इस प्रश्न की जानकारी लेकर माननीय सदस्या को स्वयं प्रस्तुत कर दूंगा।

श्रीमती सीमा त्रिखा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का इसलिए धन्यवाद करती हूं कि उनको इस प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला है। मैं भी बड़खल विधान सभा से चुनकर आई हूं। मेरे हल्के के एरिया से भी अरावली को बहुत बड़ा हिस्सा छूता हुआ निकलता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि उस इलाके में भी कुछ ऐसा हिस्सा है जहां पर अगर मैं भू माफिया शब्द का इस्तेमाल करूं तो ठीक होगा वहां पर पिछले कुछ सालों में वनों की कटाई करके अलग अलग फार्म हाउसिज बन गये हैं। इसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि क्या गूगल के माध्यम से या किसी और तकनीक के माध्यम से हम आने वाले तीन महीनों में इन जंगलों के रख रखाव के लिए कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जोकि सरकार के पास महफूज रहे। क्या कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में जहां वन संरक्षण की बात की जा रही है कि अरावली की पहाड़ियों से पेड़ न काटें जायें इस बारे में सदन में बात की जा रही है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि वहां पर सैंकड़ों एकड़ जमीन से पेड़ काट दिए गये हैं और उस जमीन को भरत करके प्लेन कर दिया गया है और उस जमीन पर बाउंडरी वाल बना दी गई है। जैसा कि माननीय सदस्या श्रीमती सीमा त्रिखा जी ने सवाल किया है यह प्रश्न भी उसी प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है। मैं भी माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती सीमा त्रिखा जी और माननीय सदस्य श्री ललित नागर जी ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है। आजकल नई तकनीक का युग है और इन्होंने ठीक ही कहा है कि गूगल के मैप के माध्यम से एक-एक तारीख का पूरे साल का रिकॉर्ड पता किया जा सकता है। जो इन्होंने चिन्ता व्यक्त की है वह सही है। इस प्रकार के जो अवैध निर्माण शायद हुए हैं इस बारे में हमने विभाग को पूरी लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं कि कब कब इस प्रकार 15.00 बजे के अवैध निर्माण हुए हैं। यदि इसमें अनियमिततायें पाई गईं तो उनकी जाँच भी अवश्य करवायेंगे। हमने विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिये हुए हैं कि कोई भी अवैध निर्माण और कटाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी तथा आँकड़े भी इस बात को साबित कर सकते हैं कि संबंधित विभाग अब पहले से ज्यादा सक्रिय है और कार्रवाई कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है। (शोर एवं व्यवधान)

नियम 451(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of Stadium

***169. Shri Anoop Dhanak :** Will the Sports & Youth Affairs Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Stadium in village Badhawad of Uklana Constituency; if so, the time by which the construction work of the said stadium is likely to be completed?

खेलकूद एवं युवा मामले मंत्री (श्री अनिल विज) :

नहीं, श्रीमान् जी।

Government College

***222. Shri Tek Chand Sharma :** Will the Education Minister be pleased to state--

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government for openning Government College in Mohana or

Chhaysa as there is no Government College in Prithla Constituency; and

(b) if so, the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) व (ख) नहीं, श्रीमान् जी।

To Construct Bus Stand

***239. Shri Udey Bhan :** Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bus-Stand in village Hassanpur (Sehnauli) of Hodel Assembly Constituency, if so, the details thereof?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : हां, श्रीमान्। परिवहन विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सहनौली से जमीन पट्टे पर लिए जाने के लिए मामले का अनुसरण किया जा रहा है।

To Establish an University in Mewat

***146. Sh. Rahish Khan**
Sh. Naseem Ahmed]: Will the Chief Minister be pleased to state--

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to establish an University in Mewat District; and

(b) if so, the time by which the University is likely to be established?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) व (ख) श्रीमान् जी, नहीं।

To Provide the Ultrasound Machine in Government Hospital

***228. Smt. Shakuntala Khatak :** Will the Health Minister be pleased to state--

(a) whether it is a fact that ultrasound machine has not been provided in the Government Hospital Kalanaur (Rohtak); and

(b) if so, the time by which the ultrasound machine is likely to be provided in the abovesaid Hospital?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) जी, हां श्रीमान् जी।

(ख) निपुण रेडियोलोजिस्टों की भारी कमी के कारण सामान्य अस्पताल, कलानौर (रोहतक) में अल्ट्रासाऊंड मशीन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नही है।

Community Centre in Brahmyoni Kailash Dham

***359. Shri Jaswinder Singh Sandhu :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Community Centre in Brahmyoni Kailash Dham of Pehowa Constituency; if so, the details thereof?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) :

नहीं, श्रीमान् जी।

Crime Against Weaker Sections and Backward Classes

***231. Shri Ranbir Gangwa**
Shri Ravinder Singh Baliala]: Will the Chief Minister be pleased to state--

(a) the details of crimes committed against Weaker Sections/ Backward Classes in the State during the period from 26.10.2014 to date; and

(b) the action taken by the State Government against the accused persons in each case?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) :

श्रीमान् जी, वांछित सूचना सदन पटल पर रखी जाती है।

सूचना

विवरण

(क) अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के विरूद्ध हुए अपराधों का विवरण दिनांक 26.10.2014 से अब तक क्रमश: **'अनुबंध-क तथा ख'** पर है।

(ख) इन मामलों में राज्य सरकार द्वारा अपराधियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही, दिनांक 26.10.2014 से अब तक क्रमश: **'अनुबंध-ग तथा घ'** पर है।

अनुबन्ध-क

अनुसूचित जातियों के विरुद्ध हुए अपराधों का विवरण दिनांक 26.10.2014 से 28.02.2015 तक।

क्र.सं.	अपराध का नाम	कुल केस पंजीकृत	अदम-पता	रद्द	कोर्ट में डाले गए	बरी	दोषी	न्यायालय में विचाराधीन	अनुसंधाना-धीन
1.	हत्या (302 आई.पी.सी.)	12	0	1	6	0	0	6	5
2.	हत्या का प्रयास (307 आई.पी.सी.)	4	0	0	2	0	0	2	2
3.	आघात पहुंचाना (323/324/325/ 326 आई.पी.सी.)	18	0	2	8	0	0	8	8
4.	शील भंग करना (354 आई.पी.सी.)	33	0	3	17	2	0	15	13
5.	अपहरण (363/ 366 आई.पी.सी.)	6	0	2	2	0	0	2	2
6.	बलात्कार (376 आई.पी.सी.)	34	0	4	19	0	0	19	11
7.	धमकी (506 आई.पी.सी.)	12	0	2	2	0	0	2	0
8.	दंगे (148/149 आई.पी.सी.)	4	1	1	1	0	0	1	1
9.	छेड़खानी (294/ आई.पी.सी.)	2	0	0	2	1	0	1	0
10.	डकैती (392 आई.पी.सी.)	1	0	0	1	0	0	1	0
11.	केवल अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम	7	0	2	2	0	0	2	3
12.	अन्य अपराध	13	0	2	4	0	0	4	7
	कुल योग	**146**	**1**	**19**	**66**	**3**	**0**	**63**	**60**

[श्री मनोहर लाल]

अनुबन्ध-ख

पिछड़े वर्गों के विरुद्ध हुए अपराधों का विवरण दिनांक 26.10.2014 से 28.02.2015 तक।

क्र.सं.	अपराध का नाम	कुल केस पंजीकृत	अदम-पता	रद्द	कोर्ट में डाले गए	बरी	दोषी	न्यायालय में विचाराधीन	अनुसंधानाधीन
1.	हत्या (302 आई.पी.सी.)	5	0	0	2	0	0	2	3
2.	हत्या का प्रयास (307 आई.पी.सी.)	6	0	0	1	0	0	1	5
3.	आघात पहुंचाना (323/324/325/326 आई.पी.सी.)	37	2	4	22	0	0	22	9
4.	शील भंग करना (354 आई.पी.सी.)	11	0	0	7	0	0	7	4
5.	अपहरण (363/366 आई.पी.सी.)	5	0	0	1	0	0	1	4
6.	बलात्कार (376 आई.पी.सी.)	11	0	0	9	0	0	9	2
7.	धमकी (506 आई.पी.सी.)	6	0	0	5	0	0	5	1
8.	दंगे (148/149 आई.पी.सी.)	8	0	0	6	0	0	6	2
9.	अन्य अपराध	9	0	0	4	0	0	4	5
	कुल योग	**98**	**2**	**4**	**57**	**0**	**0**	**57**	**35**

अनुबन्ध-ग

अनुसूचित जाति के विरुद्ध किये गए अपराधों के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरूद्ध की गई कार्यवाही समय अवधि दिनांक 26.10.2014 से 28.02.2015 तक।

क्र.सं.	अपराध का नाम	कुल केस पंजीकृत	अभियुक्तों की कुल संख्या	गिरफ्तार किये गए अभियुक्तों की कुल संख्या	शेष अभियुक्त जिन्हें गिरफ्तार किया जाना बाकी है
1.	हत्या (302 आई.पी.सी.)	12	25	17	8
2.	हत्या का प्रयास (307 आई.पी.सी.)	4	8	8	0
3.	आघात पहुंचाना (323/324/325/ 326 आई.पी.सी.)	18	47	25	22
4.	शील भंग करना (354 आई.पी.सी.)	33	49	30	19
5.	अपहरण (363/ 366 आई.पी.सी.)	6	6	5	1
6.	बलात्कार (376 आई.पी.सी.)	34	47	41	6
7.	धमकी (506 आई.पी.सी.)	12	43	28	15
8.	दंगे (148/149 आई.पी.सी.)	4	58	19	39
9.	छेड़खानी (294/ आई.पी.सी.)	2	8	5	3
10.	डकैती (392 आई.पी.सी.)	1	1	1	0
11.	केवल अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम	7	47	25	22
12.	अन्य अपराध	13	19	12	7
	कुल योग	**146**	**358**	**216**	**142**

[श्री मनोहर लाल]

अनुबन्ध-घ

पिछड़े वर्ग के विरूद्ध किये गए अपराधों के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरूद्ध की गई कार्यवाही समय अवधि दिनांक 26.10.2014 से 28.02.2015 तक।

क्र.सं.	अपराध का नाम	कुल केस पंजीकृत	अभियुक्तों की कुल संख्या	गिरफ्तार किये गए अभियुक्तों की कुल संख्या	शेष अभियुक्त जिन्हें गिरफ्तार किया जाना बाकी है
1.	हत्या (302 आई.पी.सी.)	5	11	3	8
2.	हत्या का प्रयास 307 आई.पी.सी.)	6	15	5	10
3.	आघात पहुंचाना (323/324/325/ 326 आई.पी.सी.)	37	95	64	31
4.	शील भंग करना (354 आई.पी.सी.)	11	17	15	2
5.	अपहरण (363/ 366 आई.पी.सी.)	5	8	4	4
6.	बलात्कार (376 आई.पी.सी.)	11	15	14	1
7.	धमकी (506 आई.पी.सी.)	6	11	10	1
8.	दंगे (148/149 आई.पी.सी.)	8	54	25	29
9.	अन्य अपराध	9	67	2	65
	कुल योग	98	293	142	151

Demands of Guest Teachers

***407. Sh. Ravinder Singh Baliala :** Will the Education Minister be pleased to state whether any scheme has been formulated by the Government to accept the demands of Guest Teachers togetherwith the time by which their demands are likely to be accepted?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : जी नहीं, श्रीमान्।

Ugradation of PHC

***320. Sh. Nagender Bhadana :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Primary Health Centre in village Pali of NIT Faridabad to the Community Health Centre; if so, the details thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : हां, श्रीमान् जी। दिनांक 18.09.2013 को स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की गई है कि अमले की नियुक्ति केवल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के निर्माण के बाद ही की जायेगी।

To Provide the Water of Ghaghar Nali for Irrigation

***283. Sh. Makhan Lal Singla :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the water of Ghaghar Nali for Irrigation to the villages *i.e.* Mangola, Sahidawali, Ghingtania, Modia, Choburza, Natar, Bajekan and Begu of Sirsa Constituency; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : नहीं, श्रीमान् जी।

To Open a Government College

***375. Sh. Om Parkash :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government Women College in the Siwani Town of Loharu Constituency; if so, the details thereof?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान् जी।

Upgradation of School and Shortage of Science Teachers

***250. Sh. Rajdeep Phogat :** Will the Education Minister be pleased to state–

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Middle School of village Sahwas; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to fill up the vacant posts of Science Teachers in the Government Schools of village Bigowa and Chhapar together with the time by which the said posts are likely to be filled up?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) (i) राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बिगोवा (भिवानी) में विज्ञान अध्यापक का कोई पद रिक्त नहीं है। वहां विज्ञान अध्यापक का एक स्वीकृत पद पहले से ही भरा हुआ है।

(ii) राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, छपार, भिवानी में विज्ञान अध्यापक का एक पद स्वीकृत है और इस समय वहां अध्यापक कार्यरत है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, छपार जोगियां, भिवानी में विज्ञान अध्यापक का एक पद स्वीकृत है और यह पद रिक्त है। समायोजन प्रक्रिया के दौरान यह पद जल्द ही भर दिया जाएगा। राजकीय उच्च विद्यालय, छपार, भिवानी में विज्ञान अध्यापक का एक पद स्वीकृत है और इस पद पर अतिथि अध्यापक कार्यरत है।

Shortage of Doctors

***403. Sh. Balkaur Singh :** Will the Health Minister be pleased to state--

(a) whether it is a fact that there is a shortage of doctors and other staff in Government Hospital of Kalanwali; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to fill up the said posts; and

(b) if so, the time by which the said posts are likely to be filled up togetherwith the details thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) हां, श्रीमान् जी। विभिन्न अस्पतालों में रिक्त पदों को भरने के लिये सरकार द्वारा पहले कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

(ख) नई भर्ती द्वारा जब भी चिकित्सक तथा अन्य अमला उपलब्ध होगा तो उनके रिक्त पदों को भरने के प्रयास कर लिये जायेंगे, जिसके लिये आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

Construction of Sub-Division Building

***447. Sh. Ved Narang :** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Sub-Divisional Administrative Building in Barwala; if so, the time by which the work is likely to be started thereon ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान् जी, उप-मण्डल बरवाला में प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए 16.6 एकड़ भूमि मार्किट कमेटी द्वारा चिन्हित की हुई है। भवन निर्माण बारे हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला द्वारा भूमि राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग के नाम हस्तान्तरण करने उपरान्त मामले में कार्यवाही तुरन्त अमल में लाई जायेगी।

अनुपस्थिति की अनुमति के संबंध में मामला उठाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि मुझे श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, विधायक से एक सूचना प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने किन्हीं निजी कारणों की वजह से दिनांक 13 मार्च व 16 से 17 मार्च, 2015 को सदन की बैठकों में उपस्थित होने में असमर्थता प्रकट की है। यदि सदन की सहमति हो तो उनको उनकी अनुपस्थिति के संबंध में अवकाश प्रदान कर दिया जाये।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य सदन में 1-2 दिनों के लिए नहीं आते हैं तो उसके लिए सदन से ईजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए चाहे आप हरियाणा विधान सभा के रूल्ज़ दिखवा लीजिए। ऐसा करने से एक तो सदन का समय बचेगा तथा एक जो व्यर्थ की प्रक्रिया यहां पर चल पड़ती है * * * * *

श्री अध्यक्ष : यदि सभी माननीय सदस्यों की सहमति है तो नहीं पढ़ेंगे।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में रूल्ज़ में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। कृपया आप रूल्ज़ देख लीजिए। हमारे हरियाणा विधान सभा के रूल्ज़ ऑफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट ऑफ बिजनैस के रूल्ज़ में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि यदि कोई माननीय सदस्य किसी वजह से सदन में नहीं आते हैं तो उसका इस सदन में उल्लेख हो और उसकी सदन से ईजाजत ली जाये। हां, मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य के लगातार 60 दिन उपस्थित न होने के बारे में तो रूल्ज़ में लिखा है। अध्यक्ष महोदय, 60 दिन लगातार तो कभी हमारा सदन चलता ही नहीं है। वैसे तो माननीय सदस्यों को ऐसे अवकाश भेजने की आवश्यकता भी नहीं है तथा इस मामले के बारे में सदन में चर्चा होनी ही नहीं चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

श्री अध्यक्ष : अब माननीय कृषि मंत्री सदन के पटल पर कागज-पत्र रखेंगे।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं क्रम संख्या 1 से 9 से संबंधित कागज-पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

1. बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार विनियम संख्या एच.ई.आर.सी./06/2004/द्वितीय संशोधन, 2014, दिनांकित 1 अगस्त, 2014 के संबंध में हरियाणा बिजली विनियामक आयोग अधिसूचना।

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

2. बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार विनियम संख्या एच.ई.आर.सी./23/2010/तृतीय संशोधन, 2014, दिनांकित 15 जुलाई, 2014 के संबंध में हरियाणा बिजली विनियामक आयोग अधिसूचना।

3. बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार विनियम संख्या एच.ई.आर.सी./27/2014/ दिनांकित 14 अक्तूबर, 2014 के संबंध में हरियाणा बिजली विनियामक आयोग अधिसूचना।

4. बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार विनियम संख्या एच.ई.आर.सी./29/2014/प्रथम संशोधन, 2014, दिनांकित 17 नवम्बर, 2014 के संबंध में हरियाणा बिजली विनियामक आयोग अधिसूचना।

5. बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार विनियम संख्या एच.ई.आर.सी./30/2014 दिनांकित 19 नवम्बर, 2014 के संबंध में हरियाणा बिजली विनियामक आयोग अधिसूचना।

6. बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार विनियम संख्या एच.ई.आर.सी./31/2014 दिनांकित 25 नवम्बर, 2014 के संबंध में हरियाणा बिजली विनियामक आयोग अधिसूचना।

7. भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा लोक सेवा आयोग से संबंधित 1.4.2006 से 31.3.2007 (2006-2007), तक की अवधि के लिए 41वीं वार्षिक रिपोर्ट।

8. भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा लोक सेवा आयोग से संबंधित 1.4.2007 से 31.3.2008 (2007-2008), तक की अवधि के लिए 42वीं वार्षिक रिपोर्ट।

9. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39(2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2011-2012 के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट)।

विभिन्न मामलों को उठाना

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैंने तालाबों के पानी की निकासी के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में दिया था। क्या वह मंजूर कर लिया गया है?

श्री अध्यक्ष : हरियाणा प्रदेश के ज्यादातर गांवों के तालाबों में इकट्ठे हुए गंदे पानी की निकासी का कोई प्रबंध न होने बारे आपने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है जिसको दिनांक 18 मार्च, 2015 को चर्चा के लिए मंजूर कर लिया गया है। (शोर एवं व्यवधान) कर्मचारी विरोधी नीति बारे में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था, वह नामंजूर कर दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की तनख्वाह से संबंधित एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में दिया था। कृपया इस प्रस्ताव के बारे में बतायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संधू साहब, आपका यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं सदन में आश्वासन दिया था कि हमारे दोनों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विचाराधीन हैं तथा इन ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर आप चर्चा अवश्य करवायेंगे लेकिन एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को तो आपने मंजूर कर दिया है जो जरूरी है और अहम भी है तथा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि दोनों ही प्रस्ताव महत्वपूर्ण हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाला जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वह कर्मचारियों के हितों से जुड़ा हुआ मामला है। अध्यक्ष महोदय, बेशक आप इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को भी 18 मार्च, 2015 को ही रख लें लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा अवश्य करवायें। कृपया आप इस प्रस्ताव को नामंजूर ना करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह मामला आप बजट 2015 पर सामान्य चर्चा तथा संबंधित डिमांड पर चर्चा के दौरान उठा सकते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तावों पर चर्चा तो जिस माननीय सदस्य ने करनी है वह तो वे करेंगे ही लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा जरूर करवा लें। यह बड़ा अहम मुद्दा है। कुछ कर्मचारी आपसे मिलकर भी गये हैं और उन्होंने अपनी समस्या भी आपको बताई है। उनको नौकरी से हटा दिया गया वह एक अलग बात है। मैं कहना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। यदि 6-6 महीने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उनके परिवार का गुजारा कैसे चलेगा ? वहां पर नौकरी पर लगे हुए कर्मचारियों को हटा दिया गया और तनख्वाह उनको नहीं दी गई। इन कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा कराने में क्या दिक्कत है ? विघ्न)

श्री जयप्रकाश (कलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर कुछ प्राईवेट यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं तथा उन प्राईवेट यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा डिस्टैंस एजुकेशन के माध्यम से दूसरे स्थानों पर भी केन्द्र खुले हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 2-3 बातें जानना चाहूंगा कि क्या ये प्राईवेट यूनिवर्सिटीज़ हरियाणा सरकार अथवा यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त हैं ? अध्यक्ष महोदय, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इन यूनिवर्सिटीज द्वारा सरकार से अनुमति नहीं ली गई और वे करोड़ों रूपये कमाने का काम कर रही हैं। गरीब लोगों के पंजीकृत बच्चों की फीस हरियाणा सरकार देती है लेकिन इन यूनिवर्सिटीज में फर्जी एडमिशन करके गरीब बच्चों से फीसें डकारने का काम किया जा रहा है। इन यूनिवर्सिटीज की एफीलियेशन खत्म हो गई हैं और वहां स्टाफ पूरा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह विषय इसलिए उठाना चाहता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह कहा था कि हम शिक्षा का स्तर सुधारेंगे।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठिए। माननीय सदस्यगण, करण सिंह दलाल जी का कालिंग अटैंशन मोशन मनुष्य तथा पक्षियों के लिए ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में था जो 19 तारीख के लिए स्वीकृत कर लिया गया है। परमिन्द्र सिंह ढुल जी का शुगर मिल द्वारा गन्ने का भुगतान न किए जाने बारे कालिंग अटैंशन मोशन 20 तारीख के लिए स्वीकृत कर लिया गया है। नैशनल हाइवे अथोरिटी ऑफ इंडिया सोमा कम्पनी की लापरवाही की वजह से करनाल जिले में हुई रोड दुर्घटनाओं के बारे में जो कुलदीप शर्मा जी का कालिंग अटैंशन मोशन था वह विचाराधीन है। पानीपत में कुछ लोगों का आई कैम्प में अपनी आंखों की रोशनी खो देने के बारे में कुलदीप शर्मा जी का जो कालिंग अटैंशन मोशन था उसको 24 तारीख के लिए मंजूर कर लिया गया है।

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, under Rule 21 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly मैंने यह एप्लीकेशन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अमैंडमैंट के लिए दी है अगर आप ईजाजत दें तो मैं इसको यहां पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष : दलाल साइब, आपकी यह एप्लीकेशन अंडर कंसीडरेशन है। अब माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ होगा।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जवाब देने से पहले हमें यह बात रखने की ईजाजत मिल जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बारे में जो कालिंग अटैंशन मोशन दिया है उस पर आप हमें जरूर चर्चा का मौका दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपके कालिंग अटैंशन मोशन पर दोबारा विचार कर लेते हैं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्री अध्यक्ष : कुलदीप शर्मा जी, आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर 7 मिनट में अपनी स्पीच कम्पलीट करें।

श्री कुलदीप शर्मा(गज्जौर) : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे तीन मिनट का ही समय दे दें या आप कोई ऐसा काम करें कि हमें बोलने की परमिशन ही न दें। आपने 7 मिनट कहकर दूसरे सदस्यों को 25 मिनट बोलने का समय दिया है और मुझे 7 मिनट में अपनी बात पूरी करने के लिए कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सदन में काफी तीखी चर्चाएं हुई हैं। विपक्ष सदन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। मैं समझता हूं कि किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष के बिना सदन की कल्पना करना सम्भव नहीं है। (विघ्न) माननीय अध्यक्ष महोदय, कई व्यक्तिगत टिप्पणियां मुझ पर की गई।

अध्यक्ष महोदय, उस कुर्सी पर जहां आप बैठे हैं मैं साढ़े तीन - पौने चार साल तक रहा हूं। अभी भी 6 दिन से सदन चल रहा है क्या एक बार भी कांग्रेस का सदस्य या कोई भी सदस्य सदन की वैल में आया या स्पीकर की तरफ आंख उठाकर देखा। क्या एक बार भी ऐसा हुआ है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा हो कि आप बैठ जाएं और हम न बैठे हों। अध्यक्ष महोदय, यह सदस्य का कंडक्ट होता है। सदन को चलाने की जिम्मेवारी केवल आपकी नहीं है, सदन को चलाने की जिम्मेवारी केवल सत्ता पक्ष की नहीं है बल्कि सदन को चलाने की जिम्मेवारी विपक्ष की भी होती है। उन जिम्मेवारियों का निर्वहन अगर सबने किया होता तो शायद यह परिस्थिति न होती जिन पर बार-बार अंगुली उठाई जाती है। विपक्ष चाहे किसी भी रूप में हो लोकतंत्र में इसका बहुत महत्व होता है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें गवर्नर एड्रैस में कही गई हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या ये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अभी भी इनके दिमाग से यह बात नहीं निकली है कि ये क्या हैं?

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें गवर्नर एड्रैस में कही गई हैं। ये मुझे सिखाएगें कि मुझे किस बात पर बोलना हैं ? (शोर एवं व्यवधान) सदन में इस विषय पर चर्चा न हुई हो तो मैं इस बात पर चर्चा को यहीं छोड़ देता हूं। सदन में इस बात पर बार बार चर्चा हुई है इसीलिए इन बातों का जवाब देना बड़ा आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन नीरस हो जायेगा अगर विपक्ष नहीं होगा। विपक्ष के बिना लोकतंत्र की मर्यादा ही खत्म हो जायेगी। दिल्ली विधान सभा में 3 सदस्य चुनकर आये हैं, आप ही देखिये वहां क्या स्थिति होगी ? अगर विपक्ष अपनी बात कहता है (विघ्न) अभी तक हमारे सत्तापक्ष के सदस्य इस मनोस्थिति से ऊभर नहीं पाये हैं कि वे सत्ता में आ गये और हम विपक्ष में हैं। वे अभी भी उसी तरह टीका-टिप्पणी करते हैं जैसे विपक्ष में हों। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, मैंने विपक्ष को पूरा महत्व दिया है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए विपक्ष के सदस्यों को 4 घंटे 6 मिनट का समय दिया है और सत्तापक्ष के सदस्यों को 3 घंटे 7 मिनट का समय दिया है।

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, मैंने यह कोई आरोप नहीं लगाया कि समय नहीं दिया गया। आपने मुझे समय दिया है इसीलिए मैं अपनी बात कह रहा हूं। इस तरह की बात किसी ने नहीं कही है कि समय नहीं दिया जा रहा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जिस समय कुलदीप शर्मा जी अध्यक्ष थे उस समय विपक्ष के साथियों को बोलने का अवसर ही नहीं मिलता था।

श्री कुलदीप शर्मा : सर, इनकी टीका-टिप्पणी करने की मानसिकता बन गई है। सत्तापक्ष के बहुत से सदस्यों ने अपनी बात कही, हमने बीच में कोई टीका-टिप्पणी नहीं की और आज मैं बोल रहा हूं तो इस प्रकार की स्थिति बनाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आप सदन के कस्टोडियन हैं, यह आपने देखना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नर एड्रैस को प्रदेश की जनता ने इस महान सदन के माध्यम से जानने की कोशिश की है। मैं कह सकता हूं कि इस गवर्नर एड्रैस के बाद हरियाणा के लोगों के अंदर मायूसी का माहौल है। प्रदेश की जनता को सरकार से बड़ी आशाएं थी क्योंकि 168

[श्री कुलदीप शर्मा]

वायदे करके जनादेश लेकर यह सरकार बनी है। लोगों ने समझा न जाने किस प्रकार से सरकार हरियाणा के रूप को और स्वरूप को बदल देगी। परंतु खबर गर्म थी :-

कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी पहुंचे पर तमाशा न था।

क्या हुआ उन वायदों का, जनाब लोगों से जो वायदा किया गया था कि 2000 रुपये बुढ़ापा पैंशन दी जायेगी। अगर चुनाव से पहले यह कहा गया होता कि फेजिज में 2000 रुपये बढ़ाये जायेंगे तो जनता को बात समझ में आती और यह जनादेश नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से पैंशन देने की बात की गई है वह मैं समझता हूं कि हरियाणा की जनता के साथ और जनादेश के साथ धोखा है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मौजूदा सरकार चलाई जा रही है और जिस प्रकार से सरकार में विरोधाभास दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार के कैबीनेट मिनिस्टर्ज के बयान हैं उससे लगता है कि यह एक सरकार नहीं है। मुझे लगता है इसमें 5-7 मुख्यमंत्री हैं और वे सब अपनी-अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे हैं। इससे जनता में गलत मैसेज जा रहा है। एक मंत्री जी का जवाब है कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं हैं। अधिकारी सुन नहीं रहे और यह आरोप मंत्री लगा रहा है। कोई मंत्री यह कह रहा है कि हम तो बेचारे हैं यानि एक मंत्री स्वीकार कर रहा है कि वे बेचारे हैं। इस प्रकार की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी है, यह जनता को पता है और लोग पछता रहे हैं। आज लोग पछता रहे हैं कि हमने जिन आशाओं और वायदों के साथ प्रदेश में सरकार बनाई थी उन आशाओं पर सरकार खरी नहीं उतर रही है। जनाब एक ही रोना रोया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ, पिछले 10 सालों में क्या हुआ ? अरे न जाने पिछले 10 सालों में हरियाणा में क्या-क्या हुआ, कितने मैडीकल कालेजिज बने, कितने पावर हाऊसिज बने, कितनी यूनीवर्सिटीज बनी, कितनी सड़कें बनी ? (शोर एवं व्यवधान) न जाने और कितनी डिवैल्पमैंट हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पीछे देखकर चलता है वह हमेशा ठोकर खाकर गिरता है। माननीय सत्तापक्ष के सदस्यों को समझाये कि अगर आगे बढ़ना है तो हमेशा सामने देखकर चलें। "मुड़-मुड़ कर न देख, मुड़-मुड़ कर न देख" ऐसा ही मैं सत्तापक्ष के साथियों को कहना चाहूंगा। अगर यह बात सत्तापक्ष के समझ में आ जायेगी तो शायद हरियाणा की जनता को कुछ राहत इनके हाथों से मिल जाये वरना विश्वास राख की तरह उड़ता जा रहा है।

वो तो कहते थे कि-

बरसात में बरसेगी मैं, हुई जब बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया।

इस तरह से यह जो सरकार बनी है इसके काम काज को देखकर लोगों की जन भावनाएं बहुत आहत हुई हैं। सर, यह देखने की बात है। मैं नहीं कह रहा हूं कि पिछले 10 साल की कैसी सरकार थी ? हमारे मुख्यमंत्री जी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में अहमदाबाद जाते हैं तो वहां पर पुरजोर आवाज में कहते हैं कि हरियाणा नम्बर-1 पर है लेकिन जब हरियाणा में पहुंचते हैं तो उनके साथी, उनके सहयोगी इस सदन में बैठे हुए माननीय सभासद किस आवाज में बोलते हैं या तो वह बात ठीक थी या यह बात ठीक है। इस तरह की बातों को आज हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है। जनाब, जहां तक लॉ एंड आर्डर की बात है। श्रीमती नैना चौटाला ने सदन में लॉ एंड आर्डर को लेकर crime against women की पोजीशन के बारे में प्रश्न पूछा था कि हरियाणा प्रदेश में

पिछले 4 महीने के दौरान महिलाओं को लेकर अपराध बढ़ा है या नहीं। सरकार की अपनी स्टेटमैंट है लेकिन वास्तविकता से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता और वास्तविकता यह है कि इस सरकार ने प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की प्रॉब्लम पर ज़ोर नहीं दिया। देते भी तो कैसे देते क्योंकि पुलिस की ड्यूटी तो थानों में खाद, बीज़ और दवाईयां बंटवाने में लगी हुई थी। प्रदेश में महिलाओं के बलात्कार की घटनाएं दिन प्रति दिन बढ़ रही हैं। तरह-तरह के अपराधों की संख्या भी दिनोंदिन बढ़ रही है और भी न जाने प्रदेश में कत्ल की कितनी घटनायें हुई हैं? आज हरियाणा प्रदेश का व्यापारी वर्ग भय के माहौल में जी रहा है। अगर सरकार ने लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति पर ध्यान दिया होता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने लॉ एण्ड आर्डर के बारे में क्या किया है? इस सरकार ने लॉ एण्ड आर्डर के बारे में कौन सी नई बात की है? मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र गन्नौर (सोनीपत) में यमुना से रेत की स्मगलिंग हो रही है। क्या यह सरकारी संरक्षण में हो रही है, क्या यह अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है या पुलिस की मिलीभगत से हो रही है यह तो मैं नहीं जानता लेकिन यह स्मगलिंग हो ज़रूर रही है। इसके अलावा यमुना के रास्ते से प्रतिदिन हरियाणा की सैकड़ों गायें उत्तर प्रदेश में भेजी जा रही है और वहां पर उनको काट कर उनका मास बेचा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से इस बात पर जवाब दिया जाना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन कहां चली गई है और सरकार क्या कर रही है? इस बात को भी देखना होगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आपको बोलते हुए आठ मिनट का समय हो गया है इसलिए आप कृपया करके जल्दी वाईंड-अप करें।

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, अगर यहां पर एग्रीकल्चर सैक्टर की बात की जाये तो जिस प्रकार से एग्रीकल्चर सैक्टर के अंदर अगर इज़रॉयल प्रोजैक्ट आया तो उनको हरियाणा प्रदेश में लाने वाले भी हम हैं। हमारे ही प्रयासों से हरियाणा प्रदेश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, रिसर्च इंस्टीच्यूशंज बने, पशुपालन की नई यूनिवर्सिटीज़ बनी, तो ये सब भी हमारी सरकार की ही कल्पना से बने हैं। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस सरकार ने किसानों के हित के लिए क्या किया? जैसा कि आप भी जानते हैं कि एग्रीकल्चर सैक्टर के अंदर पहले किसान की ज़ीरी की फसल पिटी, फिर किसान की आलू की फसल पिटी और इसी प्रकार से किसान की बाज़रे की फसल भी पिट गई और फिर जब अगली फसल की बिजाई के लिए किसान खाद और बीज़ लेने गया तो फिर किसान भी पिटा। क्या यह इस सरकार की एग्रीकल्चर पॉलिसी है? स्पीकर सर, 09 मार्च, 2015 को हरियाणा विधान सभा के इस सत्र की महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से शुरूआत हुई उससे पहले 01 मार्च, 2015 को पूरे प्रदेश में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के कारण खेतों में पानी भर गया और इससे किसानों की फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ लेकिन किसानों के इस नुकसान की भरपाई के लिए इस सरकार ने क्या कदम उठाये? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें तबाह होने के आठ दिन बाद इस सदन में गवर्नर एड्रैस सुनाया गया क्या उसमें इस बात का जिक्र नहीं आना चाहिए था कि मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के कारण जो किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं उनके नुकसान की भरपाई के लिए सरकार क्या करने जा रही है लेकिन इस प्रकार की कोई बात गवर्नर एड्रैस में नहीं आई। जनाब, इसके अलावा मैं को-ऑपरेटिव डिपार्टमैंट के बारे में एक

[श्री कुलदीप शर्मा]

सुझाव देना चाहता हूं। आज लोग कुछ भी कहें लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें सामने देखकर चलना है अर्थात् भविष्य के बारे में सोच कर चलना है इसलिए भविष्य के लिए मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जिस को-ऑपरेटिव सैक्टर के माध्यम से किसान, गरीब लोग और लेबर क्लॉस आगे बढ़े हैं आज वह को-ऑपरेटिव सैक्टर टूटता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि इस को-ऑपरेटिव सैक्टर में सरकार को काम करने की ज़रूरत है। स्पीकर सर, इसी प्रकार आप हरियाणा प्रदेश में पॉवर जनरेशन की बात कर लीजिए। सरकार द्वारा इस समय जो बिजली हरियाणा के उपभोक्ताओं को दी जा रही है और उसके बारे में जो दावे किये जा रहे हैं उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पॉवर जनरेशन के लिए चार-चार पॉवर प्लांट तो हमने लगाये हैं। काम हमने किये हैं और दावा मौजूदा सरकार कर रही है। काम हमने किये हैं लेकिन मौजूदा सरकार उनके ऊपर नाम अपना लगा रही है। (शोर एवं व्यवधान) अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोनीपत में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। यह फ्लाईओवर महज़ दो महीने में ही नहीं बना। मैं यह बताना चाहूंगा कि इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी हमारी सरकार ने ही शुरू करवाया था। इसी प्रकार से अब मैं सी.एम. विंडो के बारे में बताना चाहता हूं कि सी.एम. विंडो एक ऐसी विंडो है जिसके अंदर तो सब कुछ जा रहा है लेकिन उससे बाहर कुछ नहीं आ रहा है। इस सी.एम. विंडो में एम.पी. और एम.एल.ए. तक के नदारद होने की शिकायतें दी गई हैं। इतना ही नहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ भी इस सी.एम. विंडो में शिकायत की गई है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की शिकायतों का निराकरण कौन करेगा? मैं यह कहना चाहता हूं कि सी.एम. विंडो एक बंद विंडो है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ी चतुराई से सभी एम.एल.एज़. को ज़ीरो करने के लिए सारे का सारा आकर्षण सी.एम. विंडो में डाल दिया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आपको बोलते हुए 11-12 मिनट हो गये हैं इसलिए अब आप कृपया बैठ जायें।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, कुलदीप शर्मा जी ने पॉवर जनरेशन की बात कही है मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, ***

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आप कृपया बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) शर्मा जी जो कुछ भी बोल रहे हैं उसे रिकार्ड न किया जाये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर कई सदस्य एक-एक घंटे तक भी बोले हैं इसलिए शर्मा जी को भी बोलने का समय दिया जाये ताकि ये अपनी बात कह सकें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, इनको बहुत टाईम दिया जा चुका है और अब इनका समय समाप्त हो गया है। बाकी सदस्यों को भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महादय, जो सबसे लम्बा सत्र चलाना चाहता है उसको भी ये लोग कहते हैं कि विपक्ष को बोलने के लिए समय नहीं दिया गया। जितना समय विपक्ष को हमारी सरकार में दिया गया है उतना समय विपक्ष को पहले कभी नहीं दिया गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सदन से नेम प्लेट्स हटाई गई हैं * * * *

श्री अध्यक्ष : विपक्ष को बोलने के लिए मैंने 4 घंटे 6 मिनट का समय दिया है जबकि ट्रैजरी बैंचिज को इतना समय नहीं दिया गया है। श्री श्याम सिंह राणा जी आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी चर्चा आरम्भ करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री श्याम सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अभी एक सदस्य ने इस बात का जिक्र किया कि इस सदन में महात्मा गांधी व अम्बेडकर जी की फोटो के नीचे जो नेम प्लेट लगी हुई थी वह हटा दी। सर, हमने हॉस्पिटल के उद्घाटन होते देखे स्टेडियम के देखे, हमने सड़कों के पुलों के निर्माण होते देखे, हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के उद्घाटन और पत्थर लगते हुए देखे लेकिन यह पहली दफा देखा था कि किसी एक बिल्डिंग का रैनोवेशन हुआ और वहां पर अपने नाम की प्लेटें लगा दी रैनोवेशन करना तो सरकार की जिम्मेवारी है। यह केवल यहां ही नहीं है आप शिमला में जाओगे शिमला में भी हमारा हरियाणा का गैस्ट हाऊस बैनमोर है उसमें भी रैनोवेशन के नाम का पत्थर लगा हुआ है उसको भी हटाना चाहिए। वह भी नहीं होना चाहिए रैनोवेशन के नाम पर कैसा पत्थर? रैनोवेशन का मतलब यह है कि अगर कोई बिल्डिंग बनती है अगर उसकी हालत कहीं खराब होती है तो उसमें कोई सुधार किया है तो उसका मतलब यह नहीं है कि उसके नाम का पत्थर लगा दो। अब जैसे अगर ये कारपेट बदला है तो इस पर भी एक पत्थर लगा देते इसमें कौन रोकता है। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने तो उन लोगों के नाम के पत्थर हटाने का प्रयास किया जिन्होंने इस देश की आजादी में अहम योगदान दिया है। चौधरी देवी लाल जी के नाम पर पानीपत के थर्मल प्लांट की दो इकाइयां थी जिन पर चौधरी देवीलाल जी के नाम का पत्थर लगा हुआ था। बिजली का उत्पादन करने के लिए उनके नाम पर औद्योगिक ईकाइयां थी। इनको इस बात की तकलीफ हुई और इन्होंने उनका नाम वहां से हटवा दिया। जब लोगों ने विरोध किया तो फिर इन्होंने खड़े होकर माफी मांगी इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। (विघ्न) इन लोगों का तो देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति भी कोई प्रेमभाव नहीं है, प्यार नहीं है। यह तो केवल मात्र अपने नाम के पत्थर लगा कर और उनको यहां बैठकर पढ़कर खुश होते थे। अध्यक्ष महोदय, आपने वह पत्थर उतरवा दिए उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, सदन से जो नेम प्लेटें हटाई गई हैं उसको सारे सदन ने पारित किया है। वह हाऊस की कन्सैंट थी। ये हाऊस की कन्सैंट का अपमान कर रहे हैं। ये कन्टैम्पट ऑफ हाऊस कर रहे हैं। जो चीज हाऊस ने पारित कर दी ये उसका अपमान कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, मैं यह नहीं कहता कि यह प्लेटें क्यों उतार दी गई ? मैं तो यह कहता हूं कि हरियाणा में और भी ऐसी प्लेटें लगी हुई हैं वह भी उतरवा दो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : सर, यह पवित्र हाऊस है इसमें ये अपनी प्लेटें तो इस प्रकार से लगा कर चले गये कि ये हमेशा यहां पर जिन्दा रहेंगे और आने वाले बच्चे देखें कि कोई भूपेन्द्र सिंह हुड्डा था। उन प्लेटों पर महात्मा गांधी का नाम लगाया नहीं भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का नाम लगा दिया। अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में अच्छे-अच्छे लोगों के नाम की और भी बहुत सारी तस्वीरें लग सकती है। (विघ्न) आप जैसे लोगों की तस्वीरें यहाँ नहीं लग सकती (हंसी) (शोर एव व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का बोलने का तरीका गलत है। (शोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सभी बैठ जाईये। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी बोलने के लिए खड़े हुए हैं उनको बोलने का मौका दें। (शोर एव व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने हाउस में जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूँ कि वह हाउस की मर्यादा के अनुसार नहीं हैं। (शोर एव व्यवधान)

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, कुलदीप शर्मा जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, क्या वह ठीक किया है? इनके शासन काल में 70 हजार करोड़ रूपये का कॉमनवैल्थ गैमों में घोटाला हुआ था। (शोर एव व्यवधान) ये लोग हरियाणा को लूटकर खा गए।

श्री अध्यक्ष : जसविन्द्र सिंह संधू जी, प्लीज बैठ जाईये। (शोर एव व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष नहोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि सजायाफ्ता कौन है? (शोर एव व्यवधान)

श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, सदन सुप्रीम है (शोर एवं व्यवधान) सदन ने फैसला कर दिया कि नेम प्लेट हटा दी जाएँ, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यही कहना है कि जिस किस्म की भाषा का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है वह अशोभनीय है। मैंने यह बोर्ड इसलिए नहीं लगाया था कि मेरा नाम ही सारी उम्र रहेगा या मैं इस बोर्ड की वजह से जिंदा हूँ। आप इस बात की चिन्ता मत करो। अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम तो हरियाणा प्रदेश की जनता के दिलों में है उनके दिलों से कौन निकालेगा ? अनिल विज जी, आपको तो दिन और रात यही सपना आता है और भूपेन्द्र हुड्डा दिखता है तथा 10 सालों का राज दिखाई देता है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है इसलिए कोई विकास करके दिखाओ। (शोर एव व्यवधान)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण --

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा

Shri Anil Vij : Speaker Sir, on a point of personal explanation, Shri Bhupinder Singh Hooda has mentioned my name. (Interruption)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अनिल विज जी ने मेरा नाम मैंशन किया है। मैंने इनका नाम मैंशन नहीं किया। (शोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज जी, प्लीज बैठ जाईये। (शोर एव व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी तो आपकी ही बात नहीं मान रहे हैं इसलिए इनको हाउस से बाहर निकलवाएँ। (शोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अनिल विज जी, प्लीज बैठ जाईये। (शोर एव व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि कुलदीप शर्मा जी कोई स्पीकर नहीं है कि जब चाहे मार्शल बुलाकर बाहर निकलवा देंगे। इस तरह की इनकी कोई बात नहीं मानी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, अभी भी कुलदीप शर्मा जी अपने आपको स्पीकर समझ रहें हैं। (शोर एद व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप बैठ जाईये। नये मैम्बर बोलना चाहते हैं उनको भी मौका दीजिए। (शोर एव व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह कोई सदन चल रहा है? (शोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सभी बैठ जाईये। श्याम सिंह राणा जी आप बोलिये। (शोर एव व्यवधान)

श्रीमती लतिका शर्मा : अध्यक्ष महोदय, (शोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लतिका जी, प्लीज बैठ जाईये। (शोर एव व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरा नाम मैंशन किया है। इन्होंने कहा है कि मुझे हाउस से बाहर निकालो। (शोर एव व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक बार माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जी किसी पागलखाने में चले गये । (शोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, सभी बैठ जाईये। (शोर एव व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि ये पागलखाने से ही आये हुए है (शोर एव व्यवधान)

नियम 64 के अधीन वक्तव्य

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हिसार के कैमरी गांव की घटना के बारे में जानकारी सदन में देना आवश्यक समझता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हिसार जिले के गांव कैमरी में 3-4 साल पहले वहां पर जगदीश तायल वासी बावड़ा, सैक्टर-14, हिसार, जयपाल

[श्री मनोहर लाल]

पुत्र पिरथी पुत्र श्री मंगला राम, जाति जाट और दयानन्द व दयाराम पुत्र हरि सिंह जाति जाट सभी कैमरी वासी ने 7 एकड़ जमीन काटकर राम नगर नाम की एक कॉलोनी काटी थी। फिलहाल उस जमीन पर 9 मकान बने हुए हैं और इसी कॉलोनी में सुभाष मसीह पुत्र श्री श्रीचंद मसीह, गांव रोहड़ा, थाना राजौंद, जिला कैथल ने वर्ष 2008 में एक मकान किराये पर लेकर रहना शुरू किया था। मकान के पास ही जय जी विजय स्कूल के पीछे रामनगर कॉलोनी बनी हुई है। इस कॉलोनी में सुभाष मसीह ने 2 वर्ष पहले 12 लाख रुपये की राशि से 250 गज का प्लॉट खरीदा था। गांव कैमरी ने उसकी जमीन के ऊपर निर्माण शुरू किया उसमें 2 कमरे 1 हॉल बना हुआ है, जिसके दरवाजें व खिड़कियां नहीं लगी है। दिनांक 8.2.2015 को सुभाष मसीह निर्माण के कार्य में लगे हुए 10-12 लोगों को बाईबल का पाठ पढ़ा रहा था। जिस पर हिसार शहर और गांव कैमरी के लोगों ने ऐतराज किया लेकिन गांव के सरपंच ने आकर उनका समझौता करवाया। सुभाष मसीह दिनांक 6.3.15 को अपने घर गया हुआ था और दिनांक 13.3.15 को वापिस आया। उसने गांव कैमरी के 14 लोगों के खिलाफ एक दरखास्त दी और उसकी शिकायत पर थाना सदर हिसार में धार्मिक भवन को प्राप्त करने संबंधी कुछ धाराओं के अनुसार दिनांक 13.3.15 के तहत अनिल गोदारा, दलबीर सिंह, राजकुमार, कुलदीप, सतपाल आदि पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। गांव कैमरी के लोगों ने इस स्थान को जिसे तथाकथित चर्च कहा गया है, अंदरूनी तौर पर इसका विरोध किया, फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है। गांव कैमरी के लोग निगरानी के संबंध में उपायुक्त महोदय, हिसार से मिलने गये। अध्यक्ष महोदय, उमेद सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह युवक ने जो शिकायत दी है, वो मेरे पास मौजूद है। उस युवक ने अपनी शिकायत में कहा है कि मैं गांव कैमरी का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में सुभाष मसीह नाम का व्यक्ति कुछ दिनों से रह रहा है, वह मुझे अपनी मीठी-मीठी बातों में लेकर एक प्रार्थना सभा में लेकर गया और कहा कि यहां पर सब दुख दूर हो जायेंगे और तुम्हारी भी बीमारी दूर हो जायेगी। मैं उनके बहकावे में आकर उसके साथ कमरे में चला गया जहां पर कुछ बैठे हुए लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद वह हमारे भगवानों के बारे में आपत्तिजनक बातें कहने लगा जिसका मैंने विरोध किया। मेरे विरोध करने पर उसने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और मेरे साथ मार पिटाई की। उसने कहा है कि इसकी बातों से मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है कृपा करके इसके खिलाफ कार्रवाई की जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि उसकी यह बात समझा बुझाकर वहीं खत्म की गई, लेकिन अभी रिपोर्ट लिखी गई है कि गांव कैमरी में कोई ईसाई परिवार नहीं है। यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि सुभाष मसीह गांव के अविवाहित लड़कों को ईसाई धर्मांतरण करवा कर शादी करवाने के लिये लालच भी देता था। इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, इस मामले में कानून अपना काम करेगा ताकि यह चर्चा सदन में आए तो इसकी जानकारी सदन को होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो आर.एस.एस. (राष्ट्रीय स्वयं सेवक) का एजेंडा है।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से किसी संगठन पर आरोप लगाना गलत है। अध्यक्ष महोदय, यह कानून व्यवस्था का मामला है। सरकार के खिलाफ इस मामले को ये लोग साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री कुलदीप शर्मा : * * * *

श्री कर्ण सिंह दलाल : * * * *

कैप्टन अभिमन्यु : ये लोग साम्प्रदायिकता के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इनकी मांग के बिना एक साधारण कानून व्यवस्था की घटना का उल्लेख किया है। लेकिन विपक्ष इसे भी साम्प्रदायिक रंग देना चाहता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इनकी बातों को रिकॉर्ड में न लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चेयर की परमिशन के बगैर जो भी सदस्य बोल रहे हैं उनको रिकार्ड न किया जाए।

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुद्दा उठाया है इस विषय पर मैं सदन को बताना चाहूंगा कि कैमरी गांव न केवल मेरे हल्के का गांव है बल्कि यह मेरा अपना पैतृक गांव है। वहां मेरी जमीन है और मेरा उस गांव से बहुत लगाव है। वहां पर एक सुभाष नाम का व्यक्ति है। उसने वहां एक प्लॉट लेकर अपना मकान बना लिया और उस पर क्रॉस का निशान लगा लिया था। अब कुछ ही दिनों में गांव में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के मद्देनजर कुछ लोग अपने आपको एक लीडर के तौर पर दिखाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने आगे आकर इस तरह के धार्मिक मामलों की आड़ लेकर अपने आपको लीडर दिखाने के लिए सुभाष को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह जो निशान लगाया गया है वह गलत है। इसके बाद वे लोग वापस आ गए परंतु हिसार से कुछ लोग जो अपने आपको बजरंग दल के कहते हैं, उन्होंने कहा कि यह चर्च यहां पर नहीं बनना चाहिए और इसे तोड़ देना चाहिए। आज कैमरी गांव में पंचायत हुई है और इसमें हिस्सा लेने के लिए बाहर से भी कुछ लोग आए। गांव के लोगों ने कहा कि गांव के लोगों ने चर्च नहीं तोड़ी है। यह जांच का विषय है कि चर्च को उन लोगों ने तोड़ा है या उसे स्वयं तोड़कर इस मामले को तूल दिया गया है। मैं कैमरी गांव के अंदर गया था। मैंने देखा कि वहां कोई असहज स्थिति नहीं है। वहां पर कोई तनाव नहीं है। गांव के लोग आराम से रह रहे हैं लेकिन मीडिया के माध्यम से जो अपने आपको हिंदू धर्म के ठेकेदार कहने वाले लोग हैं या क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं वे अपने आपको हाइलाईट करने के लिए तनाव क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारा एरिया बहुत शांतिप्रिय एरिया है। उस विवाद से अगर बजरंग दल या दूसरे लोगों का संबंध है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। जिन लोगों ने चर्च तोड़ा है उसकी जांच की जाए कि यह बजरंग दल के लोगों ने तोड़ा है या उन्होंने स्वयं तोड़कर मामले को तूल दिया है। जिन लोगों के खिलाफ गलत केस दर्ज हुए हैं उनको निरस्त किया जाए। जिन्होंने वास्तव में गलत काम किया है या धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में इस बारे में इसलिए जानकारी दी है कि वास्तव में हम लोग प्रदेश में जो इस प्रकार की शान्ति बनी हुई है उसको किसी प्रकार से भंग न होने दें। अगर कोई भी आदमी गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही जरूर होनी चाहिए।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री मनोहर लाल]

प्रदेश में तथाकथित चर्चा का विषय आया है और सारे देश में यह विषय जा रहा है। हम सभी लोग इस सदन में इस प्रकार का वातावरण बनायें कि हम ठीक को ठीक कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे। अगर प्रदेश में किसी प्रकार की ऐसी बदसलूकी किसी के प्रति होती हैं तो वह ठीक नहीं है। हरेक आदमी को स्वतंत्रता है और उसको अधिकार है कि सभी माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में रखें। यह जरूर ध्यान में रखें कि अगर किसी की गलत इन्टैंशन से कोई काम किया जाता है तो इस बारे में सदन की तरफ से भी हमको चैक लगाना होता है। जो जानकारी मैंने यहां बताई है निश्चित तौर से उसकी तहकीकात की जानी चाहिए। हम सब सामाजिक और राजनीतिक लोग हैं इसलिए हम सभी को ध्यान करना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश में शांति का वातावरण बना रहे और इस काम के लिए हमें आप सभी का सहयोग चाहिए।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो अपने विचार प्रकट किए हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस बारे में सदन में सभी पार्टियों की एक कमेटी बनायेंगे जो वहां पर जाकर इस मामले की पूरी जांच कर सके।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता ने इस बारे में पूरी जानकारी दे दी है इसलिए आप अपनी सीट पर बैठ जाईये।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना कोई विषय उठाये अपनी तरफ से सदन को पूरी जानकारी देना उचित समझा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की गम्भीरता इस बात से यह स्पष्ट हो जाती है कि बहुत सारी ऐसी संवेदनशील बातें हैं जो प्रारम्भिक जांच में ही प्रदेश के सामने आ रही हैं। इस बात को यहां पर उल्लेख करना शायद सदन में अच्छा नहीं होगा जिस प्रकार से संस्थाओं का नाम लिया जा रहा है क्योंकि इस एफ.आई.आर. में दो व्यक्तियों के ऐसे नाम हैं जिनका सीधा संबंध कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से भी है। इस प्रकार की सारी बातें न करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस आशय के साथ सदन को जानकारी दी है उसको सम्मान के साथ स्वीकार करके राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)

श्री श्याम सिंह राणा : (रादौर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। स्पीकर सर, आपका हल्का यमुनानगर भी हमारे जिले में पड़ता है इसलिए आपके हिस्से का समय भी मुझे देकर आप मुझे सात मिनट की बजाये 14 मिनट बोलने का समय दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अध्यक्ष जी, हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। इसके लिए मैं सदन को बताना चाहूंगा कि यह हमारे कहने से नहीं हैं बल्कि जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी उस समय उन्होंने 48 कोस का एरिया अपने बैल से जोतकर उसको कृषि योग्य बनाकर उस पर चावल पैदा किया था। यह प्रदेश उस देश का हिस्सा है जिसे भारतवर्ष कहते हैं। दुनिया के अन्दर सबसे ज्यादा खेती की भूमि भारत वर्ष के अन्दर है और यह एक विश्व रिकॉर्ड है। स्पीकर सर, हमारे देश को आजाद होने के बाद जो प्रगति

खेती में होनी चाहिए थी वह नहीं हुई क्योंकि राजनीति का हिस्सा इसके लिए बहुत बड़ा निर्णय करता है। अगर सरदार पटेल जैसे महान पुरूष इस देश की बागडोर सम्भालते तो कृषि का बहुत विकास होता। आज यमुनानगर जिला खेती के मामले में पिछड़ा हुआ है। पिछली सरकार के समय हमारे हल्के से दो विधायक लोकदल पार्टी के थे, एक विधायक कांग्रेस पार्टी का था और एक विधायक बहुजन समाज वादी पार्टी का था। उन सभी ने एक वक्तव्य दिया था कि या तो यमुनानगर जिले को उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाए या फिर हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाए। इस जिले में पिछली सरकार के समय में केवल 27 कार्य हुए जबकि दूसरे जिलों में 1100 से भी ज्यादा कार्य हुए। अध्यक्ष महोदय, आप हमारे जिले में पब्लिक हैल्थ विभाग में जो ट्यूबवैल आपरेटर्ज लगाये गये हैं आप उनका सर्वे करा लें, वहां पर जो ट्यूबवैल आपरेटर्ज लगाये गये हैं वे बाहर के जिलों के लगाये गये हैं। वे वहां ट्यूबवैल चलाने के लिए नहीं बल्कि महीने में एक दिन तनख्वाह लेने के लिए आते हैं। इस बारे में मैं अपने अनुभव की एक बात सदन में बताना चाहूंगा। एक दिन मैं रात के समय में सड़क पर जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक व्यक्ति मिला मैंने गाड़ी की खिड़की खोलकर उस व्यक्ति से पूछा यहां कहां हो तो वह कहने लगा डट जा तो यह भाषा यमुनानगर की तो नहीं है यह भाषा कहां की है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं तो वह कहने लगा कि मैं यहां पर ट्यूबवैल आपरेटर हूं जो मन्सूरपुर गाँव में चलता है तो फिर मैंने कहा कि आप कहां रहते हो तो उसने कहा कि मैं तो महीने में एक दिन तनख्वाह लेने के लिए ही यमुनानगर आता हूं। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि छोटे छोटे ट्यूबवैल्ज़ ओपरेटर्ज भी यमुनानगर के नहीं हैं। हमारा क्षेत्र यमुना दरिया के पास पड़ता है, वहां के किसानों के ट्यूबवैल्ज़ बाढ़ के समय यमुना में चले गये और उनकी सुनवाई पिछली सरकार के समय में नहीं हुई। चार-चार महीनों के बिजली के बिल सरकार द्वारा उनकी तरफ बनाए गए हैं जबकि उनके ट्यूबवैल्ज़ भी नहीं रहे थे। 4 साल के बाद बिजली विभाग ने उन किसानों से बिल अदायगी के लिए कहा। इस पर उन्होंने कहा कि हमारे ट्यूबवैल तो यमुना नदी में चले गये हैं इसलिए हम बिजली के बिल की अदायगी कैसे करें ? सरकार की तरफ से बाकायदा इसका सर्वे हुआ तथा पाया गया कि वास्तव में वे ट्यूबवैल यमुना नदी में चले गये थे। आज हम सदन के अंदर उन किसानों की आवाज उठाना चाहते हैं इसलिए मेरी सरकार से माँग है कि उन ट्यूबवैल्ज़ के बिजली के बिल वापिस होने चाहिएं। यमुना नदी पर एक सहारनपुर वाला पुल है। गुमथला, जठलाना आदि गाँवों के किसानों को यमुना नदी में बाढ़ की वजह से साढ़े चार घण्टे यमुना नदी में से होकर अपने खेतों में जाने के लिए लग जाते हैं और साढ़े चार घण्टे ही यमुना नदी में से होकर वापिस आने में लग जाते हैं। इस प्रकार से 9 घण्टे का समय तो उनका सफर में ही बीत जाता है तथा उनके पास खेत में काम करने का समय ही नहीं बचता है। मैं एक बात और सदन को बताना चाहूंगा कि वहां पर उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ एक बहुत बड़ा बाँध उत्तर प्रदेश की सरकार ने बना लिया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के अंदर यदि पिछला इतिहास देखें तो पता चलेगा कि 11 गाँव बेचिराग हो चुके हैं जो यमुना नदी के अंदर समा गये हैं। इसके अतिरिक्त कोई और गाँव भी यमुना नदी में न समा जाये इस बात की हमें चिंता है। किसानों की हजारों एकड़ भूमि का बहुत बड़ा एरिया यमुना नदी के पार उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। वहां पर बिजली के खम्भे पत्थर के लगाये जाते हैं जो यमुना नदी में बह जाते हैं। किसान अपने आप उन खम्भों को लगाते हैं और बिजली ले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि यह क्षेत्र आपके विधान सभा क्षेत्र में भी पड़ता है, वहां पर टॉवर वाले बिजली के खम्भे लगवाये जायें ताकि बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से चल सके और किसान को फायदा हो सके। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बाढ़ पर बहुत चर्चा हुई इसलिए इस

[श्री श्याम सिंह राणा]

विषय की ओर भी मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहूंगा कि बाढ़ की इस गंभीर समस्या का परमानैंट समाधान क्या हो ? आखिर हम भी किसान हैं। खेतों में बारिश का पानी आ जाता है तथा फसल को बर्बाद कर देता है। अध्यक्ष महोदय, हम ने इस समस्या से निपटने के लिए सबमर्सिबल और कैप्टी के छोटे-छोटे बोर करवाये जिनको 250 फुट गहरे ले जाकर छोड़ दिया गया परिणामस्वरूप आज हमारे गाँव के अंदर एक भी एकड़ जमीन की फसल पानी से नहीं मरी क्योंकि ऐसा करने से सारा पानी जमीन में चला गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार बरसाती नालों की तरफ भी ध्यान दे तथा उनको चलाया जाए। जो बरसाती नाले हैं उनके बहाव को मोड़ दिया गया है। इनके नाम से ही पता चलता है कि ये बरसात के समय में काम आयेंगे। इन बरसाती नालों को चलाने से यह लाभ होगा कि गाँव का पानी आस-पास के बरसाती नाले में जा सकता है और वहां सफाई हो सकती है। इसलिए उन बरसाती नालों का बहुत महत्व है। इसके अलावा जहां गाँव में पानी की निकासी नहीं है, वहां पर ट्रीटमैंट प्लांट लगाए जाएं, जमीन के अंदर बोर करने से साफ पानी जमीन के अंदर चला जायेगा, उससे जमीन की रिचार्जिंग भी होगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां यमुना नगर के अंदर बहुत भीड़भाड़ है तथा इस समस्या के समाधान के लिए एक मास्टर-प्लान भी तैयार है, उसके लिए यदि पैसा मिल जाये तो यमुनानगर की भीड़ की समस्या हल हो जायेगी। इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बिलासपुर रोड़ के ऊपर जो दादुपुर-नलवी नहर का हैड है वहां से लेकर जोड़ियाँ तक के एरिया की सड़क को यदि 4-लेन कर दिया जाये तो यमुनानगर की भीड़ कम हो जाएगी। जिला यमुनानगर के अंदर 4 विधान सभा क्षेत्र पड़ते हैं। 42 गाँव यमुनानगर नगर निगम के अंदर तो आ गये हैं लेकिन इनके अंदर जो कॉलोनियाँ हैं वे अवैध हैं। यदि कामी माजरा व रायपुर गाँवों में हम जाकर देखें तो वहां का जीवन नारकीय जीवन है। मैंने अपने सांसद महोदय श्री राजकुमार जी का भी वहां दौरा करवाया था। श्री राजकुमार जी ने दौरे के दौरान कहा था कि इस धरती पर यदि कहीं नर्क है तो वह गाँव कामी माजरा व रायपुर के अंदर है। वहां पर गलियों से पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सरकार बनने के एक महीने बाद ही वे यमुनानगर में गये तथा उन्होंने वहां जाकर आम जनता की सुध ली तथा पानी की निकासी के लिए पानी के ट्रीटमैंट प्लांट की मंजूरी दी, बाई-पास बनाने के लिए मंजूरी दी तथा हमारे यहां रादौर के अंदर एक कॉलेज मंजूर किया जो बहुत वर्षों से हमारी मांग चली आ रही थी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यमुनानगर से जब कोई सवारी, कार या गाड़ी इत्यादि सड़क के रास्ते हमारे क्षेत्र रादौर की तरफ आती है तो खड़-खड़ की आवाज शुरू हो जाती है। मैं एक बात विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में हमारे यमुनानगर व रादौर के अंदर शादी-विवाह के लिए लोगों के रिश्ते होने बंद हो गये थे क्योंकि सड़कों की इतनी बुरी हालत थी कि इन सड़कों पर कब ट्राली पलट जाये, कब ट्रक पलट जाये, किस व्यक्ति की कब मृत्यु हो जाये, कुछ कह नहीं सकते थे। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि आज इस महान सदन के अंदर इस क्षेत्र के विकास के लिए हम जो आवाज उठा रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दिया जाये। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि पशुपालन के क्षेत्र में जो 5 गायों की डेयरी का सिस्टम हमारी सरकार ने बनाया है, वह बहुत अच्छी बात है लेकिन हमारे गाँव, देश व प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा विदेशी नस्ल की गायें हैं उनका क्या किया जाये ? मैं सुझाव देना चाहूंगा कि उनसे देशी बच्चे पैदा करवाये जायें। इस प्रकार से यदि हम लगातार तीन पीढ़ी तक उनसे देसी बछ्वे लेते रहेंगे तो उन गायों की नस्ल देसी हो जायेगी तथा वह भी ढांठ वाली गाय हो जाएगी। गाय

हमारी माता है और इसके चारे में जहर भी दे दें तो भी इसके दूध में जहर नहीं होता। ऐसा कोई और पशु नहीं है इसलिए इसका पालना बहुत जरूरी है और इसकी हत्या बंद होनी चाहिए। गाय से हम किसान की पैदावार डेयरी के क्षेत्र में भी बढ़ा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके हल्के में जो खनन की बात है इसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। एक बार मैं यमुना के खेलों की तरफ जा रहा था तो एक किसान अपने खाले को ठीक कर रहा था तो मैंने उससे कहा कि तुम अपने खाल को ठीक करके क्या करोगे तो वह कहने लगा कि इसमें ट्यूबवैल का पानी चलेगा। मैंने कहा कि तुम इसको ठीक क्यों करते हो तो उसने कहा अगर मैं इसकी सफाई नहीं करूंगा तो इसका पानी इधर उधर निकल जाएगा और मेरे खेत तक नहीं जाएगा। आज मैं सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि अगर यमुना की सफाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि पानी इधर उधर निकलेगा ही और आस पास के किसानों का नुकसान करेगा इसलिए यमुना का खनन सरकारी तौर पर होना बहुत जरूरी है। यह इसलिए जरूरी नहीं है कि हम पर्यावरण बिगाड़ते हैं बल्कि यह मानवता के लिए भी जरूरी है। बाढ़ का पानी यमुना में चला जाए और उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए इसलिए खनन हर साल होना जरूरी है। यह खनन प्रशासन की देखरेख में ही होना चाहिए। यह खनन दिन में होना चाहिए क्योंकि रात को चोरी होती है यह सब जानते हैं। चोरी का पैसा कहां जाता है, चोरी का पैसा किसी की जेब में जाता है और उस पैसे से प्रदेश का कोई विकास नहीं होता इसलिए जरूरी है कि जहां पर चोरी होती है उसका समाधान होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारों के समय में हमने खनन को खुलवाने के लिए बहुत जोर लगाया और बड़ा संघर्ष किया। अध्यक्ष महोदय, अब हमारी सरकार है इसलिए इस बारे में आप अच्छी तरह देखकर इस खनन को खुलवाएं। मैंने मजदूर संघ की एक बैठक ली थी तो एक छोटा मजदूर कहता है कि राणा जी, यह खनन खुलवा दो तो मैंने कहा था कि क्या तुम इसका ठेका लोगे तो वह कहने लगा कि हमारा रोजगार खत्म हो गया है। वह कहने लगा कि अगर मकान बनेंगें, बजरी आएगी, रेत आएगी तो हमें दिहाड़ी मिलेगी इसलिए खनन जरूरी है। जहां हम रोजगार की बात करते हैं तो खनन से हमें रोजगार मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषिप्रधान देश है और आप जानते हैं कि यहां बहुत सी सरकारें बनीं। यहां हमारे पुराने साथी तानाशाही प्रवृत्ति दिखाना चाहते हैं। हमारे कांग्रेस के साथी जानते हैं कि देश को 18 महीने की इमरजैंसी इनकी पार्टी ने ही दी थी। अध्यक्ष महोदय, उस इमरजैंसी में क्या हुआ था इस बारे में आप भी जानते हैं। जो ये किसानों का मसीहा होने का दम भरते हैं, सबसे पहले इन्होंने चरण सिंह की सरकार को खत्म किया था। वह किसानों का सबसे बड़ा नेता था। चौधरी देवीलाल जी कांग्रेस छोड़ने को मजबूर हुए, चौधरी बंसीलाल जी कांग्रेस छोड़ने को मजबूर हुए, भजनलाल जी कांग्रेस छोड़ने को मजबूर हुए और अब भाई जय प्रकाश बरवाला जी कांग्रेस छोड़ने को मजबूर हुए। बहन प्रेम लता जी यहां बैठी हुई हैं, वीरेन्द्र सिंह जी कांग्रेस छोड़ने को मजबूर हुए। अगर इनका तानाशाही रवैया न होता तो ये सारे योग्य व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी में होते। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इस देश में क्षेत्रवाद, परिवारवाद और भाई भतीजावाद कांग्रेस की देन है। देश में जो प्रधानमंत्री बने वे लगातार इस परिवार से बने। हमारे देश में भाई-भतीजावाद और परिवारवाद कांग्रेस की ही देन है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपके हल्के में जो ट्रालियों के मालिक हैं, वे आज खनन न होने की वजह से बेरोजगार हैं इसलिए आप खनन को खुलवाएं ताकि इससे जुड़े सभी लोगों को रोजगार मिल सके।

डॉ. पवन सैनी (लाडवा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अभिभाषण में जो हरियाणा सरकार का विजन दर्शाया गया है उससे मैं आशान्वित हूं। यह अभिभाषण हरियाणा की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा ऐसी मुझे उम्मीद है। अब क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद समाप्त होने के साथ अमीर-गरीब, मालिक-मजदूर, विद्यार्थी-अध्यापक, युवा- बुजर्ग तथा पुरूष-महिलाओं में सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा हो सकेगा। पिछली सरकारें खिलाड़ियों को पदक जीतने के बाद इनाम देने तक सीमित थी लेकिन मैं हमारे खेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानन्द जी की जयंती पर नई खेल नीति की घोषणा की है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिमा/क्षमता को उभारने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा गया है और उनके लिए बीमा योजना का प्रावधान खेल नीति में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने हरियाणा में पहली बार एग्री लीडरशिप समिट सम्मेलन का आयोजन लेजर वैली, गुड़गांव में करवाया है जिससे प्रदेश में होर्टिकल्चर, फ्लोरीकल्चर और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा मिलेगा इसके लिए मैं माननीय कृषि मंत्री जी को पुन: बधाई देता हूं। हर घर हरियाली की कल्पना के तहत वनीकरण को प्रोत्साहन दिया गया है जिसके तहत नीम, शीशम, रूहेड़ा और बकाण के पौधारोपण को प्रोत्साहन दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के से संबंधित कुछ मांगों के बारे में अनुरोध करना चाहता हूं। मेरे हल्के लाडवा में धान और गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है इसके अतिरिक्त आलू, गन्ने की भी बम्पर खेती की जाती है। मेरे हल्के के किसान शाहबाद कोआपरेटिव शूगर मिल में गन्ने की सप्लाई करते हैं इसलिए मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि शाहबाद कोआपरेटिव शूगर मिल की कैपेसिटी बढ़ाई जाये ताकि वहां के किसानों को गन्ना सप्लाई में कोई परेशानी न हो। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया मेरे हल्के में आलू की भी काफी खेती की जाती है इसलिए वहां आलू पर आधारित कोई प्रोसैसिंग यूनिट लगाई जाए ताकि वहां के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में गौ संवर्धन को बढ़ावा देने की भी बात की गई है जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। अब हमारे प्रदेश में देसी नस्ल की साहिवाल गायों की यदि कोई डेयरी करना चाहता है तो पांच गायों की डेयरी पर 50% की सबसिडी दी जायेगी जिससे देसी गायों को पालने का चलन बढ़ेगा। सरकार ने पशुपालकों की तरफ विशेष ध्यान दिया है और पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ब्लॉक स्तर पर मोबाईल वैन की व्यवस्था की जायेगी जो कि हमारी सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जो आवारा गायें शहरों और गांवों में घूमती हैं उनके लिए अभ्यारण्य की स्थापना की जायेगी जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि हमारी गऊशालाओं में गायों का जो मूत्र है, दूध है, गोबर है उससे औषधियां निर्मित होती हैं, उसके लिए छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा तो बहुत ही साहसिक कदम होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आम जन से जुड़ने वाले व्यक्ति हैं। आम जन उनसे सीधी बात कर सकें और अपने दुख-तकलीफों के बारे बता सकें, इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने सी.एम. विंडो की शुरूआत की है जिसके परिणाम भी सराहनीय आ रहे हैं। इसी तरह से करप्शन पर लगाम लगाने के लिए ई-रजिस्ट्रेशन और ई-स्टैम्पिंग की शुरुआत की गई है जो कि बहुत ही सराहनीय कदम हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि अब प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म होगा। अध्यक्ष महोदय, ग्राम लैवल पर सचिवालय की परिकल्पना मुख्यमंत्री जी का बहुत ही सराहनीय कदम है। ग्राम सचिवालयों की स्थापना

16.00 बजे

होने पर गांव के लोगों को सभी सुविधाएं गांव के लैवल पर ही उपलब्ध हो जायेंगी जिससे उनका समय बचेगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में बात करना चाहूंगा और शिक्षा मंत्री जी को बधाई भी देना चाहूंगा कि वे नई शिक्षा नीति लेकर आये हैं। पिछली सरकार के समय में 1 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा समाप्त करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया गया। यही वजह रही कि हमारे प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बहुत गिर गई थी। माननीय शिक्षा मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने आते ही 1 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की मासिक परीक्षा आरंभ कर दी है। इससे हमारे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अवश्य सुधार होगा। अध्यक्ष महोदय, लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जब हम गांव में जाते थे उस समय 8वीं कक्षा का एक अध्यापक मुझे मिला। मैंने उससे पूछा कि बगैर परीक्षा के बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा ? यह किस प्रकार का सिस्टम है ? उसने मुझे कहा कि डाक्टर साहब यदि 1 मार्च को कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन ले लेता है तो 31 मार्च को उसे हमें पास करना पड़ेगा। मैंने पूछा बच्चा पेपर कैसे पास करेगा तो उसने बताया कि एक हफ्ते पहले हम बच्चों को पेपर बता देते हैं और वे उसको पढ़कर आ जाते हैं। मैंने उसको कहा कि 1 हफ्ते पहले पेपर पढ़ने से तो बच्चे 100 प्रतिशत नम्बर लेते होंगे। इस पर उस अध्यापक ने मुझे बताया कि डाक्टर साहब बच्चे पास ही बड़ी मुश्किल से होते हैं। इस बारे में सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो यह है कि शुरूआती कक्षाओं में पढ़ाई की सही व्यवस्था के अभाव में बच्चों के बौद्धिक स्तर का समुचित विकास न होने के कारण आज हालात इतने बदतर हो गये हैं कि बच्चे किताबों से नकल करके भी सही तरीके से परीक्षा नहीं दे सकते। अगर किताब में किसी प्रश्न के उत्तर के लिए "कृपया पेज नम्बर 44 देखें" लिखा हो तो वे उत्तर पुस्तिका में भी यही लिख देंगे अर्थात बच्चों में नकल करने की भी काबिलियत नहीं है। इस प्रकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आठवीं तक की कक्षाओं का वातावरण खराब करने का कार्य पिछली सरकार द्वारा किया गया है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जो उन्होंने आठवीं की कक्षा में बोर्ड की व्यवस्था की है क्योंकि जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो हमारे समय में पांचवीं और आठवीं की कक्षाओं की बोर्ड की परीक्षायें हुआ करती थी। इस प्रकार से बोर्ड की परीक्षाओं के वर्ष में घर परिवार वाले कहीं रिश्तेदारी और कहीं पर शादी में जाने से मना करते थे और कहते थे कि इस बार तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम हैं इसलिए उनकी तैयारी करो। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय कड़े कम्पीटीशन का ज़माना है और आठवीं की कक्षा में ही बच्चे की पढ़ाई के मामले में अच्छी नींव बनती है और अगर उसकी नींव आठवीं में ही अच्छी नहीं बनेगी तो फिर वह 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में साईंस का विद्यार्थी कैसे बनेगा? आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो बोर्ड की परीक्षाएं दोबारा से शुरू की गई हैं इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं। स्पीकर सर, जैसा कि यहां पर बताया गया कि हमारे हरियाणा प्रदेश में 26 सरकारी महिला महाविद्यालय हैं और इसी प्रकार से 35 प्राईवेट महिला महाविद्यालय हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे हल्के के अंदर लड़कियों का कोई भी कालेज नहीं है। यहां तक कि लाडवा विधान सभा क्षेत्र में सबसे छोटे से छोटा संस्थान आई.टी.आई. भी नहीं है, पॉलिटैक्नीकल कालेज तो बहुत दूर की बात है, इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे लाडवा विधान सभा क्षेत्र में आई.टी.आई. संस्थान खोलने का मेरा निवेदन स्वीकार किया जाये। इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में लड़कियों का कालेज खोलने का मेरा निवेदन भी स्वीकार किया जाये। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जो कि हमारे खेल मंत्री भी हैं उन्होंने यहां एक बात कही है कि वे हरियाणा में जितने भी स्वास्थ्य केन्द्र हैं इस साल के अंत तक वे उनमें कोई भी रिक्त पद नहीं रहने देंगे। इस प्रकार से उन्होंने इसके

[डॉ. पवन सैनी]

लिए सभी को इस सदन में आश्वस्त किया है कि वे सभी स्वास्थ्य केन्द्रों की सभी रिक्तियों को इस वर्ष के अंत तक भर देंगे। इस बात को चाहे हमारे विपक्ष के साथी न माने लेकिन मैं अपनी तरफ से माननीय मंत्री जी को उनके इस प्रयास के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। इसी प्रकार से उन्होंने प्रदेश के हर गांव में व्यायामशाला और योगशाला खोलने का भी निर्णय किया है। इससे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का जो "स्वच्छ हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा" का सपना है उसको साकार करने में मदद मिलेगी और हमारा हरियाणा प्रदेश स्वच्छ और स्वस्थ बनेगा। इसी प्रकार से जो पिछली सरकार द्वारा स्टेडियम खोल दिये गये वे नाम मात्र के स्टेडियम बनकर रह गये क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है जिससे वहां पर किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होती। इनको भी पूर्ण करने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जायेगा। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में 10 नये जनरल हॉस्पिटल, 12 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 12 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया जायेगा। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि लाडवा में जो सी.एच.सी. है उसमें चिकित्सकों की कमी है वह तो हमें उम्मीद है कि जल्दी ही दूर हो जायेगी लेकिन इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस सी.एच.सी. में किसी भी चिकित्सीय पद्धति का कोई स्पैशलिस्ट नहीं है। वहां पर न तो पीडियोट्रीशन है, न ओर्थोपैडिक्स है और न ही कोई सर्जन है इसलिए वहां पर सभी स्पैशलिस्ट की नियुक्ति की जाये। ऐसे ही वहां पर कोई अल्ट्रासाऊंड मशीन भी नहीं है मैं यह चाहता हूं कि वहां पर अल्ट्रासाऊंड मशीन भी लगवाई जाये। इसी प्रकार से मैं अपने हल्के के क्षेत्र पिपली के बारे में बात करना चाहूंगा। जो कुरुक्षेत्र हमारा धर्मक्षेत्र है जिसे हमारी हरियाणा सरकार और माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने विश्व स्तर पर अर्थात विश्व के मानचित्र पर पहचान दिलवाने का काम शुरू किया है पिपली उसका प्रवेश द्वार है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पिपली के लिए भी सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता और विशेष रूप से सुंदरता के ऊपर ध्यान देने के लिए विशेष पैकेज दिया जाये। स्पीकर सर, इसी प्रकार से अगर जी.टी. रोड़ पर जो दुर्घटना हो जाती है तो उसके घायलों को एल.एन.जे.पी. हॉस्पिटल, कुरुक्षेत्र लेकर जाया जाता है वहां जाने में उनको कम से कम एक घंटे का समय लग जाता है और वहां पर डॉक्टरों द्वारा सामान्य चैक-अप के बाद उनको तुरंत पी.जी.आई., चण्डीगढ़ के लिए रैफर कर दिया जाता है। इसी प्रकार की परिस्थितियों का सामना दूसरे मरीज़ों को भी करना पड़ता है। पिपली के अंदर जो हमारी पी.एच.सी. है वह थाने के साथ ही है पहली बार देखने में तो यही पता नहीं चलता कि पी.एच.सी. कौन सी है और थाना कौन सा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि पिपली में जो हमारी पी.एच.सी. है उसको सी.एच.सी. का दर्जा दिया जाये और वहां पर सारी की सारी मूलभूत सुविधायें जल्दी से जल्दी मुहैया करवाई जायें जिससे गम्भीर रूप से घायलों और मरीज़ों को सामान्य चैक-अप के लिए एल.एन.जे.पी. हॉस्पिटल, कुरुक्षेत्र न जाना पड़े और अगर उनको पी.जी.आई., चण्डीगढ़ के लिए ही रैफर किया जाना ज़रूरी हो तो यह प्रक्रिया पिपली में ही पूरी हो जाये जिससे उनका कीमती समय बच सके और उन्हें समय पर सही ईलाज प्राप्त हो जाये। मैं एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने श्रीकृष्ण आयुर्वेदिक कालेज में श्रीकृष्ण आयुष विश्वविद्यालय बनाने की जो घोषणा की है मैं इसके लिए उन्हें पूरे हरियाणा के आर्युवैदिक चिकित्सकों की तरफ से बधाई देता हूं। इससे इस विश्वविद्यालय के अंदर सभी ग्रेजुएट्स सभी विषयों की एम.डी. और एम.आर.ए. कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जो लाडवा विधान सभा क्षेत्र है उसमें कुछ हिस्सा पूर्व थानेसर विधान

सभा क्षेत्र का है और कुछ हिस्सा रादौर विधान सभा क्षेत्र का है। इसलिए जब भी किसी प्रकार के विकास की बात आती थी तो वह विकास लाडवा के बजाए कुरूक्षेत्र में हो जाता था और बाबैन के बजाए रादौर में हो जाता था। इसलिए मेरा लाडवा विधान सभा क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ा रहा और पिछड़ता ही चला गया। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार कुरूक्षेत्र से सहारनपुर रोड़ पर लाडवा में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि लाडवा के लिए बाई-पास बनाने का मेरा निवेदन स्वीकार किया जाये। दादूपुर नलवी नहर हालाँकि पूरी नहीं हुई है लेकिन जहाँ तक बनी हुई है उसको टेल एंड मान कर वहाँ से मेरे एरिया के लिए एक माइनर निकाली जाये जिससे कि वहाँ पर भूमिगत जल का स्तर कुछ ऊपर आ सके और किसानों को उसका लाभ मिल सके। इसी प्रकार से पिपली से लेकर यमुनानगर तक का रोड है उसको फोरलेन बनाने का मेरा अनुरोध स्वीकार करें। इसी प्रकार से राक्षी नदी का काम बीच में अटका हुआ है उसको पूर्ण करवाया जाये जिससे किसानों की फसल बर्बाद न हो। इसी प्रकार से मेरा निवेदन है कि लाडवा में एक हुड्डा सैक्टर फ्लौट किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को वाइंड-अप करते हुये एक बात और कहना चाहता हूँ कि विधान सभा सत्र के दौरान बारिश में विधान सभा के बाहर हमारे पुलिस के जवान ड्यूटी देते हैं लेकिन उनके लिए बारिश और धूप से बचने का कोई इंतजाम नहीं है और न ही खाने-पीने व शौचालय के लिए कोई जगह है। हमारा पी.ए. तो साथ आ जाता है वह तो कैंटीन का लाभ ले सकता है लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उनके लिए कोई शैड वगैरह की, शौचालय की तथा चाय-पानी की भी व्यवस्था की जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब मैं सदन के वर्तमान सत्र के दौरान किये जाने वाले विभिन्न कार्यों के बारे कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय की गई समय सारणी सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

समिति की बैठक सोमवार, 16 मार्च, 2015 को 1.30 बजे मध्याहन-पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई। कुछ चर्चा के पश्चात् समिति ने सिफारिश की कि 17, 18, 19, 20, 24 तथा 25 मार्च, 2015 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगा :-

मंगलवार, 17 मार्च, 2015	1. प्रश्न काल।
(10.00 बजे प्रात:)	2. वर्ष 2015-2016 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना।
बुधवार, 18 मार्च, 2015	1. प्रश्न काल।
(10.00 बजे प्रात:)(प्रथम बैठक)	2. नियम 121 के अधीन प्रस्ताव।
	3. वर्ष 2015-2016 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा।

[श्री अध्यक्ष]

बुधवार, 18 मार्च, 2015 (2.30 बजे मध्याह्न-पश्चात्) (दूसरी बैठक)	1. विधान सभा समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 2. वर्ष 2015-2016 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण।
वीरवार, 19 मार्च, 2015 (10.00 बजे प्रात:)	1. प्रश्न काल। 2. गैर-सरकारी कार्य।
शुक्रवार, 20 मार्च, 2015 (10.00 बजे प्रात:)	1. प्रश्न काल। 2. वर्ष 2015-2016 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण तथा वर्ष 2015-2016 के लिए बजट अनुमानों पर वित्त मंत्री द्वारा उत्तर।
शनिवार, 21 मार्च, 2015	छुट्टी।
रविवार, 22 मार्च, 2015	छुट्टी।
सोमवार, 23 मार्च, 2015	छुट्टी।
मंगलवार, 24 मार्च, 2015 (2.00 बजे मध्याह्न-पश्चात्)	1. प्रश्न काल। 2. वर्ष 2015-2016 के लिए बजट अनुमानों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।
बुधवार, 25 मार्च, 2015 (10.00 बजे प्रात:)	1. प्रश्न काल। 2. निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव। 3. अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव। 4. रखे जाने वाले कागज-पत्र, यदि कोई हो। 5. विधान सभा समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 6. वर्ष 2014-2015 के लिए अनुपूरक अनुमानों (दूसरी किस्त) के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक। 7. वर्ष 2015-2016 के लिए बजट अनुमानों के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक। 8. विधान कार्य। 9. कोई अन्य कार्य।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अगर 18 मार्च, 2015 को डबल सीटिंग है तो लंच की व्यवस्था यहीं पर करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : हाँ जी, 18 मार्च को 2 :00 बजे से 2 :30 बजे तक लंच की व्यवस्था विधान सभा में ही कर दी गई है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार हाउस में कहा था कि सदन का सत्र लम्बा चलायेंगे। यह बजट सत्र है, हालाँकि सरकार ने एक दिन के लिए बजट सत्र की अवधि बढ़ा दी है। स्पीकर सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि पूरा मार्च का महीना सैशन चलाया जाए क्योंकि अभी बारिश के दिन बने हुए हैं। इस समय यह पता नहीं चल पाएगा कि किसानों का कितना नुकसान हुआ है।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : स्पीकर सर, माननीय सदस्य अपने ज्ञान का लाभ बार-बार आपको भी देते हैं और पूरे सदन को भी दे रहे हैं। बिजनैस एडवाईजरी कमेटी के सभी प्रतिनिधियों ने विचार करके ही निर्णय लिया है कि सैशन कितने दिन चलाया जाए और उस रिपोर्ट को सदन के सामने रखा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : अब कृषि मंत्री यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों से सहमत है।

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ-

> कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों से सहमत है।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

> कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों से सहमत है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

> कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों से सहमत है।

प्रस्ताव पारित हुआ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, यह परिपाटी बहुत लम्बे समय से चली आ रही है कि जब बजट सैशन हो तो जो कैग की रिपोर्ट होती है वह गवर्नर एड्रैस के फौरन बाद यहां सदन में पेश की जाती हैं और लगभग सभी विधान सभाओं में ऐसा होता है। लगातार उसमें अनियमितता चलती रही। सन् 2012 में सन् 2006 से 2011 तक की कैग की रिपोर्ट पेश की गई। उस समय की सरकार के भेदभाव कैग ने उजागर करके इनके सामने लाए। मैं उस समय सदन में चुनकर

Vidhan Sabha Secretariat Library Chandigarh

[श्री परमिन्द्र सिंह ढुल]

आया था तो मैंने भी सदन के सामने उसके बारे अपना प्रस्ताव रखा था। उसके बाद न जाने वे रूल्ज कहां चेंज कर दिए गए। अब कैग की रिपोर्ट सबसे आखिरी दिन दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, अगर कैग की रिपोर्ट गवर्नर एड्रैस के बाद दे दी जाए तो सभी सदस्य उसका अच्छी तरह से अवलोकन कर लें और अवलोकन करके उसके अन्दर जो अनियमितताएं हैं उनके बारे में चर्चा कर सकें। अध्यक्ष महोदय, आपने भी पिछली सरकार की तरह सी.डी. देने की परम्परा चला दी। कैग रिपोर्ट कम से कम प्रिंटिड उसी माध्यम से दी जाए जिस माध्यम से पहले दी जाती थी ताकि उसका एक सम्पूर्ण अवलोकन कर लिया जाए। अगर उसके बाद उसके बारें में कुछ चर्चा होनी हो तो वह सदन में हो सके।

श्री कमल गुप्ता (हिसार) : आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय सदन के नेता, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष व सभी सभासद बहनों और भाईयो, मैं सब से पहले आप सभी को भारत माता की जय और वन्देमातरम् करता हूं और सबका वन्दन करता हूं (विघ्न)। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी महान हस्तियों को और विभूतियों को चाहे वह परम पूजनीय डॉ. हैडके वाडकर हों, चाहे वह परम पूजनीय गुरू जी हों, चाहे वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, और चाहे वे दीनदयाल उपाध्याय जी हों को भूल नहीं सकता। उनकी भारत अखण्डता की जो बात थी और उनकी एकात्म मानवदर्शन की जो बात थी उसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नर साहब ने यह एड्रैस दिया। उसमें उन्होंने यह बताया कि हम इस प्रकार की राजनीति करें और इस प्रकार देश की सेवा करें कि मानसिक, शारिरिक, बौद्धिक और आत्मिक ये चारों सुख न केवल अपने लिए हों बल्कि अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने प्रदेश यानि सबके लिए हों ऐसा हम देश में वातावरण पैदा कर सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और उसी की अभिव्यक्ति के लिए अजादी के बाद देश में पहली बार जनता ने अपना मन बनाया है कि जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता द्वारा सरकार। मोदी जी की जो सरकार बनी है उसने चन्द महीनों में भारत वर्ष को पूरे विश्व में अग्रणी स्थान पर ला दिया है। उसी प्रकार हरियाणा में भी पहली बार जनता ने अपना अच्छा परिचय दिया है। हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर और शुद्ध सरकार बनाकर श्री मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है। अध्यक्ष महोदय हरियाणा में काफी वर्षों से बरवाला में संत रामपाल महाराज का गंद पल रहा था जिसका चाणक्य नीति से बिना किसी को हलाहत किये इस सरकार ने सफाया करवाया जिसका कोई मुकाबला नहीं है और यह सराहनीय काम है। मैं पुन: माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसके लिए बधाई देता हूँ और मैं एक दोहा पढ़कर सुना देता हूँ :

"राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट
अंत काल पछतायेगा जब प्राण जायेंगे छूट"

कांग्रेस सरकार ने अपने समय में प्रदेश की जनता को धोखा दिया। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी श्वेत पेपर लेकर आये हैं जिसके माध्यम से उन्होंने कांग्रेस सरकार का काला चिट्ठा खोला है। अध्यक्ष महोदय, चाहे वह रिसीट्स की बात हो, चाहे वह एक्सपैंडीचर की बात हो, चाहे वह रिवैन्यू के एक्सपैंडीचर की बात हो, चाहे वह कैपीटल एक्सपैंडीचर की बात हो चाहे वह लोस की बात हो, चाहे वह एडवांसिज की बात हो और चाहे वह जी.डी.पी. की बात हो, हम इसके रिजल्ट्स देखें तो पिछली सरकार के समय में हरियाणा प्रदेश का सत्यानाश ही दिखाई देता है। अध्यक्ष

महोदय, रिवैन्यू एक्सपैंडीचर 12-13 प्रतिशत से घटकर 10-11 प्रतिशत पर आ गया है। अध्यक्ष महोदय, रिवैन्यू एक्सपैंडीचर कम होने का मतलब है कि इन्होंने हरियाणा प्रदेश में कोई भी विकास नहीं किया जैसे न ही सड़कें बनवाई, न ही होस्पिटल बनवायें। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कुछ भी नहीं करवाया। अध्यक्ष महोदय, कैपिटल एक्सपैंडीचर भी नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, रिवैन्यू एक्सपैंडीचर भी कम हुआ और रिवैन्यू रिसीट्स भी कम हुई। रिवैन्यू रिसीट्स दो तरीके से ही कम हो सकती है एक तो इनकैपेबिलिटी की वजह से और दूसरी करप्शन की वजह से। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Kuldeep Sharma : Speaker Sir, I have a point of order on this. The Government says it whitepaper and we say it white lie. Why it has not been presented in the House and when it has not been presented in the House, why it is being discussed here? My learned friend should know it that, it is not a part of Governor's Address. So, it cannot be discussed here. I want your ruling on this.

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने श्वेत पत्र के बारे में आपत्ति दर्ज की है। अगर उनको वाईट पेपर पर सदन में चर्चा करने की इच्छा थी तो अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का सत्र प्रारम्भ होने से पहले ही हम वाईट पेपर ले आये थे। इनको अगर आंकड़ों पर आपत्ति थी तो इन्होंने अभी तक मीडिया के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करवाई? इन्होंने किसी आंकड़े को झूठलाया नहीं है, फिर भी हम इस पर बहस करने के लिए तैयार हैं और हमने बहस के लिए कभी मना नहीं किया। माननीय सदस्य राज्यपाल अभिभाषण पर किस विषय पर क्या चर्चा करना चाहते हैं इस बारे में बताएँ। ये बिना कारण ही टीका टिप्पणी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इनको लगता है कि हम वहाँ बैठे हैं और सब कुछ जो हम तय करेंगे वही होगा। कौन क्या बोलेगा कौन क्या नहीं बोलेगा। उसके बारे में ये निर्णय करने लग जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक बार आप उस गद्दी से हटकर सोचें और बाकी सब सदस्यों के अधिकारों का सम्मान करें तो आपके मन के कष्ट अपने आप ही दूर हो जायेंगे। (शोर एव व्यवधान)

Shri Kuldip Sharma : Speaker Sir, I have raised a point as a Member of this House. The White Paper which has been brought up, why it has not found a mention in the Governor's Address. It was presented before the presentation of the Governor's Address. They wanted to escape from a debate on this. Hon'ble Speaker Sir, we want your ruling whether anything presented out side the House, can we discuss it here?

श्री कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह टाईम मेरे भाषण में काउंट नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कमल गुप्ता जी, यह टाइम आपके भाषण में काउंट नहीं होगा। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने श्वेत पेपर लाकर एक नई परंपरा की शुरूआत की है। हर चीज को पारदर्शी तरीके से सरकारी दस्तावेज मानकर और हर आंकड़े को पूरी भूमिका के साथ हमने श्वेत पत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से

[कैप्टन अभिमन्यु]

माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने चर्चा के लिए एक आधार तैयार किया है। इनको भी भविष्य में इसका आधार मिलेगा। इस बारे में चर्चा हम सदन के अन्दर ही नहीं बल्कि मीडिया के माध्यम से हरियाणा प्रदेश में कहीं भी करने को तैयार हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Kuldip Sharma : Why not in the House? We are challenging the Treasury Branches for debate that was not presented in the House and my friend is mentioning it.

श्री कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि थोड़ी तो सुनने की हिम्मत रखें। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने जो खड्डे खोदें हैं, उनका हिसाब जनता को पता होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, राजस्व प्राप्ति 12 प्रतिशत से घटकर 8 प्रतिशत पर आ गई है और जो 8 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति हुई है वह केन्द्र की राशि को मिलाकर ज्यादा हुई है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की राजस्व प्राप्ति तो और भी कम है। यह हमारे लिए कितने शर्म की बात है? अध्यक्ष महोदय, यह ध्यान से सोचने की बात है कि इसे हम अपनी एफीशियंसी कहेंगे या करप्शन कहेंगे। इस तरह का पिछली सरकार का राज करने का तरीका था। अध्यक्ष महोदय, इन लोन बढ़ाते जा रहे हैं जो आज बढ़कर 70 हजार करोड़ रुपये हो गया है जो पहले 10 हजार करोड़ रुपये था। अध्यक्ष महोदय, लोन को कैपिटल इन्वैस्टमैंट में लगाने के बजाये रिवैन्यू एक्सपैंडीचर में लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह समझने की बात है कि पिछली सरकार ने पिछला ब्याज चुकाने के लिये लोन लिया था। अध्यक्ष महोदय, हम घर बनाने के लिये हाउस लोन लेते हैं, गाड़ी खरीदने के लिये मोटर-कार लोन लेते हैं लेकिन हर रोज के खाने के लिए लोन कभी नहीं लेते हैं, लेकिन पिछली सरकार ने तो खाने के लिये ही लोन लिया था। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा सरकार का फिसकल डैफिसिट बिना कैपीटल इन्वाल्व किए यानि बिना असैट्स बढ़ाए बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उदाहरण के तौर पर एक बात सदन को बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2004-05 में बिजली विभाग का लॉस 1 हजार करोड़ रुपये का था जो वर्ष 2013-14 में बढ़कर यह लोस 27 हजार करोड़ रुपये हो गया। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में 83 प्रतिशत की रिकवरी न करने के कारण HFC बंद हो गई, जो छोटे-छोटे लोगों को लोन देती थी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से HSIIDC में पिछली सरकार की रिकवरी मात्र 21 प्रतिशत है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोले।

श्री कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता को प्रदेश के लेखा-जोखा की जानकारी कम होती है। जनता को जानकारी होनी चाहिए कि उनकी इक्नॉमिक पॉलिसी कैसी थी?

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की जानकारी नहीं है।

श्री कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह राज्यपाल के अभिभाषण की ही बात है माननीय सदस्य की राशि 'क' है और मेरी राशि भी 'क' ही है, इसलिए थोड़ी बहुत तो मुझे भी सदन की

जानकारी है।

श्री अध्यक्ष : हम तीनों की 'क' राशि एक ही है।

श्री कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। कल सदन में बड़ी-बड़ी बातें हांकी जा रही थी कि मेरे पास इतनी बड़ी डिग्री है। अध्यक्ष महोदय, इसमें दो चीजें हैं शिक्षा और साक्षरता। अध्यक्ष महोदय, स्कूल में शिक्षा लेने से आदमी साक्षर नहीं होता है। शिक्षा एक अलग संस्कृति का नाम है। अध्यक्ष महोदय ये तीन शब्द हैं प्रकृति, विकृति और संस्कृति। अध्यक्ष महोदय, यदि हमें भूख लगी और हमने खाना खा लिया तो यह प्रकृति कहलाती है, यदि हमें भूख नहीं लगी और खाना यह सोचकर खा लिया कि कहीं दूसरा व्यक्ति न खा ले, यह है विकृति और यदि हमें भूख लगी और मन में यह सोचा कि बाकी लोग आयेंगे तभी मैं खाना खाऊँगा, यह संस्कृति कहलाती है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की संस्कृति की बात हमें करनी चाहिए मगर पिछली सरकार ने विकृति की और जितना लूट सकते हो लूट लो इस तरह के काम किये हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक बात का जिक्र हुआ कि पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक परीक्षा में कोई भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार शिक्षा का सत्यानाश हुआ है। Something is better than nothing and nothing is better than न्यूसैंस। अध्यक्ष महोदय यह जो आठवीं कक्षा तक का सर्टिफिकेट है यह समथिंग नहीं है यह तो न्यूसैंस है। इससे तो अच्छा है कि उनको 8वीं तक शिक्षा ही न दी जाए। जो बच्चा 8वीं कक्षा तक पहुंच जाता है वह लालसा करता है कि मैं 9वीं में पहुंच जाऊं। इस तरह से वह कभी पास नहीं हो पाएगा, वह कभी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाएगा क्योंकि उसका बेस बहुत कमजोर हो गया है। उसको आपने छूट, लोभ, लालच देकर उसका सत्यानाश कर दिया है। हमारी सरकार ने आते ही इस प्रथा को दूर कर दिया है। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य जानना चाह रहे हैं कि पिछली सरकार के समय में ऐसा क्यों किया गया था। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि शिक्षा का अधिकार क्या है। कृपा इस पर प्रकाश डालिये। (विघ्न)

श्री कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने अपने ही समाज के कुछ लोगों को लुटेरा बनाकर उस इतिहास को लोगों को पढ़ाया हैं। हम शिक्षा मंत्री को बधाई देते हैं कि उन्होंने गीता का संदेश पाठ्यक्रम में जोड़ दिया है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह उपदेश बच्चों को पढ़ाकर हम शिक्षा में सुधार करेंगे। अभी हमने अध्यापक डायरी और देश के बच्चों के लिए मूल्यांकन कार्ड की व्यवस्था की है। आज हमारा स्टेटस क्या है? हिसार में तीन-तीन यूनिवर्सिटियां हैं। उनका स्टेटस किसी स्कूल के जैसा है। इन यूनिवर्सिटिज में कितने लोग बाहर से आकर पढ़ते हैं, कितने लोग विदेशों से और दिल्ली से आकर पढ़ते हैं आप इसका आकड़ा देखें तो पाएंगे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत निचले स्तर पर हैं। अब मैं कृषि के बारे में कहना चाहता हूं जो लोग अपने आपको किसानों का मसीहा बताते हैं और इनको चिंता है कि बारिश की वजह से किसानों की फसल खराब होने से किसान का नुक्सान हुआ है और ये पूछते हैं कि उनको कितना मुआवजा दिया जाएगा। इन्होंने अपने शासनकाल में मुआवजे के नाम पर तीन-तीन रूपये के चैक दिए थे। आज ये हमसे पूछते हैं कि आप दस हजार रूपये मुआवजा क्यों दे रहे हो, बीस हजार रूपये मुआवजा क्यों दे रहे हो, पच्चीस हजार रूपये मुआवजा क्यो दे रहे हो। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हाऊस को माननीय सदस्य इस प्रकार से गुमराह नहीं कर सकते हैं। हमारी सरकार का फैसला था कि किसी को भी अढ़ाई सौ रुपये से कम मुआवजा नहीं दिया जाएगा। यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हाउस में कही है। हमारी सरकार ने फैसला लिया था कि हम अढ़ाई सौ रुपये से कम का चैक नहीं देंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि वर्तमान सरकार ने अढ़ाई सौ रूपये से बढ़ाकर 5 सौ रुपये करके अच्छा काम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक आपत्ति दर्ज की है। उनकी पार्टी के एक सदस्य अभी यहां पर नहीं है। डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी ने बड़े तर्कपूर्ण ढंग से सरकार की मजबूरी को समझाया था कि किस वजह से उन्हें 3 रुपये या 5 रुपये के चैक देने पड़े थे। हुड्डा जी, जब उन्होंने यह स्पष्टीकरण दिया तो आप शायद उस वक्त हाऊस में नहीं थे। वह अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। (शोर एवं व्यवधान) इसके भी कोई कारण रहे होंगे लेकिन जो सच्चाई है और जो आंकड़े हैं वे बदले नहीं जा सकते हैं। इन्हें न हम बदल सकते हैं और न ये बदल सकते हैं। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि मुआवजे की राशि कम से कम अढ़ाई सौ रुपये हमारी सरकार के समय में थी या नहीं। सिर्फ इस प्रश्न का जवाब दे दें। मुख्यमंत्री जी ने खुद अनाउंसमैंट की है कि हम मुआवजा राशि अढ़ाई सौ रुपये से 5 सौ रुपये कर रहे हैं। ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह दें कि यह हमारी सरकार का फैसला था या नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, अगर हम इनके फैसलों की गाथा गाने लग जाएं कि इन्होंने कौन-कौन से फैसले लागू किये थे और कौन-से लागू नहीं किये थे तो इस पर एक पूरा सत्र निकल जाएगा लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के पटल पर इसे और आगे बढ़ाने का विश्वास दिला सकते हैं। इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण न मानते हुए मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय सदस्य को अपनी बात पूरी करने दी जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे कुछ ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं। ये सिर्फ इतना बता दें कि मुआवजे की राशि अढ़ाई सौ रुपये करने का फैसला हमारी सरकार का था या नहीं था। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, यह तो वही बात हुई कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। हुड्डा साहब, आपने अपनी सरकार में जो फैसला किया था उस के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी उसको दुगुना करने की घोषणा इस सदन के पटल पर पहले ही कर चुके हैं। आपने इस बारे में कभी ध्यान नहीं दिया।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने जब उसको दुगुना किया तो हमने उसके लिए सरकार का धन्यवाद किया है। (विघ्न)

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की नेता माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी की जिद्द थी कि सरकार ने बुजुर्गो को 2000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पैंशन क्यों नहीं दी। माननीय सदस्या को यह नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जाते जाते जब इनको काल

नजर आने लगा तब इन्होंने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी। जब कांग्रेस पार्टी का अपना दस साल का समय था तब कांग्रेस पार्टी को यह बात याद नहीं आई और न ही पांच साल पहले यह बात याद आई। अगर इन्होंने करना था तो एक साल या दो साल पहले किया होता। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया है इसलिए मुझे बोलने का समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाईये, आपका नाम नहीं लिया गया है। इन्होनें तो कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम लिया है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इलैक्शन मेनीफैस्टों में जो बातें कहीं जाती हैं उनको पूरा करने के लिए ही कहा जाता है।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम हरियाणा की जनता को 24 घण्टे बिजली देंगे क्या उस सरकार ने जनता को 24 घण्टे बिजली दी थी।

डा. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, अगर कांग्रेस पार्टी ने यह काम करना था तो पांच साल पहले किया होता था फिर एक साल पहले करना था। कांग्रेस पार्टी ने जाते जाते वृद्धावस्था पैंशन को बढ़ाकर एक हजार रूपये किया। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदे किये हैं वे उनको पूरा करें। **(इस समय श्री सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री कृष्ण लाल पंवार पदासीन हुए)**

डॉ. कमल गुप्ता : सभापति महोदय, अब मैं अपने हल्के की बात कहना चाहूंगा। हिसार में पहली बार परिवारवाद और वंश वाद की प्रथा को तोड़कर मेरे जैसा साधारण परिवार का आदमी एम.एल.ए. बना है।

श्री सभापति : गुप्ता जी, आप एक मिनट में कन्कल्यूड कीजिए।

डॉ. कमल गुप्ता : सभापति महोदय, हिसार में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। हिसार में सड़कों की हालत खराब है, सीवरेज की हालत खराब है। सीवरेज का सिस्टम इतना गन्दा है कि हरियाणा प्रदेश को बने आज 67 साल हो गये लेकिन वहां पर आज भी एस.टी.पी. नहीं लग पाया है। पानी का बी.ओ.टी. लैवल 260 है और वह पानी वहां की फसलों को दिया जाता है और उन फसलों को खाने के लिए हिसार के लोग मजबूर हैं।

श्री सभापति : गुप्ता जी, आप एक मिनट में वाईंड अप कीजिए।

श्रीमती किरण चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हिसार में एस.टी.पी. लगाने के लिए मन्जूर कर दिया गया था और उसके लिए सरकार ने पैसा भी दे दिया था लेकिन किसी जमीन के विवाद के कारण वह मामला बीच में ही अटक गया।

डॉ. कमल गुप्ता : सभापति महोदय, हिसार के जनरल अस्पताल में वेन्टीलेटर ठीक प्रकार से कार्य कर रहा था लेकिन पी.जी.आई. रोहतक का वेन्टीलेटर ठीक काम नहीं कर रहा था इसलिए हिसार के अस्पताल के वेन्टीलेटर को रोहतक पी.जी.आई. में मंगवा लिया गया। हिसार के साथ कितना पक्षपात किया गया इसका अन्दाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पिछले तीन महीनों में पूरे प्रदेश के 21 जिलों का भ्रमण किया है और वे हिसार में भी आये थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिसार में 50 एकड़ भूमि बेसहारा पशुओं के लिए देने का काम किया और 54 एकड़ भूमि सोलिड वेस्ट प्लॉट बनाने के लिए देने का काम किया और इसी प्रकार से 25-25 एकड़ भूमि चार जगह पर डेयरीज के लिए देने का काम किया था। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

श्री सभापति : गुप्ता जी, कृपया आप अपनी बात एक मिनट में पूरी कर लीजिए।

डॉ. कमल गुप्ता : सभापति जी, ठीक है, मैं एक मिनट में ही अपनी बात पूरी कर लूंगा। मैं कह रहा था कि वहां पर सब्जी मण्डी की वजह से ट्रैफिक जाम रहता है जिसको वहां से कहीं और शिफ्ट करना था। जबकि नई सब्जी मण्डी बनी हुई है लेकिन वह आज तक वहां पर शिफ्ट नहीं की गई है। पिछली सरकार द्वारा हमारे शहर के बस-स्टैंड को शिफ्ट करने की एक टैम्परेरी योजना बनाई गई थी लेकिन 3-4 साल बाद यह कह दिया गया कि वह बस स्टैंड वहां से शिफ्ट नहीं हो सकता। वह बस स्टैंड आज तक शिफ्ट नहीं हो पाया है। अब हमारी सरकार ने आकर एक योजना बनाई है जिसके तहत हम इस बस-स्टैंड के एण्ट्री गेट व एग्जिट गेट्स का मुंह ही बदल देंगे जिससे सारे शहर को ट्रैफिक की समस्या से राहत मिल जायेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर सदर्न बाई-पास का काम ब्लाक पड़ा है। ठेकेदार ने काम करना ही बंद कर रखा है। इसके लिए बजट में पैसे का प्रावधान तो 31 मार्च, 2015 तक का किया गया था लेकिन पिछली सरकार ने उस बजट को पिछले वर्ष सितम्बर में ही खत्म कर दिया और ठेकेदार ने काम करना ही बंद कर दिया। वह कार्य अब बंद पड़ा है। हिसार में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए एक वाटर वर्क्स बनाने की घोषणा भी की हुई है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हिसार में एक इंटरनैशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है।

श्री सभापति : गुप्ता जी, your time is over. (विघ्न) इसके अतिरिक्त आपको जो भी बात कहनी है वह आप लिखकर दे दीजिए, वह सदन की कार्यवाही में डाल दी जायेगी।

डॉ. कमल गुप्ता : सभापति जी, अंत में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि नये माननीय सदस्य जो पहली बार चुनकर इस सदन में आये हैं, जब वे बोलते हैं तो प्वायंट ऑफ आर्डर का जो सदन में प्रावधान है वैसे तो इसके सदुपयोग के लिए यह प्रावधान बना है लेकिन वरिष्ठ, पुराने व अनुभवी सदस्य उसका मिस्यूज़ करते हैं तथा चाहते हैं कि नये माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में पार्टिसिपेट न कर सकें इसलिए प्वायंट ऑफ आर्डर कहकर अचानक बोलना शुरू कर देते हैं। मेरा सुझाव है कि यह प्रावधान बंद होना चाहिए। मैं नये माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस सुझाव का वे ताली बजाकर समर्थन करेंगे। (थंपिंग) दर्शक दीर्घा में बैठे श्री मनचंदा जी व श्री वीर चंद जी तथा और भी अन्य जितने दर्शक सैशन की कार्यवाही देखने के लिए आये हैं, मैं उनका यहां आने पर स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : ललित नागर जी, कृपया आप बोलिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति जी, हमें बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : बहन जी, कृपया आप बैठिये, आपको भी बोलने का समय दिया जायेगा। आप कह रहे थे कि नये सदस्यों को बोलने का समय दिया जाये। इसलिए ललित नागर जी नये माननीय सदस्य हैं, हमने इनको बोलने के लिए समय दिया है। बहन जी, कृपया आप बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान) सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए समय दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : सभापति जी, ***"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ"*** योजना को तो सरकार खूब प्रोत्साहन दे रही है लेकिन इस सदन में महिलाओं को बोलने का समय ही नहीं दिया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : ललित नागर जी नये माननीय सदस्य हैं। मैंने उनको बोलने के लिए समय दिया है, उनको भी बोलने दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति जी, हम ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस महान सदन में अपनी बात कहनी है। महिलाओं का बलात्कार हुआ है। हम अपनी बात शांतिपूर्वक रखना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : डॉ. कादियान जी, कृपया आप बैठ जाईए।

डॉ.रघुवीर सिंह कादियान : सभापति जी, मैं अवश्य बैठ जाऊँगा लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब एक नया माननीय सदस्य सदन में बोल रहा था और बेरी के बारे में जब कोई बात आई तो मैं बीच में नहीं खड़ा हुआ तथा न ही प्वांयट ऑफ आर्डर पर और न ही पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर बोलने के लिए मैंने आपसे ईजाजत मांगी। लेकिन इस वक्त यदि आप मुझे ईजाजत दें तो मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : ठीक है, डॉ. कादियान साहब, आप केवल एक मिनट में ही अपनी बात पूरी कर लीजिए।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : सभापति महोदय, आज प्रदेश का किसान दु:खी है। गरीब के खून पसीने की कमाई से यह सदन चल रहा है। अगर लोगों की भावनाओं के अनुरूप हम नहीं उतरे तो आने वाले लोग हमें माफ नहीं करेंगें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : सभापति महोदय, 10 सालों तक तो यह सदन सी.एल.यू. से चलता रहा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : कादियान जी, आप कहना क्या चाहते हैं, आप अपने विषय पर आएं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : सभापति महोदय, बेरी हल्के के बारे में एक बात आई है हम उनके प्रतिनिधि हैं और हल्के के प्रतिनिधि के हैसियत से अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो ठीक

[डॉ. रघुवीर सिंह कादियान]
नहीं है। एक दिन मंत्री जी ने भी यह बात उठाई कि इतने रूपये के चैक मिले। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि यदि एक एकड़ जमीन में से 25 परसैंट फसल खराब है और उसमें 60 आदमी हिस्सेदार हैं तो कितने रूपये का चैक मिलेगा? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छे ढंग से इस बारे में पहले भी हमको समझाया था। हमें कई साल तक तो यह समझ नहीं आता था। जब इन्होंने अच्छे ढंग से समझाया उसके बाद हमें समझ आ गया कि वास्तव में इसका कारण था। अब हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : सभापति महोदय, ...

श्री आनन्द सिंह दांगी : सभापति महोदय, ...

श्री सभापति : कादियान साहब, आप बैठें। दांगी साहब, मुख्यमंत्री जी जब रिप्लाई देंगें तो वे क्लीयर कर देंगें और सारी बातें उसमें कवर हो जाएंगी। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : डाक्टर साहब, आपका हम आभार प्रकट करते हैं। आपने हमें अच्छे तरीके से समझाया था।

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री आनन्द सिंह दांगी : सभापति महोदय, सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि कम से कम जो मुआवजा दिया जाएगा वह 500 रूपये दिया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : यह हमने कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, ...

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में जितने किसान संगठन हैं उनमें से किसी एक किसान संगठन ने भी पिछले भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव की बात नहीं की, जितनी भी देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी एक राजनीतिक पार्टी ने भी उस भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव की बात नहीं की, आप किस प्रकार से पूंजीपतियों के संगठन की बात कर रहे हो *****

श्री सभापति : कादियान साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाए। नागर जी, आप बोलना चाहते हैं तो बोलें अन्यथा मैं अगले सदस्य का नाम अनाउंस कर दूंगा। (विघ्न) मैंने कांग्रेस के सदस्य का नाम लिया है। यदि उसको आप बोलने नहीं देना चाहते तो मैं नैक्सट नाम अनाउंस कर देता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ललित नागर (तिगांव) : सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने तिगांव विधानसभा क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा विधानसभा क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है और तिगांव फरीदाबाद जिले का सबसे बड़ा गांव है जिसमें लगभग 60 हजार की आबादी है और 18 हजार के आस पास वोट हैं। इस गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है तथा सीवरेज की विकराल समस्या है। तिगांव के चारों तरफ 40-42 गांव लगते हैं। उनका जो बाजार है वहां चारों तरफ से लोग जब खरीदारी करने या डाक्टर के पास आते हैं तो वहां कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसके द्वारा वे बाजार के अंदर आ सकें या वे गांव में आ सकें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे तिगांव में सीवरेज की प्रोपर व्यवस्था करवाई जाए ताकि पानी की उचित निकासी हो सके। जैसा कि मैंने बताया कि तिगांव में 60 हजार की आबादी है और वहां आज एक पी.एच.सी. चल रही है जोकि बहुत ही कम है। तिगांव क्षेत्र के आस पास 40-45 गांव लगते हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पी.एच.सी. को अपग्रेड करके सी.एच.सी. बनाया जाए। इसी के साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन है कि इस पी.एच.सी. में रात के समय कोई डाक्टर या नर्स नहीं होते। यदि रात के समय वहां कोई घटना हो जाती है तो 15 कि.मी. दूर फरीदाबाद भागना पड़ता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि तिगांव बहुत बड़ा गांव है। इसलिए वहां पी.एन.जी. की व्यवस्था की जाए। वहां आजू-बाजू के सभी गांवों में पी.एन.जी. की व्यवस्था हो चुकी है। तिगांव गांव के चारों तरफ 40-45 गांव लगते हैं। वहां की सड़कों की हालत बहुत दयनीय है। तिगांव से जसाना, तिगांव से अलीपुर, तिगांव से तिलोरीवाली, तिगांव से चांदपुर, तिगांव से बहतरादली आदि सभी सड़कों की हालत बहुत खराब है इसलिए उनको जल्द से जल्द बनवाया जाए। यदि इन सड़कों को अभी बनवाना संभव नहीं है तो उनकी रिपेयर तो तुरंत करवानी चाहिए ताकि वहां लोगों को आने जाने में सहूलियत रहे। सभापति महोदय, तिगांव के बाजार के साथ 6-7 एकड़ का जोहड़ है जिसमें बहुत ज्यादा पानी भरा रहता है जिसके कारण चारों तरफ पानी फैल जाता है और वहां आस पास बहुत परेशानी रहती है। वहां साथ लगती सब्जी मण्डी में भी उस जोहड़ का पानी फैल जाता है जिसके कारण वहां डेंगू, स्वाइन फलू आदि बीमारियां फैलने का हमेशा डर बना रहता है। वहां आने-जाने में भी बहुत परेशानी रहती है। वहां पर 2 स्कूल और एक कालेज है जिसके कारण वहां पढ़ने आने वाले बच्चों को भी आने-जाने में बहुत परेशानी रहती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां जोहड़ को खत्म करके बड़ा पार्क बनाया जाये ताकि लोगों को घूमने की व्यवस्था हो सके। सभापति महोदय, जहां तक शिक्षा की बात है, तिगांव के आस-पास कोई महाविद्यालय नहीं है। वहां पर लड़कियों को पढ़ने के लिए दिल्ली या फरीदाबाद जाना पड़ता है जो कि 35-40 कि.मी. की दूरी पर हैं। सरकार ने "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं" का नारा दिया है इसलिए तिगांव में महाविद्यालय का निर्माण किया जाये। सभापति महोदय, मेरे हल्के में कुछ गांवों की जमीन एक्वायर हुई थी और वहां प्लौटिंग होकर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्ज़ बन गई हैं। इस वजह से वहां के बहुत से गांव सैक्टर्ज के बीच में भिचे रह गए हैं। वहां पर गांवों के पानी की निकासी न होने के कारण रास्तों में पानी भरा रहता है इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि उन गांवों में सीवरेज की व्यवस्था करके साथ लगते सैक्टर्ज के सीवरेज सिस्टम से जोड़ा जाए ताकि वहां के लोगों को साफ-सुथरा वातावरण मिले। सभापति महोदय, मेरे हल्के में पल्ला से बसंतपुर सड़क है। पल्ला में एक छोटा सा पुल बना हुआ है और आबादी ज्यादा होने के कारण पुल पर घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है इसलिए मेरी मांग है कि पल्ला पुल को डबल बनाया जाये। पिछली सरकार के समय में भी यह मुद्दा उठा था। वहां डबल पुल के लिए 2.70 करोड़ रुपये के करीब मंजूर भी हुए

[श्री ललित नागर]

थे। उसके बाद चुनाव आ गये और इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि वहां पर एक बाबा राम केवल जी जिसको भक्ति करनी चाहिए वह इस पुल को डबल करवाने के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार किसी से भी जानकारी ले सकती है क्योंकि वहां बाबा के साथ हजारों लोग धरने पर हैं इसलिए मेरी मांग है कि वहां पुल को डबल करवाया जाये। यह बात मैं वहां का विधायक होने के नाते ही नहीं बल्कि जन मानस के नाते भी कह रहा हूं। वहां पढ़ने आने वाले बच्चों को भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहां दो-दो घंटे जाम रहता है जिसके कारण बच्चों का समय बर्बाद होता है। मेरी यही मांग है कि भले ही कोई दूसरा काम लेट हो जाये लेकिन पल्ला गांव में डबल पुल का निर्माण जल्द करवाया जाए। सभापति महोदय, पिछले कुछ वर्षों में पल्ला गांव से बसंतपुर के बीच में नये घर बड़ी तेजी से बने हैं। यह एरिया दिल्ली के साथ सटा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग वहां पर बसे हुए हैं, जिनको वोट का अधिकार प्राप्त है उनको मूलभूत सुविधायें जल्दी से जल्दी दी जायें। उनको पीने का पानी दिया जाये, उनके लिए बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की जाये। इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से यह बात भी सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि यह दिल्ली से लगता हुआ एरिया है जहां पर लगभग 25-30 एकड़ में दिल्ली का गंदा पानी आता है। मैं इसके लिए भी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो दिल्ली की नालियों का गंदा पानी हमारे खाली पड़े दुर्गा बिल्डर एरिया में आता है उसकी जांच करवाकर उसको बंद करवाया जाये।

श्री सभापति : ललित जी, आपको बोलने के लिए जितना समय निर्धारित किया गया था वह पूरा हो रहा है इसलिए आप अपनी बात जल्दी समाप्त करके वाईड-अप करें।

श्री ललित नागर : सभापति महोदय, आप मुझे दो मिनट का समय और दे दें। मैं दो मिनट में ही अपनी बात पूरी कर दूंगा। इसके अलावा मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि बसंतपुर से लेकर पवई तक के एरिया में लगभग 10 किलोमीटर तक की एक सीवरेज लाईन डाली हुई है जो कि करोड़ों रूपये की लागत से डाली गई थी। आज वह किसी भी काम नहीं आ रही है इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि उसे साफ करके चालू अवस्था में लाया जाये। अभानपुर के बारे में जैसा कि मैंने बताया यह बहुत बड़ा एरिया है इसलिए वहां पर सी.एच.सी. या पी.एच.सी. का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण करवाया जाये। इसी एरिया में पिलपत गांव है जो कि बहुत बड़ा है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार वहां पर एक महिला महाविद्यालय शीघ्रता से खोलने का कष्ट करे ताकि वहां की लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। ऐसे ही पल्लापुर से दुर्गा बिल्डर गेट तक एक नाला है जो सिंचाई विभाग का है। मेरा इस बारे में निवेदन है कि अगर इस नाले को साफ कर दिया जाये तो जो दुर्गा बिल्डर गेट में पानी भरा हुआ है वह आगे निकल जायेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आस-पास की सभी कालोनियों में जो तीन से चार फुट पानी भरा हुआ है उसकी परेशानी से वहां के लोगों को भी मुक्ति मिल जायेगी। सभापति महोदय, हमारे यहां राजीव नगर और संतोष नगर ये दो ऐसे कलस्टर हैं जो कि झुग्गी-झोपड़ी एरिया है इनमें सरकार द्वारा शीघ्रता से मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाई जायें। इसी प्रकार से श्रमिक विहार में एक स्कूल के निर्माण की योजना पास हो चुकी है लेकिन अभी तक वहां पर स्कूल का निर्माण नहीं करवाया गया है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर शीघ्रातिशीघ्र स्कूल का निर्माण करवाया जाये। (विघ्न)

श्री मूल चंद शर्मा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि पिछले 10 साल से इनकी पार्टी की सरकार हरियाणा में सत्तारूढ़ रही लेकिन उस दौरान इन्होंने इस क्षेत्र के विकास के बारे में नहीं सोचा और अब ये वहां से गंदे पानी की निकासी, स्कूलों, महाविद्यालय के निर्माण के साथ-साथ बाकी की सारी की सारी मूलभूत सुविधाओं को उपलबध करवाने की बात कर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों की इन समस्याओं की तरफ इनको अपनी सरकार के समय भी ध्यान देना चाहिए था।

श्री ललित नागर : सभापति महोदय, मैं जिस एरिया की बात कर रहा हूं वही मूल चंद शर्मा जी का भी गांव है। क्या मूल चंद शर्मा जी नहीं चाहते कि इनके गांव में भी कोई विकास कार्य हो।

श्री मूल चंद शर्मा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछली सरकार के 10 साल के शासन काल में हमारे ईलाके का जो भट्ठा बैठा उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। (शोर एवं व्यवधान) इनकी सरकार के समय में वहां पर अवैध कालोनियां कटी हैं। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि ये अवैध कालोनियां कटवाने में किसका हाथ है, सड़कें किसकी वजह से क्षतिग्रस्त हैं और कालोनियों में पानी किसकी वजह से भरा हुआ है इनको यह भी बताना चाहिए।

श्री ललित नागर : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह कहना चाहता हूं कि ये मेरी बात को पूरी हो जाने दें फिर इनकी सरकार बतायेगी कि ये सभी काम किसने किये हैं। इसी प्रकार से एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि सैक्टर 28 से 37 तक के एरिया के अंदर आज बहुत ज्यादा लूट-मार की घटनायें हो रही हैं और चोरियां भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जायें। मेरे हल्के में एक आई.टी. कालोनी है यह कालोनी किसी के अधीन नहीं है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि इस कालोनी के लोग भी चाहते हैं कि उन्हें भी नगर निगम में शामिल कर दिया जाये जिससे वे भी मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त कर सकें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि गत विधान सभा चुनावों से पहले मंझावली पुल का शिलान्यास माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी और माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर द्वारा किया गया था। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस पुल के निर्माण कार्य की वर्तमान समय में क्या स्थिति है उसके बारे में सदन में स्पष्टीकरण दिया जाये।

श्री सभापति : नागर जी, आपका समय पूरा हो चुका है इसलिए अगर आपकी कोई और डिमाण्ड बाकी रह गई है तो उसे आप हमारे पास लिखित रूप में भिजवा दें हम उसे हाऊस की कार्यवाही में शामिल कर लेंगे।

श्री केहर सिंह (हथीन) : सभापति महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो मुझे बोलने का मौका प्रदान किया इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पूरा पलवल जिला, पूरा फरीदाबाद जिला और पूरा मेवात जिला गुडगांव कैनाल और आगरा कैनाल से सिंचाई करता है। इन दोनों कैनाल्ज़ में इतना दूषित पानी आता है जिसके कारण इन तीनों जिलों में हज़ारों की संख्या में कैंसर के मरीज़ हैं और इनकी

[श्री केहर सिंह]

संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। जो पानी सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है वह इतना दूषित है कि उससे जो अन्न पैदा होता है वह इतना ज़हरीला हो गया है कि उससे पता नहीं कितने प्रकार की भयंकर बीमारियां इन तीनों जिलों के निवासियों में बड़ी तीव्रता से फैल रही हैं। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां पर खेती की सिंचाई के लिए और पीने के लिए ट्रीटमैंट प्लांट के माध्यम से पानी दिया जाये। यह आगरा कैनाल आज से 130 साल पहले बनी थी

17.00 बजे

तथा अंग्रेजों ने इसका निर्माण करवाया था। इसकी कैपेसिटी 2200 क्यूसिक की है और इसमें हमारा हिस्सा 900 क्यूसिक का होता था लेकिन आज हमें केवल 250 क्यूसिक पानी मिलता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे लिए पानी की उचित मात्रा सुनिश्चित की जाये क्योंकि यह हमारी जीवन रेखा है। जिस समय पूरे देश में कौए बोलते थे उस समय हमारे इलाके में कोयल बोलती थी लेकिन आज उल्टी रिवाज है। आज हमारे इलाके में कोयल की जगह पर कौए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी का कोई इंतजाम नहीं है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे इलाके के लिए पानी का इंतजाम किया जाये। इसी प्रकार से हमारी तीनों जिलों की वर्षों से बैराज की मांग चली आ रही है। जब तक वहाँ पर बैराज नहीं बनेगा तब तक हमें सिंचाई तथा पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो सकता इसलिए पलवल के पास कोई उचित जगह देख कर बैराज का निर्माण करवाया जाये ताकि किसानों को स्वच्छ पानी दिया जा सके तथा वहाँ के लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल सके। इसी प्रकार से अब मैं सेम की समस्या पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में लगभग हर विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांवों में सेम की समस्या है। मेरे हथीन विधान सभा क्षेत्र में 17 गांवों की लगभग साढ़े 8 हजार एकड़ भूमि में सेम की समस्या है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि चाहे नाले निकाल कर चाहे पम्प-सैट लगा कर वहाँ के किसानों को इस समस्या से निजात दिलवाई जाये। जीताखेड़ली, कानौली, शारौली, मिंडकौला, मंडराका, दुरेची, बिघावली, अकबरपुर नाटौल, छांयसा, मठेपुर, महलूका, नौरंगाबाद, फौजपुरी, रंसिका, रीबड़ और जलालपुर हथीन आदि गांव वर्षों से सेम की समस्या से पीड़ित हैं। इसी प्रकार से अब मैं जन-स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। इस बारे में मैंने प्रश्न भी लगाया था कि मेरे हल्के के 30 गांव ऐसे हैं जो पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसते हैं। जब प्रश्न का जवाब आया तो मुझे आवश्यक जानकारी नहीं मिली। केवल एक गांव नांगल जाट जो कि मेरा निजी गांव है उसके बारे में बता दिया गया कि वहाँ पर पीने के पानी की समस्या है। वहाँ का जिक्र भी इसलिए कर दिया गया क्योंकि वह मेरा निजी गांव है। उसके बारे में भी कह दिया गया कि वहाँ पर अवैध कनैक्शंज हैं जबकि ये 30 गांव नामत : नांगल जाट, नंगला, नांगलसभा, रनियाला खुर्द, उटावड़, चिल्ली, विनोदा गढ़ी, अंधोक, पहाड़पुर, कूकरचाकी, हुड़ीतल, खेड़ली ब्राहम्ण, भम्बरोला जोगी, पलसौड़ा, भंगूरी, दुर्गापुर, कलवाका, रतिपुर, कहरमा, गामाका, राखौदा, भेलाका गैंदापुर, कानौली, मीरपुर, मिंडकौला पहाड़ के ऊपर, जरारी, मूड़पुर, छिल्लूका, मोहदमका और हथीन कस्बा ये सभी गांव पानी की एक-एक बूंद के लिए परेशान हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए उन अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाये जिसने सदन को गुमराह करने का काम किया है। सभापति महोदय, अब मैं सड़कों के बारे में भी बात करना चाहूँगा। हमारे इलाके की सड़कें पिछले 8-10 साल से टूटी पड़ी हैं जिन पर किसी सरकार ने पैच वर्क भी नहीं किया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। (इस

समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुये।) अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हलके की कुछ सड़कों की जानकारी देना चाहता हूँ जो कि बहुत लम्बे समय से टूटी पड़ी हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं जी.टी. रोड़ से मात्र दो किलोमीटर की दूरी पर फुलवाड़ी गांव, जैंदापुर से खलवाका रोड, नूंह पलवल रोड से अकबरपुर नाटोल, शहीद रामपाल के नाम पर जो रोड है, उटावड से रनियाला खुर्द, जैंदापुर से शारौली, जैंदापुर से अलरचता और हथीन कस्बे से रंसिका गांव, ये सभी सड़कें 8-10 साल से टूटी हुई हैं। अब मैं बिजली के बारे में भी बात करना चाहूंगा। बिजली के मामले में हथीन क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। मेरे हलके के 25 गांव ऐसे हैं जहाँ पर 3-3 दिन में लाईट आती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उटावड़ एक बहुत बड़ा गांव है, वहाँ पर एक 66 के.वी. का सब-स्टेशन लगा दिया जाये ताकि लोगों को समय पर बिजली मिल सके। इसी प्रकार से मेरे हल्के हथीन में बच्चों के खेलने के लिए कोई खेल स्टेडियम नहीं है। हथीन में कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है। वर्षों से हमारी बाई पास की मांग चली आ रही है। मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि हथीन कस्बे के बराबर में एक गांव फिरोजपुर राजपूत है वहां से गोच्छी ड्रेन जाती है यदि उसके दोनों साइडों को पक्का करके वहां से बाई पास निकाला जाए तो न तो सरकार को जमीन खरीदनी पड़ेगी और बाई पास निकालने में भी बड़ी आसानी होगी। यह बाई पास हथीन क्षेत्र के प्रारूप को और हथीन कस्बे को नया रूप देने का काम करेगा। मेवात के 28 गांव है जिन्होंने वर्षों से मांग की है कि एक लडवा की माईनर निकाली जाए जो गुड़गांव कैनाल से निकलकर रंसिका गांव से होती हुई जब उटावा डिस्ट्रिब्यूट्री में डलेगी तो उससे 28 गांव लाभान्वित होंगे और उससे किसान अपनी खेती कर सकेंगें। आज वहां किसान के पास खेतों में सिंचाई करने के लिए कोई भी साधन नहीं है। मेरा सदन से अनुरोध है कि उस कैनाल को पूरा करवाने में आप सहयोग दें।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, जब कोई नोट ही नहीं कर रहा तो बोलने का क्या फायदा क्योंकि सरकार की तरफ से नोट ही नहीं किया जा रहा।

श्री अध्यक्ष : नोट क्यों नहीं कर रहे, ये रिपोर्टर नोट ही तो कर रहे हैं। ये सरकार की तरफ से ही तो हैं।

श्री केहर सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने हरियाणा प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था। आज वे टकटकी लगाकर बैठे हैं कि हमें बेराजगारी भत्ता कब दिया जाएगा। 6 हजार रुपये और 9 हजार रुपये प्रति माह जो बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया गया था उसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाए यह हरियाणा प्रदेश के युवाओं की मांग है। हमारा हथीन बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसकी लम्बाई 57 किलोमीटर है और चौड़ाई 40 किलोमीटर है। वहां पर खेल के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि हथीन कस्बे में एक स्टेडियम बनाया जाए। इसके अलावा उटावड गांव में एक स्टेडियम का निर्माण हो, मानपुर गांव में स्टेडियम का निर्माण हो और बबानी खेड़ा गांव में स्टेडियम का निर्माण हो ताकि युवा आगे चलकर अपने क्षेत्र और देश का नाम रोशन कर सकें। भ्रष्टाचार के मामले में सरकार ने कहा कि हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है लेकिन अब भी हमारी तहसील में कमल सिंह यादव नाम का एक नायब तहसीलदार है जो दिन दहाड़े सारे काम रिश्वत लेकर करता है और पूरे हथीन क्षेत्र की जनता उससे परेशान है। आदरणीय मंत्री श्री अनिल विज जी को मैंने अवगत कराया था कि हमारे वहां एक डॉक्टर मनीष है जिसने अब तक हजारों

[श्री केहर सिंह]

मुकद्दमें बनाए हैं। वह पैसे लेकर के एम.एल.आर. काटता है और अपनी गाड़ी में एम.एल.आर. रखता है, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। पिछली सरकार में सर्फराज नाम का एक व्यक्ति समाज कल्याण अधिकारी था जो चौधरी जलेब सिंह जी का रिश्तेदार था उसने दो-दो हजार रुपये लेकर वृद्धों की पैंशन बनाने का काम किया और सारी पैंशन झूठी बनाई गई थी, मैंने इस बारे में बहन कविता जैन जी को भी लिख कर दिया था। इस तरह से उसने इस योजना से 50 करोड़ रुपये कमाने का काम किया इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। हमारा एक बड़ा गांव बहीन है जहां पर सरकार की एक होर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने की योजना है। जिसके लिए गांव बहीन ने एक प्रस्ताव भेजा है। वहां की पंचायत इसके लिए 300 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार है। 300 एकड़ जमीन सब जगह नहीं मिलती अगर वहां पर सरकार यह यूनिवर्सिटी बना दे तो इससे हमारे क्षेत्र को भी बल मिलेगा और हरियाणा का भी नाम होगा। वह जगह बड़ी उपयुक्त है इसलिए वहां पर होर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया जाए ताकि हमारे पिछड़ेपन को हटाया जा सके और वहां के क्षेत्र की उन्नति हो सके। मेरी सदन के माध्यम से एक प्रार्थना है कि हमारा क्षेत्र हरियाणा में जरूर है लेकिन हमारे क्षेत्र की गिनती बृज में होती है और हमारे यहां से बृज यात्रा जाती है। वहां की बृज यात्रा में मेवात जिला भी आता है। रहीस खान जी यहां बैठे हैं उनके भी दो-तीन गांव आते हैं और पलवल जिला भी आता है जहां से लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालू हर वर्ष उस यात्रा में शामिल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पवित्र नगरी के दर्शन करने के लिए देश और विदेश से श्रद्धालु आते हैं इसलिए उसका सौन्दर्यकरण किया जाए। अध्यक्ष जी, आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अपनी बातचीत के दौरान हथीन क्षेत्र में एक तहसीलदार का बाईनेम जिक्र किया है तथा और लोगों का भी जिक्र किया है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार ने तो पिछले 4 महीने में जितने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर कार्यवाही की गई है उतनी पहले के इतिहास में शायद कभी नहीं हुई होगी । अध्यक्ष महोदय, यदि इस प्रकार की शिकायत आगे भी पाई जायेगी तो निश्चित तौर पर जाँच करवाई जायेगी और इसमें हम आपका भी सहयोग चाहते हैं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, जिन ऑफिसर्ज के खिलाफ कार्यवाही हुई है उनमें से मंत्री जी 3-4 ऑफिसर्ज का नाम भी ऑन दि फ्लोर बता दें।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि और भी कई नाम हमारी लिस्ट में हैं चिन्ता न करें।

श्री घनश्याम दास (यमुनानगर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिन बिन्दुओं की ओर संकेत किया है उनमें सबका साथ सबका विकास,समान विकास और समान रोजगार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरैंस, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना और इस प्रकार की न जाने कितनी योजनाओं की चर्चा की गई है। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं उनका विस्तार से वर्णन करने लग जाऊँ तो आपने मुझे 7 मिनट के लिए

बोलने का जो समय दिया है वह उसी में ही पूरा हो जायेगा। उस अभिभाषण में जो कहा गया है सरकार उन सभी बातों को पूरा करते हुए निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश को एक अपने देश का अग्रणी राज्य बना सकती है यह मैं बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन में किसानों के प्रति वेदना जताई गई है। कुछ सदस्यों ने सदन का समय बर्बाद करते हुए और उसका ठीक से सदुपयोग न करते हुए ठीक व्यवहार नहीं किया है। हमारे कुछ साथी वरिष्ठ होने के साथ साथ बड़े सम्मानित हैं यदि वे उस सारी चिन्ता के बारे अच्छे सुझाव दे सकें और किसानों के हित की बात करते हुए कि किस प्रकार से हम किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं उस दिशा में बात करते हैं तो हमारे मन को प्रसन्नता होती है। जिस प्रकार समय को बर्बाद किया गया है उससे मन में बहुत पीड़ा होती है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों ने यमुनानगर के साथ बहुत भेदभाव किया है। यमुनानगर के साथ अन्याय किया गया और यमुनानगर की उपेक्षा की गई है। अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर में प्लाई बोर्ड की 250 औद्योगिक इकाईयाँ हैं वहाँ बहुतायत में पापुलर लगाये जाते हैं और भारतवर्ष के अनेक दूसरे प्रदेशों से पापुलर बिकने के लिए यमुनानगर की मंडी में आते हैं परन्तु पिछली सरकारों ने आज तक यमुनानगर में कोई भी लकड़ मंडी का निर्माण नहीं किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देता हूँ और मैं उनको साधूवाद देता हूँ कि उन्होंने यमुनानगर के लिए घोषणा की है कि शीघ्र ही वहाँ लकड़ मंडी का निर्माण किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री द्वारा यह भी घोषणा की गई है कि यमुनानगर और जगाधरी नगर के आसपास ट्रैफिक की जो समस्या रहती है उससे छुटकारा दिलाने के लिए यमुनानगर जगाधरी में निगम के आसपास रिंग रोड़ का निर्माण किया जायेगा। मैं इसके लिए पुन: माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर एक औद्योगिक नगर है परन्तु वहाँ पर आज तक पिछली सरकारों ने ट्रक अड्डे का और मोटर मार्किट का निर्माण नहीं किया। सड़कों पर जहाँ तहाँ ट्रक खड़े रहते हैं जो अनेक दुर्घटनाओं के भी कारण बनते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने यमुनानगर में एक मोटर मार्किट का निर्माण करने के लिए आश्वासन दिया है। अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर में कई वर्षों से बिजली की समस्या चल रही है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यमुनानगर में आठ सौ मैगावाट का थर्मल पॉवर प्लांट लगाने का आश्वासन दिया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ जी.टी. रोड़ पर जो ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है उस पर यातायात के दबाव को कम करने के लिये पश्चिमी यमुना नहर के साथ-साथ यमुनानगर से लेकर बवाना तक 2/4 लेन के कॉरिडोर के प्रस्तावित विकास हेतु सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ हो चुका है, इसके लिये भी मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह बात बतानी बहुत जरूरी समझता हूँ कि यमुनानगर में प्लाई वुड बोर्ड की इन्डस्ट्री है, यदि वहां पर एक अच्छी फर्नीचर मार्किट विकसित कर दी जाये तो वह मार्किट भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन और सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जो अनाधिकृत कॉलोनियां नगरों में बसी हुई है, उन कॉलोनियों में जीवन व्यतीत करने के लिये इन्सान को समाज में जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए। उन्हें नहीं मिलती क्योंकि उन्हें यह कह दिया जाता है कि अनाधिकृत कॉलोनियां में विकास नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि जो अनाधिकृत कॉलोनियों की संख्या नगरों में है, उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उन्हें अधिकृत किया जाये ताकि वहां के नागरिकों का जीवन सुगम हो और उनको जिन्दा रहने के लिये मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सकें। अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर एक प्रगतिशील क्षेत्र के साथ-साथ हरियाणा प्रदेश का जिला भी है। अध्यक्ष महोदय, संयोग से आपका विधानसभा क्षेत्र भी

[श्री घनश्याम दास]

इसी जिले के नजदीक है। इसलिए एक विशेष योजना बनाकर यमुनानगर में मैटल नगरी तथा छोटे-छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए क्योंकि यमुनानगर हरियाणा प्रदेश की प्रगति में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की कोप दृष्टि के कारण जो व्यवधान आये हैं, उन व्यवधानों को हमारी सरकार दूर करने का प्रयास कर रही है। अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदन और हम सब मिलकर योजनाबद्ध तरीके से यमुनानगर के विकास में सहयोग देते रहें तो मैं सरकार को विश्वास दिलाता हूँ कि यमुनानगर को हम हरियाणा प्रदेश का एक अग्रणी राज्य बनाने में सक्षम होंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री मूलचंद शर्मा (बल्लभगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रदेश को दशा और दिशा देने के लिए सबका साथ सबका विकास देने की बात कही गई है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की हालत खेती के क्षेत्र में अच्छी नहीं है। मेरे जिला फरीदाबाद के साथ यमुना नदी साथ-साथ बहती है। यमुना नदी गौतमनगर, अलीगढ़ और मथुरा तीन जिलों से टच होती है। हर साल यमुना में बारिश के दिनों में ज्यादा पानी के बहाव के कारण किसानों की हजारों एकड़ जमीन बर्बाद होती है। अध्यक्ष महोदय, एन.डी.ए. की सरकार में कुछ ठोकरें बनाई गई थी लेकिन जब माननीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उनकी 10 वर्षों की सरकार में एक भी ठोकर नहीं बनी। माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल और श्री ललित नागर जी का क्षेत्र भी यमुना नदी के साथ लगता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे किसान वहां बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। वे हर साल हजारों एकड़ की फसल चौपट होने के कारण, खेती के मामले में बार-बार मार खाते हैं। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2002-03 में ठोकरें बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई भी ठोकर नहीं बनी। उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना के साथ-साथ एक बांध बनाया है। अगर यमुना में ज्यादा पानी आया तो वह हरियाणा प्रदेश के किसानों को तबाह कर देगा। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि यमुना के बांधों को ठीक करने का इंतजाम किया जाए। अगर आने वाले समय में सहारनपुर वाली ठोकरों को ठीक नहीं किया गया तो यह हरियाणा प्रदेश की बर्बादी का कारण बनेंगे। अध्यक्ष जी, पलवल, फरीदाबाद और मेवात के लिए यमुना के पानी का बंटवारा हुआ था परंतु हमें गटर का पानी दिया जा रहा है। हमें दिल्ली का गंदा पानी और फरीदाबाद के उद्योगों का वेस्ट पानी नहीं चाहिए। हमारे क्षेत्र की हालत बहुत खराब है। अध्यक्ष जी, यह सदन प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर हम मंदिर में अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो यह हमारी जनता के साथ अन्याय होगा। अगर हम इस मंदिर में अपनी जनता के हित की बात न कह पाए तब तो अनर्थ ही होगा। यमुना और आगरा कैनाल के साथ-साथ लगे क्षेत्र में पानी की हालत इतनी खराब है कि इससे जितनी भी फसल पैदा की जाती है वह अच्छी नहीं होती और पशुओं को हम जो पानी पिलाते हैं वह पीने योग्य नहीं है। अगर आप यमुना के साथ लगे इलाके के पानी को पीने वाले पशुओं के दूध की जांच करवाकर देखेंगे तो पाएंगे कि यह दूध अच्छी क्वालिटी का नहीं है। हमारे क्षेत्र के दोनों जिलों में कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज हैं। यमुना के साथ लगे इलाके के विषय पर केहर सिंह ने ठीक कहा कि जहां कोयल बोलती थी वहां आज कौए बोल रहे हैं। हमारे क्षेत्र की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अढ़ाई सौ-तीन सौ फुट गहराई तक पीने योग्य अच्छा पानी हमें नहीं मिल पा रहा है। फरीदाबाद क्षेत्र का सारा पानी नमकीन और जहरीला हो चुका है। जो फरीदाबाद सन् 1947 में बाबा

फरीद के नाम से बसाया गया था आज उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। जो लोग भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर आए थे उनमें से जितने लोग फरीदाबाद आए थे उन्होंने फरीदाबाद में रहकर इस शहर को एक सही दिशा दी और इसे औद्योगिक नगर के रूप में विकसित किया था लेकिन आज इस औद्योगिक नगरी का बुरा हाल है। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में सिर्फ एक हॉस्पिटल ही बनवाया था। इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के नाम के कई स्थानों पर शिलान्यास पत्थर तो बहुत लगे परंतु किसी शिलान्यास पत्थर पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। फरीदाबाद का हॉस्पिटल और खानपुर का मैडिकल कॉलेज दोनों एक-साथ बनने शुरू हुए थे परंतु खानपुर के मेडिकल कॉलेज में 2 सत्र पूरे हो चुके हैं जबकि हमारा हॉस्पिटल अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र के प्राईवेट हॉस्पिटल्स में एक मरीज पर 2-2 लाख रुपये तक का खर्च आता है इसलिए वहां पर लोगों के पैसे की बर्बादी हो रही है। जो मजदूर यहां मजदूरी के लिए आते हैं उनको सिर्फ 10-12 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है लेकिन इन पैसों से उनका इलाज नहीं हो पाता है। वे बेचारे सरकारी इलाज के न मिलने से अंतिम सांस छोड़ देते हैं और वे मर जाते हैं। फरीदाबाद में बीमारियों का सही इलाज नहीं हो रहा है। ये हालत उस फरीदाबाद की है जो कभी औद्योगिक नगरी कहलाता था और एशिया के मानचित्र पर जिसका नाम था। आज उसकी हालात जर्जर हो चुकी है। वहां बीस वर्ष में एक उद्योग चलाया जाता है। प्रोपर्टी डीलरों ने यहां की फैक्ट्रियों के पीस करके अनअथोराइज्ड उद्योग लगा लिए हैं। उन उद्योगों का न तो कोई प्लान एप्रूव हुआ है और न ही उनका सी.एल.यू. मंजूर हुआ है। माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल सारे प्रदेश के बारे में बोलते हैं और उन्हें हमारे प्रदेश के बारे में भी बोलना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा वे मेरे साथ चलें और देखें कि हमारे जिले की क्या हालत है। पूरे फरीदाबाद, पलवल में कोई अच्छी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है। यहां प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो बहुत हैं लेकिन हमारे तीनों जिलों में कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर आप रोहतक में जाएं, हिसार में जाएं, जींद में जाएं और सिरसा में जाएं तो पाएंगे कि वहां एक से एक बढ़िया यूनिवर्सिटीज हैं। यह हालत हमारे फरीदाबाद की है। फरीदाबाद का युवक आई.ए.एस, आई.पी.एस., आई.आर.एस. में पास हो जाता है लेकिन हरियाणा प्रदेश में नौकरियों के वितरण की बात आती है तो वह वहां पर फेल हो जाता है। अगर आई.आई.टी. या एम.बी.बी.एस. में देखें तो हमारे यहां के बच्चे टॉप पर आते हैं। हमारे प्रदेश में सरकारी नौकरियां नहीं है। गाँवों की हालत तो ऐसी है कि एक गांव में 10 लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं है। पूरी कॉलोनी में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है। पहाड़ पर माइनिंग के समय 5 लाख लोग वहां काम करते थे। उनमें से कोई पत्थर ढोता था, कोई रोड़ी काटता था, कोई रखवाली का काम करता था। इस तरह से बहुत से लोगों को वहां पर काम मिला हुआ था लेकिन माइनिंग बंद होने से ये लोग बेराजगार हो गए हैं। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को वहां कोई काम नही मिल रहा है। हमारे यहां सारा पहाड़ का इलाका है। इन्हें न तो सरकारी नौकरी मिलती है और न ही प्राइवेट नौकरी मिलती है और न ही उद्योगों में इनकी कोई सांझेदारी है। ये 5 लाख लोग आज घर पर खाली बैठ गए हैं। फरीदाबाद शहर की बहुत खराब हालत हो गई है। अत: मेरी आपसे विनती है कि फरीदाबाद में कोई ऐसा बड़ा यूनिट दिया जाए ताकि फरीदाबाद का जो गौरव था वह दोबारा प्राप्त हो और इसको देश के मानचित्र पर पहुंचाने का काम करें। एजुकेशन के क्षेत्र में आज सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लिया है लेकिन आज बल्लभगढ़ शहर में केवल दो प्लस टू के स्कूल हैं जिनमें 4200 लड़कियां पढ़ रही हैं। अगर राम बरस जाता है तो तीन तीन फुट पानी उन स्कूलों के चारों तरफ खड़ा हो जाता है। बल्लभगढ़ 80 प्रतिशत कालोनियों का शहर

[श्री मूलचंद शर्मा]

है परन्तु उस शहर में एक भी पार्क नहीं हैं और न ही कोई दरख्त हैं। पिछले दस सालों में इस शहर में केवल कालोनियां काटने के लाईसैंस मिल रहे थे। उस समय बस एक ही नारा था कि कालोनियां बनाओ और पास कराओ। उन कालोनियों की सड़कें इतनी तंग हैं कि अगर कोई अनहोनी हो जाए तो उन सड़कों पर दूसरी गाड़ी 15 फुट के रास्ते से जा नहीं सकती। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बल्लभगढ़ शहर के लिए सामुदायिक भवन बनाने की व्यवस्था की जाए तथा कोई पार्क बनाने की व्यवस्था की जाए। बल्लभगढ़ की सड़कों को चौड़ा करने की भी व्यवस्था सरकार द्वारा करवाई जाए। यह नहीं है कि वहां पर केवल हरियाणा के ही लोग रहते हैं बल्कि वहां पर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक के सभी लोग रहते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उन लोगों के लिए उन कालोनियों में रास्ते की व्यवस्था की जाए ताकि भगवान न करे कि अगर कोई अनहोनी घटना हो जाए तो वे उस अनहोनी से बच जाएं और अपने बच्चों की शादी ब्याह कर सकें। फरीदाबाद का एरिया पहाड़ी इलाका है। आज सुबह माननीय सदस्य श्री केहर सिंह जी ने फोरैस्ट डिविजन के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था। हमारा इलाका सोहना से सुरजकुण्ड तक पहाड़ी इलाका है लेकिन उसमें पेड़ नाम की कोई चीज नहीं हैं। मैं यह मानता हूं कि पेड़ों के नाम से उस एरिया के लिए करोड़ों रूपये ग्रान्ट तो जरूर आती थी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डण्डे के बादजूद भी उस एरिया में एक भी पेड़ नहीं लगा है पता नहीं वह पैसा कहां पर चला गया। एक काम तो उस एरिया में जरूर हो गया उस एरिया से पेड़ों को काट कर वहां पर बड़े बड़े फार्म हाउस बना दिए गये, मैदान बना दिए और उनके खिलाफ कोई रोक टोक नहीं हुई और इस तरह से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया गया। एक तो पहले ही यमुना और आगरा कैनाल का दूषित पानी तथा दूसरा पहाड़ के साथ कोई पेड़ नहीं रहेगा तो पता नहीं आने वाली जनरेशन का क्या होगा। आज प्रदूषण की वजह से 10 से 15 प्रतिशत लोगों का हाल तो यह हो गया है कि वे बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रहे। इस प्रकार के हालात फरीदाबाद में होते जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि फरीदाबाद के हालात ठीक करने में हमारी मदद की जाए। एजुकेशन के क्षेत्र में फरीदाबाद में न तो कोई सरकारी कालेज है, न ही कोई सरकारी यूनिवर्सिटी है और न ही कोई सरकारी अस्पताल है। जबकि प्राईवेट अस्पतालों की वहां पर भरमार है। शहर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर प्राईवेट अस्पतालों की दुकान न खुली हों। जब इस बारे में बात करते हैं तो कहा जाता है कि अस्पताल की दुकान वहीं खुलती है जहां सबसे ज्यादा बीमार लोग हों। अगर सब कुछ ठीक है तो अस्पताल की जरूरत ही नहीं है। सड़कों के हालात की बात करें तो चाहे यमुना के साथ साथ चले जाईये, चाहे मजदबी रोड़ के साथ साथ चले जाईये हर जगह सड़कों की हालत खराब है। माननीय सदस्य ललित नागर और हम एक साथ रहे हैं, हम एक साथ पढ़े और बड़े हुए हैं। तिगांव के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि पिछले दस सालों में तिगांव नरक बन गया है। अध्यक्ष जी तिगांव के आसपास आपकी भी रिश्तेदारी है उस तिगांव में कोई रिश्तेदार जा नहीं सकता है क्योंकि वहां पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और न ही वहां पर पीने के लिए पानी है। वहां पर न ही कोई सड़क है। ऐसी ही हालत मन्झावली वाले रोड़ की है और सोहना और छांयसा वाले रोड़ की भी यही हालत है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र की हालत को ठीक करने में हमारी मदद की जाए। धन्यवाद।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने सभी पार्टियों के सदस्यों को आज बोलने का समय दिया है लेकिन हमारी पार्टी के साथ आपने भेदभाव किया है। आपने हमारी पार्टी के केवल एक

ही सदस्य को बोलने का समय दिया है जबकि भारतीय जनता पार्टी के पन्द्रह सदस्य बोले हैं। आप सदन का समय बढ़ा दीजिए ताकि हमारी पार्टी के सदस्य भी अपनी बात कह सकें।

श्री अध्यक्ष : मैं आप सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मुझे पता था कि सदन में यह बात जरूर उठेगी इसलिए मैंने सारा रिकार्ड पहले ही मंगवा लिया था। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आज सात सदस्य इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी से बोले हैं, सात सदस्य कांग्रेस पार्टी से बोले हैं लेकिन दो सदस्यों ने अपना समय दूसरे सदस्य को दे दिया था, पन्द्रह सदस्य भारतीय जनता पार्टी से बोले हैं, दो आजाद उम्मीदवार बोले हैं और एक सदस्य बी.एस.पी. से बोला है ऐसे कुल मिलाकर 31 सदस्य अब तक बोल चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा सदस्य इसलिए बोले हैं क्योंकि सभी सदस्य केवल सात मिनट से ज्यादा बोले नहीं हैं इसलिए ज्यादा सदस्य बोल चुके हैं। आप बैठिये, जब बजट भाषण होगा तो सभी पार्टी के सदस्यों को बोलने का मौका जरूर दिया जायेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप हमसे एक प्रोमिस जरूर करें कि बजट पर सभी सदस्यों को बोलने का समय देंगे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बजट पर सभी सदस्यों को बोलने का समय दिया जायेगा।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि गीता का पाठ्यक्रम शुरू किया जायेगा लेकिन हम यह जानना चाह रहे हैं कि गीता का यह पाठ्यक्रम हिन्दी में शुरू होगा या अंग्रेजी में शुरू होगा अथवा संस्कृत में शुरू होगा। इसके साथ ही साथ यह भी बताया जाये कि गीता का पाठ्यक्रम विद्यालयों में शुरू किया जाएगा अथवा महाविद्यालयों में शुरू किया जायेगा ? (विघ्न) विद्यालयों व महाविधालयों में केवल गीता का पाठ्यक्रम ही क्यों शामिल किया जा रहा है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल, विधायक की तरफ से महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर एक संशोधन का नोटिस प्राप्त हुआ है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस नोटिस को पढ़ा हुआ और मूव किया हुआ समझा जाये। (शोर एवं व्यवधान)

(i) कि दु:ख है कि इस अभिभाषण में यह नहीं लिखा गया है कि मिस संध्या चौहान, नेवी में लैफ्टिनेंट कमाँडर जो कि रिवाड़ी जिले से संबंध रखती हैं, को हरियाणा प्रदेश की ब्राँड अम्बैस्डर, श्री रामदेव की जगह नियुक्त किया जाता है।

(ii) कि दु:ख है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हरियाणा प्रदेश में काम कर रहे हजारों गैस्ट टीचर्ज़ को नियमित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, कृपया आप मुझे बोलने दीजिए। * * * *

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गीता भुक्कल जी, आप चेयर की परमिशन के बिना बोल रही हैं।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री अध्यक्ष]

श्रीमती गीता भुक्कल जी जो बोल रही हैं उसे रिकार्ड नहीं किया जाये। (शोर एवं व्यवधान) मैंने आपकी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को बोलने के लिए पूरा समय दिया है। (शोर एवं व्यवधान) आगामी सदन की कार्यवाही के दौरान भी मैं आपकी पार्टी के सदस्यों को बोलने के लिए पूरा समय दूंगा। (शोर एवं व्यवधान) आपकी पार्टी आपस में फैसला करके आपको अपना नेता बना लें (शोर एवं व्यवधान) मैंने तो आपकी पार्टी के नेता को बोलने का पूरा समय दिया है। (शोर एवं व्यवधान) मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको बजट पर बोलने के लिए पूरा समय दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान) यदि समय की बात करें तो विपक्ष को बोलने के लिए ज्यादा समय दिया गया है और सत्तापक्ष को कम समय दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान) मैं पक्षपात नहीं करता हूं।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गीता भुक्कल जी, आप चेयर की परमिशन के बिना बोल रही हैं। कृपया आप बैठिए। श्रीमती गीता भुक्कल जी जो बोल रही हैं उसे रिकार्ड नहीं किया जाये। (शोर एवं व्यवधान) मैं विश्वास दिलाता हूं कि बजट पर चर्चा के दौरान आपको बोलने के लिए पूरा समय दिया जायेगा। दलाल साहब, कृपया अब आप बोलिए।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से जुड़ा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनहित का मुद्दा है जिसका मैं इस सदन में जिक्र करने जा रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा मोशन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर है। यह जनहित का मुद्दा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का हिस्सा होना चाहिए, इसलिए मैं राजनीति से ऊपर उठकर यह मोशन मूव करने जा रहा हूं जिस पर वोटिंग भी होनी है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा के Rules of Procedure and Conduct of Business के रूल-21 के तहत मैंने यह मोशन आपकी सेवा में दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ***बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ*** के नारे का जिक्र आया, जो हरियाणा के लोगों को बहुत अच्छा लगा। हरियाणा प्रदेश की हमारी एक बेटी है जो हरियाणा प्रदेश के नाम को गौरवान्वित कर रही है और हमारी यह बेटी संध्या चौहान जोकि रिवाड़ी जिले की रहने वाली है और सैनिक परिवार से सम्बंध रखती है नेवी की परेड को जब संध्या चौहान ने कमांड किया तब हिन्दुस्तान के सभी अखबारों में फ्रंट पेज पर संध्या चौहान की फोटो के साथ हरियाणा प्रदेश का नाम कहकर उनके नाम का वर्णन किया गया जोकि हरियाणा प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। हम सब मांग करते हैं कि संध्या चौहान को हरियाणा का ब्रांड अम्बैसडर बनाया जाए जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बल मिलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, रामदेव किसान का बेटा है और हमने किसान के बेटे को रिप्रैजेंटेशन दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, रामदेव जी की फोटो मैंने अपने नोटिस के साथ लगाई है। रामदेव के खिलाफ तो मुकद्दमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि वे बेटा पैदा करने वाली गोली

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

बेचने का काम कर रहे हैं। मैंने मोशन के साथ जो कागज दिए हैं उन पर गौर किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी सदस्यों से कहना चाहूंगा कि रामदेव ने कल इंट्रव्यू में खुद यह कहा था कि मुझे हरियाणा सरकार ने ब्रांड अम्बैसडर बनाया है और मुझे इस बारे में पता ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपने जो लिखित में मोशन दिया है, आप उसको पढ़ें।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो ब्रांड अम्बैसडर रामदेव को बनाया गया है उसकी बजाय संध्या चौहान को ब्रांड अम्बैसडर बनाया जाए और रामदेव के खिलाफ मुकद्मा दर्ज किया जाए क्योंकि वह तो लड़का पैदा करने की दवाइयां दे रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य मोशन मूव करने के नाम पर फिर राजनीतिक भाषण कर रहे हैं इसलिए ये अपना मोशन लेकर आएं। (शोर एवं व्यवधान) अगर बहस करनी है तो बहुत सी बातें हो सकती हैं।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने मोशन मूव किया है कि हरियाणा के हजारों अतिथि अध्यापक जो गांवों और शहरों में स्कूलों में लगे हुए हैं (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इस मोशन में यह बात नहीं उठा सकते।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, जिस मोशन के लिए इनको अलाउ किया गया है ये उस पर अपनी बात रखें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप इसमें पढ़ लीजिए क्योंकि मैंने दूसरे पैरा में लिखा है कि हरियाणा के हजारों अतिथि अध्यापक हरियाणा के शहरों के और गांवों के स्कूलों में लगे हुए हैं उनको कब रैगुलर किया जाएगा।(शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अतिथि अध्यापक अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना जीवन लगा रहे हैं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उन अतिथि अध्यापकों का जिक्र आना चाहिए था कि उनको कब तक रैगुलर किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इन अध्यापकों को रैगुलर करने के लिए कहा था लेकिन आज महामहिम के अभिभाषण में इसका जिक्र तक नहीं किया गया है इसलिए हम मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी इन अतिथि अध्यापकों को कब तक रैगुलर करेंगें और उनका क्या भविष्य होगा ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, साथी करण सिंह दलाल जी ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मोशन मूव किया है और उसमें विशेष रूप से हरियाणा के ब्रांड अम्बैसडर की बात पर चर्चा आई। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के ब्रांड अम्बैसडर के लिए आपकी सरकार ने निर्णय कर लिया कि रामदेव को बनाया जाए। इससे पिछली सरकारों ने इस प्रदेश का ब्रांड अम्बैसडर किसको बनाया था ये इस बात को शायद भूल गए हैं। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को ब्रांड अम्बैसडर बनाया था जिसका हमारे प्रदेश के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। हमने मांग की थी कि ओलम्पिक गेम्ज में मिस्टर बिजेन्द्र मैडल लेकर आया था जो हरियाणा का लड़का है उसको या पहलवान सुशील कुमार इन दोनों में से किसी एक को ब्रांड अम्बैसडर बनाया जाए ताकि प्रदेश के

[श्री अभय सिंह चौटाला]

दूसरे बच्चों को प्रोत्साहन मिले और वे कल को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और हम फख्र के साथ कह सकें कि हमारी स्टेट ने एक ऐसे व्यक्ति को ब्रांड अम्बैसडर बनाया है जिसने देश में नाम कमाया है। टेनिस का एक खिलाड़ी जिसके साथ शायद हुड्डा जी एक बार टेनिस खेल आए और आते ही उसका नाम ब्रांड अम्बैसडर के लिए अनाउंस कर दिया। अध्यक्ष महोदय, ये आज भूल गए कि उस समय ये यहां बैठकर किस तरह का निर्णय लिया करते थे और आज फिर फिजूल में हाउस का समय खराब करने के लिए खड़े हो गए। अध्यक्ष महोदय, आप उनको खड़ा करने की बजाय हमारे एक सदस्य को बोलने के लिए समय दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि मुझे बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता खड़े हैं, प्लीज आप सभी बैठें। जो मैंने कहा है वह मैं पूरा करूंगा। (शोर एवं व्यवधान) आपको बजट पर बोलने का अवसर दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सदन के सम्मानित सदस्यगण महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा 9 मार्च, 2015 को सदन में अपना अभिभाषण पढ़ा गया उसके लिए हम उनके बहुत-बहुत आभारी हैं। उस अभिभाषण में सरकार के हरियाणा के नव निर्माण के विजन और मिशन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है और इस पर हम 5 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। इन 5 दिनों में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर काफी सदस्यों ने अपनी भागीदारी की है और आज के सदस्यों को मिलाकर कुल 31 सदस्यों ने इस पर भागीदारी की है। कुछ माननीय सदस्यों ने विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर बातें की हैं और रचनात्मक सुझाव भी दिए हैं उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। कुछ ऐसे विपक्ष के सदस्य भी हैं जिन्होंने आरोप भी लगाये हैं और आलोचना भी की है। मैं उनकी बातों का भी जवाब दूंगा। पिछले दिनों में मैं स्वयं अपनी ओर से बहुत नहीं बोला परंतु इस चुप्पी का अर्थ कुछ अन्यथा न लिया जाए। चुप रहने का अर्थ यही है कि हम लोग सरकार के नाते इस सदन में 52 सदस्य ऐसे हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। हमारे विपक्ष के नेता अपने सब सदस्यों के साथ अपनी बात कह रहे हैं और हमारे अन्य दलों के लोग भी अपनी-अपनी बात कह रहे हैं। सब बातों के संदर्भ सबके समझ में आते हैं। यह ठीक है कि मेरा सत्ता का बहुत अनुभव नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम चीजों को समझते नहीं हैं। हमारा अपना भी एक इतिहास है। हमने समाज की सेवा की है और सेवा का संकल्प हमारा है। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सत्ता से सेवा को दूर कर दिया गया। हमारे देश का एक इतिहास रहा है, हमारी लोकतांत्रिक ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं कि जब सत्ता को सेवा के साथ जोड़ा जाता है तभी जनता को लाभ होता है। जब सत्ता सुख को भोगने के लिए जनता की सेवा को भूलते हैं उस समय निश्चित रूप से जो कुछ अभी तक देखा है चुनाव के समय से पहले बहुत बड़ी संख्या में अपने राजनैतिक कारणों से घोषणाएं कर दी जाती हैं, उन घोषणाओं का अर्थ क्या है ? उनके लिए कोई प्रावधान है कि नहीं है, उनका कोई लाभ होगा कि नहीं होगा हम इस पर विचार नहीं करते। हम लोगों ने पिछली सरकार को देखा कि बड़ी-बड़ी घोषणाएं और वायदे किए गए। घोषणाओं के तुरंत बाद सरकार की ओर से यह उत्तर मिलता है कि ये घोषणाएं बेईमाना हैं। हमारे पास बजट ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब बजट ही नहीं है तो घोषणाओं का क्या अर्थ है ? हरियाणा नम्बर-1 है ऐसी बहुत सी बातें बोली गई। अगर वे नहीं बोलते तो शायद बातें ठीक रहती। इस तरह की बातें जब भी

बोली जाती हैं इसका परिणाम जनता पर होता है। कभी शाईनिंग इण्डिया करके बोला गया, कभी हरियाणा नम्बर-1 करके बोला गया, इनका परिणाम आपको भी पता लगा और हमारे को भी पता लगा है। हम अगर वास्तविकता को जनता के सामने रखते तो निश्चित रूप से हमारी जनता को वह बात समझ में आती। हमारी नियत साफ है। हम एक स्पष्ट नीति को लेकर जनता की सेवा करने के लिए चले हैं कि जनता और समाज का जो वर्ग अभावग्रस्त है अर्थात जो गरीब हैं जिनको जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए उनके हित के लिए हम काम करते हैं। वैल्फेयर स्टेट होने का मतलब यही है कि हम अंत्योदय के भाव को लेकर काम करेंगे those who deserves, they should get it. जिनके ऊपर आज प्रभु की कृपा है और जिनके पास आज पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं हमारा काम है कि उनसे हम प्राप्त करें-और जिनको चाहिए अर्थात जो अभावग्रस्त हैं उनको हम दें। इस प्रकार से यह सीधी-सीधी सी एक लाईन बननी चाहिए। समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने की हम कोशिश करें। उस कोशिश में जो सरकारें कहीं न कहीं फेल होती हैं उन सरकारों को जनता कभी माफ नहीं करती। हमें समाज में कुछ नेता ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपनी, अपने परिवार की, अपने घर की और अपने सगे सम्बंधियों की ही चिंता की। हमारा यह मानना है कि ऐसी मनोवृत्ति से काम चलने वाला नहीं है। यह एक अटल सत्य है कि त्याग और समर्पण की भावना से काम करने वाले लोगों को समाज भी मान्यता देता है इसलिए हम सभी को भी उन्हें मान्यता देनी ही चाहिए। मित्रों, जनता पिछले 40 सालों के शासनकाल को इन चार महीनों की कसौटी पर तोल कर देख रही है। इन चार महीनों में जनता को अनुभव हो गया है कि हमें किस प्रकार की सरकार मिली है। आज सामान्य जनता इस बात से प्रसन्नता का अनुभव कर रही है कि हरियाणा प्रदेश में एक ईमानदार सरकार, एक अच्छी सरकार और एक बिना स्वार्थ के चलने वाली सरकार आई है। किसी और को इस बात का अहसास हो चाहे न हो लेकिन हमें इस बात का अहसास है। हम विश्वासपूर्वक इस अहसास के साथ आगे बढ़ेंगे और हमने जो वायदे किये हैं हम उन वायदों को पूरा करने के हिसाब से चलेंगे। मैं एक बात यहां पर ज़रूर कहना चाहता हूं कि हम छोटे हो सकते हैं, हो सकता है कि हमारे में से सामाजिक दृष्टि से कुछ लोग छोटे हों, हो सकता है कि आर्थिक दृष्टि से भी हम छोटे हों और हो सकता है कि हमारे सदस्यों के पास इतने बड़े-बड़े अपने सिस्टम न हों फिर भी काम करने की ताकत और काम करने का हमारा जो संकल्प है उसे हम अपने इस कार्यकाल में सिद्ध करके बतायेंगे कि जो हमने कहा है वह हम करेंगे। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) हम यह साबित करेंगे कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हम इस विश्वास को लेकर चल रहे हैं। हम कम बोलेंगे, खामोश रहेंगे लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी इस खामोशी को गलत अर्थ में नहीं लिया जाये। किसी ने ठीक ही कहा है कि If you can not understand my silence, you can not understand my words. इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि साईलैंस में ताकत होती है उसको पहचानना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि आज सभी सदस्यों के बोलने के बाद मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुल 32 सदस्य बोले हैं। इसमें सत्ता पक्ष के 17 सदस्यों को कुल 244 मिनट का समय दिया गया है, इस प्रकार से यह समय बनता है 4 घंटे 4 मिनट। इसी प्रकार से विपक्ष के 13 माननीय सदस्यों को 303 मिनट का समय दिया गया है जो कि बनता है 5 घंटे 3 मिनट। इसी प्रकार से दो निर्दलीय सदस्यों को कुल 33 मिनट्स का समय दिया गया है। यह एक बहुत अच्छी शुरूआत है। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि विपक्ष के सदस्यों को अपनी बात कहने का भरपूर मौका माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया है। सत्ता पक्ष का जो समय है उसके कुल मिलाकर बनते हैं 4 घंटे और 4 मिनट और इसी प्रकार से विपक्ष और निर्दलीय

[श्री मनोहर लाल]

विधायकों के कुल समय को मिलाकर बनते हैं 5 घंटे और 36 मिनट। हमने अपने पहले विधान सभा सत्र में यह कहा था कि जो हमारे विधान सभा सत्र की बैठकें हैं हमारा इनको बढ़ाने में विश्वास है। यह हमने कभी भी नहीं कहा कि हम इनको नहीं बढ़ायेंगे। मुझे वर्ष 1969 से लेकर 2014 तक के सभी बजट सत्रों की जानकारी मिली है। जब नई सरकार बनती है तो उनका जो पहला बजट सत्र होता है इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर मैं 2005 के बजट सत्र की बात करूं जो 09 जून से 20 जून, 2005 तक चला था जो कि कांग्रेस की सरकार का पहला सत्र था। इस सरकार का जो पहला बजट सत्र था उसमें मात्र 7 बैठकें हुई। इसी तरह से अभी पिछले 2014 का जो बजट सत्र था उसमें मात्र 6 बैठकें हुई। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे इस बजट सत्र में अभी जो हमारे सामने बिजनैस एडवाईज़री कमेटी द्वारा तय किया गया कार्यक्रम आया है उसके मुताबिक हमारी 12 बैठकें हो जायेंगी।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब सदन के नेता ने इतनी जानकारी सदन को उपलब्ध करवा दी है तो यह भी बता दिया जाये कि कितने सदस्यों को नेम किया गया, और किस इश्यू पर नेम किया गया। मेरे जैसे सदस्य को तो अपनी सीट पर बैठे हुये भी नेम कर दिया जाता था। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं प्रैस गैलरी में संवाददाताओं से बात कर रहा था और मुझे वहाँ पर सूचना मिली कि आपको सस्पैंड कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो नये सदस्य चुन कर आये हैं उनको भी तो इस बात की जानकारी मिलनी चाहिए कि इस सदन की गरिमा पिछले 10 साल में किस प्रकार की थी।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, यह तो प्रजातंत्र का काला इतिहास था। इन्होंने पूरे 5 साल तक सदन की धज्जियाँ उड़ाई और हमें बोलने ही नहीं दिया गया। बार-बार नेम करके सदन से बाहर निकाल दिया जाता था तथा जब यहाँ पर बोलते थे तो Nothing is to be recorded कह कर हमारी बात को रिकॉर्ड नहीं किया जाता था। आज ये हमें बताते हैं कि सदन किस प्रकार से चलता है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं उससे भी आगे बढ़ कर एक बात सदन के सामने रखना चाहता हूँ। 1966 में हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था। वर्ष 1973 ऐसा वर्ष था जब 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक विधान सभा का बजट सत्र चला था जिसमें सत्र की कुल 26 बैठकें हुई थी। उसके बाद दूसरे नम्बर पर 1979 में 28 फरवरी से 30 मार्च तक बजट सत्र चला जिसमें 20 बैठकें हुई थी। हालाँकि यह अभी भी बहुत कम है। कुछ विधान सभाओं की तो औसत बैठकें भी 26 से अधिक हैं जबकि हमारी हाइयैस्ट बैठकें 26 हैं। ये बैठकें और ज्यादा बढनी चाहिएं इस विषय पर हमको विचार करना चाहिए।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हम तो मांग कर रहे हैं कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाये।

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, यह हम धीरे-धीरे बढ़ायेंगे।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब ने जो सत्र की अवधि बढ़ाने का जिक्र किया है वह ठीक है लेकिन बी.ए.सी. ने जो निर्णय लिया है हमने उसके हिसाब से ही 12 बैठकें की हैं।

अगली बार बी.ए.सी. की मीटिंग में जितनी भी बैठकों का फैसला हो जाये हमको कोई आपत्ति नहीं है। विधान सभा में विधायी कार्यों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। विधायी कार्यों के अलावा जो हमारे दूसरे काम हैं वे तो चलते ही रहने हैं। यहाँ बैठ कर हम जो काम कर लेंगे वह ठीक ही होगा और आगे भी ठीक ही होगा इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, साढ़े 4 महीने के इस छोटे से कार्यकाल में हमने चहुंमुखी विकास करने की अपनी योजना बनाई हैं। हमने अभी अपना रोडमैप तैयार किया है। किसी को यह अपेक्षा होना कि यह नहीं किया वह नहीं किया, मैं समझता हूँ कि साढ़े 4 महीने का जो समय है उसको दिशा तय करने का समय मानना चाहिए। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि हमको बहुत कमियाँ, बहुत गड्ढे मिले हैं जिनको भरने का रास्ता हमको बनाना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से भी बहुत बातों की प्रेरणा हमने ली है। वे 22 जनवरी, 2015 को पानीपत में आये और हरियाणा को एक ऐसे विषय की ओर इंगित किया जिसमें कि आंकड़े बताते हैं कि हमारा हरियाणा पूरे देश में जैंडर रेशो में सबसे पीछे खड़ा है। बेटी बचाओ का अभियान हरियाणा से चलाने का केवल एक ही कारण था कि हरियाणा इसको एक चैलेंज के तौर पर ले। अधिकारियों ने उनको कहा कि आप हरियाणा में जा रहे हैं जहाँ पर लिंगानुपात बहुत कम है तो उन्होंने कहा कि यही तो एक चैलेंज है और उन्होंने विश्वास जताया कि वर्तमान सरकार के नेतृत्व में हरियाणा इस लिंगानुपात में सुधार कर सकेगा। उन्होंने कहा और हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया। हालाँकि सरकार को बने अभी अढ़ाई महीने ही हुये थे तो भी हमने इस दिशा में अच्छे कदम उठाये हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री की इच्छा है कि सबका साथ सबका विकास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, वे हम सबके सुख की कामना करते हैं और सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। सबको साथ लेकर चलेंगे तभी इस प्रदेश की जनता को साथ लेकर हम निश्चित रूप से आगे बढ़ पायेंगे, ऐसी मुझे आशा है। जैसा मैंने कहा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन अन्त्योदय दर्शन अर्थात अन्तिम का उदय यह हमारी प्राथमिकता रहेगी। जो समाज में गरीब है कभी-कभी वह शासन व्यवस्थाओं में जो कमियां रह जाती हैं उनके कारण से पिछड़ता है। हमको उसके पिछड़ेपन को दूर करना है चाहे वह किसी भी कारण से पिछड़ा रहा हो, परिस्थितियों के कारण से पिछड़ा रहा हो, भाग्य के कारण से पिछड़ा रहा हो, या सामाजिक परिस्थिति के कारण पिछड़ा रहा हो। यदि कोई गरीब के घर में पैदा हुआ है तो यह उसका दोष नहीं है कि वह हमेशा के लिए गरीब ही रहेगा। चाहे वह गरीब अल्प संख्यक समाज का हो, चाहे वह किसान, व्यापारी और अनुसूचित जाति, महिला अथवा समाज के किसी भी कमजोर वर्ग का हो, उन सबका उत्थान करना हमारा काम है। हम सोचते हैं कि हमारे प्रदेश का किसान कैसे खुशहाल हो और वह कैसे आगे बढ़े। सभी किसानों की चिन्ता करते हैं लेकिन किसानों के लिए क्या किया जाता है इस पर हमें जरूर सोचना होगा। किसान हित की बात सब कहते हैं अच्छी बात है कहनी भी चाहिए। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और इस नाते 70% आबादी हमारी किसान की है और इसके लिए हम चिन्ता करते हैं। इस महीने के प्रथम सप्ताह में वर्षा हुई , ओलावृष्टि हुई, दूसरे सप्ताह भी वर्षा हुई और अब भी तीन-चार दिनों से मौसम खराब है जिस वजह से लगातार किसान को हानि हो रही है। किसानों की फसल एक तरह से खराब हो रही है। हमने किसानों की फसल की विशेष रूप से गिरदावरी की बात कही है और उस विशेष गिरदावरी की जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम उनको सहायता पहुंचाने में देर नहीं करेंगे। बहुत सोचने की बात है कि जब उसको नुकसान होता है तो एक-एक साल तक उसको मुआवजा नहीं मिलता। पिछले साल मार्च, 2014 में किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ है अब आकर हमको उसका मुआवजा देना पड़ा है। हमने अब 92 करोड़ रुपये किसानों की मुआवजा राशि पहुंचाई है।

[श्री मनोहर लाल]

सालों-साल किसी ने इस बारे में चिन्ता नहीं की। हम यह घोषणा करते हैं कि जैसे ही गिरदावरी की रिपोर्ट पूरी होती है उसके एक महीने के अन्दर-अन्दर किसानों तक उनका मुआवजा पहुंच जाएगा। इस नुकसान का जायजा लेने के लिए इसकी स्पैशल गिरदावरी तो होगी ही और साथ ही हमने केन्द्रीय कृषि मंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि वह अपनी विशेष टीम यहां भेजें। स्पैशल सैंट्रल एसिस्टैंट उपलब्ध कराने के लिए हमने मांग की है इसलिए जितना भी अधिक से अधिक हो सकेगा उतना किसान के हित का ध्यान रखा जाएगा। हमें छोटे किसान की पीड़ा बहुत है क्योंकि मैं स्वयं किसान का बेटा था। किसान का दर्द क्या होता है उसका पता जब खेत में आदमी काम करने के लिए जाता है तब उसको पता लगता है। दो एकड़ जमीन के, तीन एकड़ जमीन के और एक एकड़ जमीन के बहुत किसान हैं। हमारे 22 लाख में से 16 लाख किसान ऐसे हैं जो छोटी जोत के हैं। छोटी जोत के किसान एक-दो एकड़ में गेहूं, धान को पैदा करके अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। फसल विविधिकरण के तहत जैसे फल है, फूल है, सब्जी है या औषधीय पौधे हैं उनकी तरफ हम किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। किसान की अतिरिक्त आय के साधन जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और खुम्बी के उत्पादन को हम बढ़ावा दे रहे हैं। नौजवानों को एग्रोबेस्ड इण्डस्ट्रीज यानि लघु उद्योग में लाकर के उनको हर प्रकार की सुविधा चाहे उनको साधन उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे उनको जमीन उपलब्ध कराने की बात हो, बिजली सस्ती देने की बात हो सब देंगे ताकि किसान की आय बढ़े। किसी भी प्रकार से किसान की आय बढ़े और उसका जीवन खुशहाल हो। बात की जा रही है स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट की, ठीक है स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट आई है लेकिन वह आज नहीं आई है उसको आए हुए 10 वर्ष हो गये हैं। उस रिपोर्ट को कैसे लागू किया जाए, इस बारे में हुड्डा जी ने भी अपनी सिफारिश भेजी थी वह भी लागू नहीं हुई। उसके बहुत पहलू हैं लेकिन हम सब एक ही पहलू को लेकर के चिन्ता करते हैं कि उसका 50% का जो लाभ है वह उसको मिलना चाहिए। लेकिन उसमें 50 से ऊपर ऐसी अनुसंशाएं हैं जिनको करने के लिए हम सब कटिबद्ध भी है और हम करेंगे और बहुत सी चीज हम कर भी रहे हैं। उसके प्रशिक्षण की बात और उसकी फसल की विविधिकरण की बात जैसे बहुत विषय ऐसे हैं जो हम किसान के हित में कर रहे हैं। स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट क्योंकि केन्द्र सरकार का विषय है इसको लागू केन्द्र सरकार को करना है। उसके लिए साधन भी देखेंगे, उसके लाभ की चिन्ता भी हम करेंगे। स्वयं स्वामी नाथन जी दो दिन पहले चण्डीगढ़ आए थे और उन्होंने अपना इण्ट्रव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि इसको एक साथ लागू नहीं कर सकते हैं तो इसको फेजिज में लागू कर दो। अध्यक्ष महोदय, 14 मार्च, 2015 के ट्रिब्यून समाचार पत्र में उनका ब्यान प्रकाशित किया गया है कि पहले वर्ष गेंहू का मूल्य 10 प्रतिशत बढ़ाकर दिया जा सकता है अगले वर्ष और 10 प्रतिशत यानि 20 प्रतिशत बढ़ा सकते हैं और उससे अगले वर्ष यानि तीसरे वर्ष अंततोगत्वा 50 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। इसलिए फेजिज में लागू और आज नहीं तो 3 साल के बाद भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बुढ़ापा पैंशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि बुढ़ापा पैंशन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भी बढ़ाने की घोषणाएँ की थी और हमारी पार्टी की तरफ से भी घोषणाएँ की गई हैं। अध्यक्ष महोदय, चाहे कोई भी सरकार हो वह बुढ़ापा पैंशन को कम नहीं करना चाहती है। यह बात पिछले सदन में भी कही गई थी। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही इस बारे में सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय प्रति पक्ष के नेता ने एक अच्छा सुझाव दिया कि यदि

18.00 बजे

सरकार एक साथ 2000 रुपये बुढ़ापा पैंशन नहीं बढ़ा सकती तो हर साल 200-200 रुपये बढ़ा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, 5 सालों में पांच बार 200 रुपये बढ़ायेंगे तो अपने आप ही 2000 रुपये बुढ़ापा पैंशन हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय प्रति पक्ष के सुझाव को माना और इस महान सदन में पास कराया और इसको लागू करवाया। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या यह फैसला आपकी पार्टी का है?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने सुझाव पर काम किया है और हम आगे बढ़े हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा है कि उन्होंने हमारे सुझाव को माना है इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आभारी हूँ और उनका धन्यवाद भी करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे मेनिफस्टों में भी यही बात लिखी हुई थी कि हमारी सरकार बनने के बाद 1200 रुपये बुढ़ापा पैंशन कर दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी बुढ़ापा पैंशन बढ़ाने की बात को स्वीकारा इसलिए मैं पुन: उनका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको पता ही है कि गेंहू की फसल आने वाली है और उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे थे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये बीच में बोलने के आदि हो चुके हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता की इनको कोई चिन्ता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, किसानों की फसल जो बर्बाद हो गई है उसके बारे में हन चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। हम तो यही चाह रहे हैं कि किसानों को उनकी फसलों के अच्छे भाव मिले। इनको मजाक सूझ रहा है और ये पीछे बैठे-बैठे ऊंगली लगाते हैं कि बात मनवा लो। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यदि इनको हरियाणा प्रदेश की चिन्ता होती और हरियाणा प्रदेश के हित के लिए काम किए होते तो आज ये वहाँ नहीं यहाँ बैठे होते। (शोर एवं व्यवधान) ये सारे हरियाणा प्रदेश को बेचकर खा गए। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में ये लोग पास लेकर विजिटर गैलरी में बैठा करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनिल विज जी को बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ इसलिए बैठेंगे कि जब अगली सरकार बनेगी तो यहाँ जब एक्स एम.एल.ए. की पैंशन बढ़ाने की बात आएगी तो ये यहाँ बैठकर मेज थपथपायेंगे कि हमारी पैंशन बढ़ गई है। (हंसी) (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इस समय तिहाड़ जेल में कमरों की पुताई हो रही है। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, नए साथी वहाँ जाने वाले हैं इसलिए वहाँ पर पुताई हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जैसे सदन के नेता ने कहा था कि स्वामीनाथन जी चण्डीगढ़ आये थे और उन्होंने ब्यान भी दिया था कि गेंहू के मूल्य में 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, और 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हो जाये। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदन को आश्वस्त कर दें कि हम किसानों की गेंहू की फसल के भाव इस बार10 प्रतिशत बढ़ाकर

[श्री अभय सिंह चौटाला]
देंगे ताकि जिससे किसान को एक उम्मीद हो जाये कि इस साल 10 प्रतिशत बढ़ेंगे, अगले साल 20 प्रतिशत और उससे अगले साल 50 प्रतिशत बढ़ जायेंगे। अध्यक्ष महोदय कम से कम हाउस में किसानों को आश्वस्त कर दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना है, इसे हरियाणा प्रदेश की सरकार ने लागू नहीं करना है। इस संदर्भ में हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार को एक पत्र लिखा था कि इसको फेज़िज के अंदर बढ़ा लिया जाये। अध्यक्ष महोदय, संयोग की बात है कि हमारे उन सुझावों के साथ स्वामीनाथन जी सहमत हो गये। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वामीनाथन आयोग जी को भी इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। **(इस समय मेजें थपथपाई गईं।)** अध्यक्ष महोदय, सरकारों ने स्थिति को समझते हुए इस प्रकार के सुझाव दिये हैं, मैं निश्चित रूप से आशा करता हूँ कि यदि इन सुझावों को मान लिया जायेगा तो किसानों का बड़ा हित होगा। माननीय सदस्य डॉ. कादियान साहब ने गेहूँ के साथ यह बात भी कही है कि मुआवजा राशि कम से कम 250 रुपये से 500 रुपये जो किया है, वह किस प्रकार लागू करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से डॉ. कादियान साहब से यह बात कहना चाहता हूँ कि जो फार्मूला कांग्रेस सरकार ने 250 रुपये का तय किया था वही फार्मूला हम 500 रुपये में कर लेंगे, इसमें चिन्ता करने की कोई बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि कितनी फसल के नुकसान पर कितना मुआवजा दिया जायेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां शतप्रतिशत फसल खराब हुई है वहां 10 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : यह मुआवजा राशि तो पहले से ही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, यदि यह मुआवजा राशि पहले भी ही इतनी थी, तो यह गलत थोड़े ही बनी होगी? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यदि खर्च डबल हो जाए तो मुआवजा राशि भी डबल होनी चाहिए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक गेहूँ की खरीद का विषय है, एफ.सी.आई. पहले गेहूँ की खरीद एजेंसियों के साथ 12 प्रतिशत अन्न खरीदती थी, उसी प्रकार से हरियाणा की सभी एजेंसियां गेहूँ खरीदेगी। अध्यक्ष महोदय, इसमें हम किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने देंगे क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बारदाना और भण्डारण की समुचित व्यवस्था भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि गेहूँ का एक-एक दाना खरीदा जायेगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आयेगी। **(इस समय मेजें थपथपाई गईं।)** (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस के लिए सरकार ने व्यापक प्रबंध भी कर लिये हैं। सरकार ने एक पत्र भी लिखा है जिसमें हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि एफ.सी.आई. पहले की तरह केन्द्रीय पूल के लिये गेहूं खरीदेगी तथा गेहूं के आने-जाने के खर्च का भुगतान करेगी, जिससे

एफ.सी.आई. सहमत है। अगले वित्त वर्ष में कृषि पर रसायनिक कीटनाशक के बुरे प्रभाव को कम करने के लिये 'परम्परागत ढंग से कृषि विकास योजना', किसानों की कृषि गतिविधियों से संबंधित सभी प्रासंगिक डाटा का रिकार्ड रखने के लिए डिजिटल पंजीकरण कार्ड देने के लिये अटल खेती बाड़ी खाता योजना तथा प्राकृति आपदा के कारण कृषि जीन्सों के भाव में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिये केन्द्र सरकार की ओर से 'कृषि राष्ट्रीय कृषि आय बीमा योजना' लागू होने जा रही है। कृषि आय बीमा योजना लागू होने से फसलों का बीमा होगा और किसानों की आय सुनिश्चित होगी। किसानों के आय के अतिरिक्त और अवसरों को बढ़ाने के लिये जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम विविधिकरण पर भी जोर दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, फल, फूल और सब्जी का जो उत्पादन है उसके लिये दिल्ली के विशाल बाजार के दोहन की सम्भावनाओं को भी हम तलाश रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों गुड़गांव के अन्दर एक तीन दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का 'कृषि शिखर सम्मेलन' किया गया था जिसमें अन्य गतिविधियों के अलावा 'हरियाणा फ्रैश' नाम का एक ब्रांड भी रजिस्टर्ड करवाया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसका भी उत्पादन में बिक्री के लिये निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. कैनाल एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में पिछली सरकार ने कुछ भी कहा हो, उनका डबल स्टैण्डर्ड है। हम सबको ध्यान भी होगा लेकिन मैं एक बार फिर याद करवाना चाहता हूँ कि एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के पक्ष में एक निर्णय दिया है। आज मैं आपको एक वास्तविक वृतांत सुनाता हूं। हमारे मित्र चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने पिछले दिनों एक एक्स.ए.जी. हरभगवान सिंह जो हमारे एडवोकेट जनरल रहे हैं उनकी पुस्तक का विमोचन किया था। उनके बारे में खूब शानो-शौकत बताई गई है लेकिन हरभगवान जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका इन्होंने विमोचन किया है। उस पुस्तक के अध्याय 23 का एक पेज 197 मैं पढ़ रहा हूं। यह मुझे पढ़ने के बाद विचित्र लगा और दुख भी हुआ। परंतु मौका है तो बताना भी आवश्यक है। वे लिखते हैं कि I had been giving my opinion in a sustained manner on how legislative remedies were required for correcting affects of some judicial pronouncements. जो ज्यूडिशियल प्रोनाउंसमैंट हुई उस बारे में वे पंजाब के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि consequently, the State Legislature passed certain progressive laws during my tenure. An adverse verdict came from the Supreme Court on the dispute of Punjab and Haryana or our sharing of water. The direction was given that the SYL canal should be constructed without further delay. I informed Shri Amarinder Singh over telephone about the verdict and its possible adverse consequences. He was depressed and there would be political implications. He also pointed out that he might have to choose between committing contempt of court and resigning as Chief Minister यह अमरिंद्र सिंह कह रहे हैं I assured him that there was no need of either. I suggested that Punjab's Irrigation Resources and Agriculture Interests could be protected through legislation यह सुझाव हरभगवान सिंह जी दे रहे हैं He looked interested and inquired if a State Legislature has the power to pass such a legislation. I explained the procedure and they agreed with my suggestion and a draft ordinance was prepared and the Bill was passed in the House. आज उस बिल को सुप्रीम कोर्ट के नये निर्णय आने के बाद में वापिस किया गया है। ये बिल उनकी सहमति से, उनके सुझाव से दिया गया है। वे ए.जी., वे लेखक जिनकी पुस्तक का विमोचन हमारे मित्र हुड्डा साहब कर रहे हैं। उस किताब को बड़ी शान से बांटा गया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाउस को बताना चाहता हूं कि वे उस समय ए.जी. पंजाब के थे। मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। व्यक्तिगत संबंध होना अलग बात है। हमारे राज्यपाल जी ने अभिभाषण में हरियाणा में क्या कहा और उन्होंने पंजाब में क्या कहा इससे भला मेरा क्या संबंध है। इस किताब के विमोचन से मेरा कोई संबंध नहीं है। कोई भी अपनी बात लिखता है तो उससे मेरा क्या संबंध है। आपने पंजाब में किस वास्ते क्या कहा, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। आपने पंजाब में क्या-क्या कहा हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी पंजाब सरकार में शामिल है तो उनका कार्य वहां पर वे देखेंगे। वहां आपकी पार्टी क्या स्टैंड लेती है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो भी स्टैंड लिया है वह उस पर अडिग है। मैं आज तक हरियाणा के हित में लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। सदन में व्यक्तिगत बात नहीं करनी चाहिए। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा साहब को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैं चाहे पंजाब में रहा या देशभर का दायित्व जब मुझ पर रहा उसमें हमारा एक भी विषय ऐसा नहीं है जिसमें हरियाणा के विरुद्ध कोई बात हुई हो और मैंने उसका समर्थन किया हो। (विघ्न)

श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही कह रहा हूं है कि मेरा कोई भी ऐसा विषय नहीं हैं जिसमें मैंने हरियाणा के अहित में कोई बात कही हो। किताब के विमोचन से मेरा कोई संबंध नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) किताबों का तो पता नहीं कि किस-किस की किताब का किस-किसने विमोचन किया है।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नाराज न हों। सदन के नेता ने उन पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने पुस्तक के लेखक का परिचय बढ़ाने के लिए ताकि सारे सदन को पता चल सके कि लेखक कौन है केवल इस बात के लिए उनका उल्लेख किया है। (विघ्न)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण -

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिया गया था इसलिये पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना मेरी जिम्मेदारी है। (विघ्न) ये एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहें हैं। मैंने तो कोई पुस्तक नहीं लिखी है। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब पर कोई आक्षेप तो नहीं किया गया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कह दें कि मुझ पर कोई आक्षेप नहीं लगाया है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि संवेदनशीलता के साथ हम सरकार चलायेंगे और निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार से प्रदेश को लाभ मिलेगा। मैं एक कविता बोल रहा हूं :- हम तो दरिया हैं कोई राह तो बना ही लेंगे, आप पत्थर हैं बता दो कहा जाओगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, पत्थर जब एक जगह पड़ा रहता है तो उसकी कीमत बढ़ती है। हम तो एक जगह पड़े हैं और यह बात बोलते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार अगली बार जरूर बनेगी और जहां पर मुख्यमंत्री जी बैठे हैं वहां पर हम बैठेंगे।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पत्थर जैसा व्यवहार न करें तो अच्छा रहेगा।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपनी पार्टी लीडर से तो पूछ लें कि वे मानती हैं या नहीं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक एस.वाई.एल. नहर का प्रश्न है वह हरियाणा की जीवन रेखा है। एस.वाई.एल. नहर और रावी व्यास का पानी प्रदेश के लिए लाने के लिए यह सरकार कटिबद्ध है। इससे पहले भी वर्ष 2004 में पंजाब विधान सभा ने पंजाब समझौता निरस्तीकरण अधिनियम पारित किया था उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बात के लिए विरोध किया था। उस समय पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और केन्द्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तत्कालीन केन्द्र की सरकार ने पंजाब की सरकार को पंजाब समझौता निरस्तीकरण अधिनियम पारित करने से नहीं रोका। उस समय विधान सभा की टर्म खत्म होने से लगभग आठ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे 6 विधायकों ने विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी जो इस समय केन्द्रीय मंत्री हैं, श्री कंवर पाल गुर्जर, माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती वीना छिब्बर, श्रीमती सरिता नारायण, वैद्य कपूर चन्द जी और श्री चन्द्र भाटिया जो उस समय विधान सभा के सदस्य थे। उन सभी विधायकों ने इस समझौते को निरस्त करने के विरोध में जुलाई 2004 में विधान सभा से त्याग-पत्र दिया था और आठ महीने सदन से बाहर रहे थे। इनका इस्तीफ मन्जूर भी कर लिया गया था।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, उस समय जो त्याग-पत्र दिया गया था वह मन्जूर नहीं हुआ था।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, वह इस्तीफा मन्जूर हो गया था।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, उस समय उन सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के इस्तीफे मन्जूर किये गये थे। जब पंजाब में राजीव-लौंगोवाल समझौता हुआ था उस समय चण्डीगढ़ पंजाब को देने की बात आई थी इस बात का विरोध डॉक्टर मंगल सैन और चौधरी देवीलाल जी ने किया था और उन्होंने विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दिया था। जिस चण्डीगढ़ की बात आज आप कर रहे हैं अगर उस समय हमारे इन नेताओं ने चण्डीगढ़ के बारे में विरोध न किया होता तो आज चण्डीगढ़ पंजाब के पास चला जाता। आज हरियाणा के पास चण्डीगढ़ केवल उस कारण से ही है।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पंजाब से अलग हरियाणा को बनाने की बात आई तो उसकी मांग भी चौधरी देवीलाल जी ने ही की थी और चौधरी रणबीर सिंह जी ने हरियाणा की मांग को ठुकराया था और उस बात का विरोध किया था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं। माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था उस समय पंजाब विधान सभा की कैबिनेट में चौधरी रणबीर सिंह जी मंत्री थे और चौधरी रामकिशन जी मुख्यमंत्री थे और चौधरी रणबीर सिंह जी के सुझाव पर ही यह प्रस्ताव पास हुआ था यह एक रिकार्ड की बात है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सदन में बात हरियाणा और पंजाब की चली है। हरियाणा को अलग बनाने के लिए चौधरी देवीलाल जी ने बहुत लम्बी लड़ाई लड़ी थी और जिस प्रकार से किताब के विमोचन के बारे में सदन के नेता ने बात की हैं कि किस तरह से पुस्तक का विमोचन किया और कौन व्यक्ति विमोचन करके आया। जैसा कि माननीय सदस्य ने इस बारे में बताया शायद इनको पूरी बात की जानकारी नहीं हैं। मुझे अच्छी तरह से पूरी जानकारी है इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जब पंजाब और हरियाणा को अलग बनाने की बात आई तो उसकी जो मांग उठी थी उसके बारे में पंचायतों के रेजोल्यूशन हुए थे। उसके लिए बाकायदा ग्राम पंचायतों व नगरपालिकाओं द्वारा रैजोल्यूशनज़ पास हुए थे। उस समय चौधरी सुलतान सिंह जी, चौधरी देवी लाल जी, चौधरी शेर सिंह जी और जो उनके अन्य राजनीतिक साथी थे उन सब ने अलग-अलग इलाके बाँटकर ये प्रस्ताव पारित करवाये थे ताकि पंजाब और हरियाणा अलग-अलग राज्य बन जायें। उस समय संयुक्त पंजाब की कैबिनेट में चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी मैम्बर होते थे, आज तो वे शायद स्वर्ग में होंगे तथा उस कैबिनेट में यह फैसला हुआ था कि पंजाब और हरियाणा को अलग-अलग प्रदेश न बनाये जाये जिस पर बाकायदा उनके भी दस्तख्त हैं। यदि ये मानते हैं कि उनके दस्तख्त नहीं हैं तो आज भी पंजाब के रिकार्ड में यह तथ्य उपलब्ध है। इस सदन में पंजाब का रिकार्ड मंगवाकर देख लिया जाये कि उस वक्त उन्होंने हरियाणा अलग राज्य बनने का विरोध किया था अथवा हरियाणा अलग राज्य बनने का पक्ष लिया था। (शोर एवं व्यवधान) मैं तो रिकार्ड की बात कर रहा हूँ। आपने जब इस बात पर चर्चा की है तब मैंने कहा है कि आप पंजाब का रिकार्ड मंगवाकर देख लीजिए। रिकार्ड में यह सारी बात अंकित है। (शोर एवं व्यवधान) आप खुद रिकार्ड मंगवाकर देख लें, दूध का दूध व पानी का पानी हो जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य सही बात कह रहे हैं तो कृपया रिकार्ड मंगवाकर देख लिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वांयट ऑफ आर्डर पर एक बात कहना चाहता हूं कि चौधरी देवी लाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी ने हमेशा पंजाब की राजनीति की है तथा पंजाब का ही भला किया है। एस.वाई.एल.नहर का निर्माण हो और चण्डीगढ़ हरियाणा राज्य को मिले, इसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी ने अभी जो 6 विधायकों के इस्तीफे की बात की उस बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि ये इस्तीफा हमने 18.7.2004 को दिया था तथा उस इस्तीफे को 19.7.2004

को स्वीकार किया गया था। (शंपिंग) यह इस्तीफा हमने प्रदेश व राष्ट्र के हित में दिया था।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब से कहो कि वे सदन में माफी मांगे क्योंकि इन्होंने अभी सदन में कहा था कि वह इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था और सदस्य आखिर तक तनख्वाह लेते रहे। मेरा आग्रह है कि या तो ये सदन से माफी माँगे अथवा इनके इस आचरण के लिए इनके खिलाफ सदन में एक प्रिविलेज मोशन लाया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयतीर्थ : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में चर्चा के दौरान अभी चण्डीगढ़ की बात आई है। इस बारे में मैं भी एक बात कहना चाहता हूं कि 1970 में इंदिरा गांधी अवार्ड हुआ था। उस समय मेरे पिताजी चौधरी रिजक राम जी राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे। उस वक्त सारे हरियाणा में यदि किसी ने इस्तीफा दिया था तो चौधरी रिजक राम जी ने दिया था। उन्होंने अपनी सीट भी छोड़ी थी तथा पार्टी भी छोड़ी थी।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, एक बात हमारे माननीय साथी ने भी स्वीकार की है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी चण्डीगढ़ पंजाब राज्य को दे दिया था। उसको इन्होंने कम से कम रूकवा तो लिया। (विघ्न) मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम प्रदेश के हकों की लड़ाई में रत्तीभर भी कोई कमी नहीं आने देंगे इसलिए हम ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि Solicitor General of India, Attorney General of India राष्ट्रपति संदर्भ की निगरानी करें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस बारे में शीघ्र सुनवाई के लिए आग्रह करें। अध्यक्ष महोदय, हम इससे भी आगे कुछ कदम और उठाने जा रहे हैं। हमने पंजाब विधान सभा द्वारा पारित पंजाब समझौता निरस्तीकरण अधिनियम, 2004 के संबंध में कानूनी राय लेकर इसे रद्द करवाने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर करने का निर्णय लिया है। हमने एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के मुद्दे के संबंध में पिछली सरकारों द्वारा बनाई गई लीगल टीम में भी कोई बदलाव नहीं किया है क्योंकि हम सब को मिलकर यह लड़ाई ही नहीं लड़नी है बल्कि इस मुद्दे को और अधिक सुदृढ़ करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में हरियाणा राज्य के पक्ष में निर्णय देगा क्योंकि इसी तरह के एक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केरल विधान सभा द्वारा पारित केरल सिंचाई एवं जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 को असंवैधानिक करार दे दिया है। यह मामला मुल्ला-पैरियर डैम का है। मैं सदन में प्रतिपक्ष के नेता श्री अभय सिंह चौटाला जी को स्मरण कराना चाहूंगा कि एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के संबंध में कई बार विधान सभा से प्रस्ताव पारित करवाकर केन्द्र सरकार को भेजे गये लेकिन आज तक उनका कोई परिणाम नहीं निकला। इसलिए जरूरत है कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा के हित से जुड़े अंतर्राज्यीय मुद्दों पर एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। अत: सदन से मेरा आग्रह है कि हम सभी मिलकर इस कार्य को करें।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि पंजाब की विधानसभा में तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चंडीगढ़ के बारे में और linking of all the rivers' water के बारे में कुछ और बोला गया है इसलिए इसका भी यहां स्पष्टीकरण दिया जाए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारी सरकार की नीति स्पष्ट बताई गई है और इस नीति का हमारा सरकारी दस्तावेज है। अगर उस नीति से दाएं बाएं यदि कोई बात होती है तो हमको स्वीकार नहीं है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में जनरली एक रैजोल्यूशन पास कर दिया जाए और इस बारे में हम सब एक हैं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, भूमि अधिग्रहण के विषय में बहुत चर्चा इस समय चल रही है। इस चर्चा के अंदर एक बात ध्यान करने की है कि किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए हम प्रतिबद्ध हैं लेकिन जो मिथ्या प्रचार किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल पर इस विधेयक में 9 संशोधन करके इसको लोक सभा में पारित करवाया गया। यह विधेयक राज्य सभा द्वारा भी पारित करवाया जाना है और हो सकता है कि राज्य सभा में जाते जाते भी कुछ और संशोधन आवश्यक हुए तो उसके लिए भी केन्द्र सरकार तैयार है और उसमें सरकार हिचकेगी नहीं। यू.पी.ए. की सरकार ने नया भूमि अधिग्रहण बिल, 2013 बनाया था जो पहली जनवरी, 2014 को लागू हुआ था तथा तत्कालीन भारत सरकार ने 1.1.14 को ड्राफ्ट रूल्ज प्रकाशित किए और इस पर जनता से आपत्ति भी मांगी गई। हुड्डा साहब, मेरा आपसे भी पूछने का मन कर रहा है कि क्या आपने नियमों में संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार को कई पत्र नहीं लिखे ? उस समय भी पत्र लिखे गए होंगे। क्या उस समय अधिकारियों की टीमें नहीं भेजी गई, भेजी गई होंगी। क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को इन नियमों -अधिनियमों से छूट देने की मांग नहीं की गई। क्या राजस्व मंत्रियों की मीटिंग में हरियाणा के राजस्व मंत्री ने अधिनियम में संशोधन करने की मांग नहीं की।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, यह ठीक है कि चीफ सैक्रेटरी ने लैटर लिखा लेकिन कंसैंट क्लाज न हो यह कहीं भी नहीं लिखा। सिर्फ संशोधन की बात थी और कुछ लीगल लिटीगेशंज की समस्याएं उस मामले में थी कि 5 सालों का पीरियड कौन सा गिना जाए। ड्राफ्ट रूल्ज में केवल सुझाव थे। जो इसकी आत्मा थी यानि जो कंसैंट क्लाज है उस बारे में हमारी तरफ से कोई पत्र नहीं गया। अब अमैंडमैंट आई है और हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो कंसैंट क्लाज थी उसको यूं का यूं रखें और उसमें तबदीली न करें। अगर आप यह सब करवा सकते हैं तो हमको मंजूर है। हमारे चीफ सैक्रेटरी की तरफ से जो पत्र गया था उसको आप सार्वजनिक कर सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजे : जी हां।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)

श्री अनिल विज : क्या चीफ सैक्रेटरी का पत्र आपकी मर्जी के बिना गया था ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं खुद कह रहा हूं कि जो सुझाव चीफ सैक्रेटरी के पत्र में गए थे वे किस सम्बंध में थे, उसको सार्वजनिक कर दें।

श्री अनिल विज : क्या आपकी मर्जी के बिना चीफ सैक्रेटरी का पत्र गया था। इसका मतलब आपकी सहमति थी और आप भूमि अधिग्रहण बिल में अमैंडमैंट चाहते थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमने पत्र में कहीं नहीं लिखा कि कंसैंट क्लाज को खत्म कर दो। कंसैंट क्लाज को हमने वहां रखा था। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यदि आरोप लग रहे हैं तो उस पत्र को सार्वजनिक किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कंसैंट क्लाज तो थी लेकिन इसमें से कुछ बातों को हटाया गया है। कंसैंट क्लाज ही नहीं थी ऐसा नहीं है। अगर कोई अच्छी अमैंडमैंट आयेगी तो हम जरूर उस पर विचार करेंगे। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यदि इसमें और भी सुधार आये और हमारी मुख्य बातों को कायम रखेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम तो चाहते ही हैं कि कंसैंट क्लाज को यों का यों रखें।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है कि इसमें आलोचना के लिए हम आलोचना न करें। जो बात विपक्ष की ठीक है वो ठीक ही है। उसकी हम आलोचना नहीं करते। जो व्यवहार विपक्ष के साथियों ने दिखाया उसके विरोध में भी हम नहीं जायेंगे। अब इसमें जहां तक कंसैंट न देने की बात है as such projects vital to national security and defence, यह विषय ऐसा है जिसमें कंसैंट लेने तक सीमित रह गये तो देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा। देश की सुरक्षा हमारी सरकार का मुख्य मुद्दा है। Natural rural infrastructure including electrification अब ये विषय ऐसे हैं जिनके लिए सरकारों को भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति देनी ही होगी। एफोर्डेबल हाउसिंग और गरीबों के लिए मकान बनाने की स्कीम्ज आदि ऐसे मुद्दे हैं यदि हम कंसैंट के हिसाब से चलेंगे तो मैं समझता हूं कि जो कठिनाई पहले थी उससे बढ़कर कठिनाई आ सकती हैं। भूमि अधिग्रहण के पिछले बिल के अनुसार हम एक भी इंच जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, भूमि अधिग्रहण करने के लिए जो आने वाली कठिनाईयां हैं वे विपक्ष के साथियों के भी ध्यान में हैं और हमारे भी ध्यान में भी हैं। फिर भी हमने एक वायदा किया है कि राज्य सभा में एक्ट बनने के बाद जो संदेश/संकेत का एक्ट में प्रावधान होगा, उन पर हम चलने के लिए तैयार हैं और उनमें कोई कमी नहीं आने देंगे। भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के तहत नियमों को असैट बनाने के लिए एफ.सी.आर. की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करने की अधिसूचना हमने 4.2.2015 को जारी कर दी है। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले 4 महीने के दौरान किसानों के हित में

[श्री मनोहर लाल]

कई अहम फैसले किए हैं। किसान और हमारे दूसरे भाई जो मकान या ज़मीन को बेचते/खरीदते वक्त रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत कठिनाईयों का सामना करते थे इनको दूर करने के लिए ई-रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू कर दिया है। हमारे प्रदेश में अभी तक जो रजिस्ट्रेशन की प्रणाली चली आ रही थी उसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भ्रष्ट प्रणाली थी, जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी। इसको ठीक करने के लिए हमने कदम उठाये हैं। यह व्यवस्था एक सरल और पारदर्शी व्यवस्था होगी। अभी तक लोगों को तहसीलदारों, पटवारियों और मुंशियों के जो चक्कर काटने पड़ते थे, वे चक्कर अब नहीं काटने पड़ेंगे। पहले इंतकाल करवाने में लोगों को बहुत कठिनाई होती थी और हजारों इंतकाल लम्बित पड़ी रहती थी। अब इंतकाल भी आई.टी. के माध्यम से जल्द से जल्द दर्ज हों इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। जो पहले से पैंडिंग हैं उनमें कुछ समय लग सकता है लेकिन मौजूदा इंतकाल के लिए हर महीने की 12 और 26 तारीख निर्धारित कर दी गई हैं। कुछ समय में इनकी जीरो पैंडैंसी रहेगी ऐसा हमने आश्वासन दिया है। ई रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी से सभी तहसीलों में शुरू हो चुकी है तब से लेकर अब तक 82661 एप्लीकेशन जमीन रजिस्ट्रेशन की आई जिनमें से जिनके पेपर वगैरा पूरे थे 69604 रजिस्ट्रेशन ओन लाईन हुई हैं और उनमें से अधिकांश को सेम डे में रजिस्ट्री भी दे दी गई। बाकी जिनको एक सप्ताह का समय दिया गया था उनकी रजिस्ट्रेशन घर में पहुंचाई गई हैं। अध्यक्ष महोदय, भूमि अधिग्रहण को लेकर एक बात रह गई है। वह भी मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने कोई भूमि अधिग्रहण नहीं की है क्योंकि यह एक रैगुलर प्रोसैस है। पहले सैक्शन-4, फिर सैक्शन-6 और उसके बाद सैक्शन-9 के तहत कार्यवाही होती है। 4 दिसम्बर को ऐसा अवसर हमारी सरकार के सामने आया और बावल की लगभग 3600 एकड़ भूमि का अवार्ड सुनाया गया लेकिन जब हमारे नोटिस में आया कि वहां के किसान संतुष्ट नहीं है, राजी नहीं हैं और किसानों के डेपुटेशन हमको मिले। हमारे वहां के लोगों ने हमें बताया कि किसानों की ज़मीन को छोड़ दिया जाये। इसको ध्यान में रखते हुए हमने 23 दिसम्बर, 2014 को अपने मंत्रिमण्डल की बैठक बुलाकर पहला यह निर्णय किया कि इस ज़मीन को छोड़ दिया जाये और इस प्रकार से हमने 3600 एकड़ ज़मीन छोड़ दी। हमने ऐसा नहीं किया कि कुछ ज़मीन सैक्शन 4 होने के बाद छोड़ दी, कुछ ज़मीन सैक्शन 6 होने के बाद छोड़ दी और फिर सैक्शन 9 होने के बाद भी कुछ और ज़मीन छोड़ दी। हमने ऐसा भी नहीं किया कि कुछ ज़मीन को अवार्ड होने के बाद छोड़ दिया। हमने हिस्सों में ज़मीन को नहीं छोड़ा।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि हमने उनको जो जानकारी महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से दी है उसके ऊपर वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं और जो कार्यवाही कर रहे हैं वह कब तक पूर्ण हो जायेगी ? यह सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि किसानों की 3600 एकड़ ज़मीन छोड़ दी इसलिए वे किसान बच गये। पिछली सरकार ने तो उनको उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, * * *

श्री अध्यक्ष : दलाल जी जो बोल रहे हैं उसे रिकार्ड न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या कोई सदस्य इस किस्म की अशोभनीय भाषा इस हाऊस में बोल सकता है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, दलाल जी ने जो कुछ बोला है उसे रिकार्ड नहीं करवाया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बातों को रिकार्ड न करवाये जाने से कुछ नहीं होता है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी सदस्य इस प्रकार की अशोभनीय भाषा का यहां पर प्रयोग करे तो उससे माफी मंगवाई जानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) सर, आपने पता नहीं कौन से सब्र का घूंट पी रखा है। पहले दिन तो श्री कुलदीप शर्मा जी ने आपके एक सदस्य को धमकाया। उस समय भी आपने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा था जैसा कि आप बता रहे हैं कि सैक्शन 4, 6 और सैक्शन 9 की ज़मीनें छोड़ दी है और अवार्ड होने के बाद भी जमीने छोड़ दी गई। सरकारों ने ज़मीनों को जिस परपज के लिए एक्वायर किया उन जमीनों को छोड़ने के बाद यह कहा था कि यह एग्रीकल्चर लैंड है इसलिए एग्रीकल्चर परपज़ के लिए हम इस ज़मीन को वापिस कर रहे हैं लेकिन इसके बाद भी वहां पर बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्ज़ खड़ी हो गई हैं। कालोनियां कट गई और कमर्शियल मॉल्ज़ बन गये। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को इन ज़मीनों की वजह से लाभ मिला क्या माननीय मुख्यमंत्री जी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे? क्या आप इस सबकी इंक्वायरी भी करवायेंगे या नहीं? अगर आप इसकी इंक्वायरी करवायेंगे तो अभी और कितना समय लगेगा क्योंकि लोग इसके लिए पिछले चार महीने से इंतज़ार कर रहे हैं।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जब कोल्हू पाटता है तो कोई न कोई तो रोता ही है। इसलिए जिनको रोना है उनको तो रोना ही है और जिनको हंसना है उनको हंसना ही है। नेता प्रतिपक्ष ने एक जानकारी यह भी मांगी थी कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 4646 एकड़ जमीन का जिक्र है। मैं केवल इसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि यह उसी ज़मीन का जिक्र था जो हुडा विभाग के द्वारा सैक्शन 6 के बाद छोड़ी गई है। जो टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग, एच.एस.आई.आई.डी.सी. और हुडा इन सबकी जो कुल मिलाकर ज़मीन है उसका आंकड़ा यह है कि टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग की 10928 एकड़ जमीन है और इसी प्रकार से लगभग 8000 एकड़ ज़मीन एच.एस.आई.डी.सी. की है। इस प्रकार से यह कुल मिलाकर 18928 एकड़ ज़मीन छोड़ी गई है। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार के इस प्रकार के इतने लम्बे चौड़े काम हैं कि उनकी जानकारियां नेता प्रतिपक्ष ने उन द्वारा महमहिम राज्यपाल महोदय को दिये गये डॉक्यूमैंट के माध्यम से सरकार को दी है लेकिन इसके साथ-साथ हमें और जानकारियां भी मिल रही हैं। उन सभी जानकारियों के आधार पर एक बड़ा पुख्ता निष्कर्ष निकल रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि इन सभी जानकारियों को एक साथ इक्ट्ठा करके उनके ऊपर अगर एक साथ ही काम किया जाये तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। हम सारा काम एक साथ करना चाहते हैं। टुकड़ों में काम करने में हमारा विश्वास नहीं है। इसलिए मैं नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहता हूं कि इसके परिणाम के लिए वे थोड़े दिन और रूक जायें। इसी प्रकार से एक विषय श्वेत पत्र का आया है। श्वेत पत्र के बारे में बात की जा रही है कि इस पर चर्चा करनी चाहिए या नहीं। इस बारे में कहा गया है कि श्वेत पत्र विधान सभा में नहीं रखा लेकिन

[श्री मनोहर लाल]

मैं समझता हूँ कि श्वेत पत्र विधान सभा में भी रखा जा सकता है और बाहर भी रखा जा सकता है। विषय तो विवेचना का है। प्रदेश के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पर विवेचना कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे वे हमारे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे वे हमारे विपक्ष के लोग हों या हमारे विधायक या सांसद हों, मीडिया के लोग हों या आर्थिक विषयों के ज्ञाता हों। वह तो सबके लिए एक एनालिसिस होता है। अध्यक्ष महोदय, हमने श्वेत पत्र में किसी की आलोचना नहीं की है। हमने तो केवल तथ्य ही सामने रखे हैं और जब हमने तथ्य सामने रखे हैं तो बहुत सी बातें सामने आई हैं। श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने उस पर कुछ टिप्पणियाँ भी की हैं। हम यह नहीं कहते कि सब बातें गलत हैं। उनमें कुछ बातें ठीक भी हैं तो कुछ बातें गलत भी हैं। जब सरकार बदली है तो स्टॉक टेकिंग में हमें एक हिसाब तो लगाना ही होगा कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। किस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक कैसा होता रहा है और हमारी अगली दिशा क्या होगी। जो भेदभाव है उसको रिजनल डिस्पैरिटी के नाम से दिखाया गया है। इसका स्पष्टीकरण क्या दिया गया है- 'regional disparity now not desirable, is natural consequential of locational advantage and over the years the locational advantage enjoyed by NCR region have further strengthened'. हम यही तो कह रहे हैं। हम और कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यही बात तो सरकार भी कर रही है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी कही गई है कि हम एन.सी.आर. क्षेत्र को प्राथमिकता देंगे। अगर आप राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एन.सी.आर. हमारी प्राथमिकता रहेगा। दूसरी बात यह है कि आज आधे से ज्यादा हरियाणा एन.सी.आर. में आता है। करनाल और जीन्द को भी एन.सी.आर. में शामिल करने के बारे में भी फैसला हो रखा है उसको भी आप एन.सी.आर. में शामिल करवा दो तो बहुत अच्छा होगा।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर जीन्द का जिक्र किया गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि जीन्द को एन.सी.आर. में शामिल करने के बारे में अखबार में बहुत बड़े-बड़े विज्ञापन लगाये गये लेकिन आज तक वह एन.सी.आर. में शामिल नहीं हो पाया। अब आपकी सरकार ने जो श्वेत पत्र जारी किया है उसमें बताया गया कि किस प्रकार से इलाकों के साथ भेदभाव किया गया था। मेरा अपना इलाका भी उस भेदभाव का शिकार हुआ है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जिन इलाकों के साथ पिछली सरकार में भेदभाव हुआ है क्या आप उनको राहत देने के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा करेंगे क्योंकि हमें बर्बादी के कगार पर ला कर छोड़ दिया गया है।

श्री मनोहर लाल : अगर आप ध्यान से श्वेत पत्र को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हमने इसमें कहा है कि हरियाणा का एकसम्मत विकास किया जायेगा जो कि बिना किसी भेदभाव के किया जायेगा। यानि हम हरियाणा के तीन अलग-अलग हिस्से बना कर नहीं दिखायेंगे जिसमें एक गुड़गांव, फरीदाबाद का एरिया दूसरा जी.टी. रोड तथा तीसरा जिसको रैस्ट ऑफ हरियाणा यानि पश्चिमी हरियाणा कहते हैं। इनमें भेदभाव किया गया है। इसमें कहा गया है कि एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र से तुलना नहीं करनी चाहिए। इस बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि एक क्षेत्र की बात करेंगे तो क्या गुड़गांव और मेवात एक क्षेत्र में नहीं आते ? दोनों जिले एडज्वाइनिंग हैं। अध्यक्ष महोदय, एडज्वाइनिंग जिले होते हुये भी

आपको जान कर हैरानी होगी कि गुड़गांव जिले की परकैपिटा इन्कम 4,46,000/- रुपये है जबकि मेवात की परकैपिटा इन्कम केवल 46,000/- रुपये है। एक जिले की 446000/- रुपये तथा दूसरे जिले की केवल 46000/- रुपये और दोनों एडज्वाइनिंग जिले हैं। अगर इस लोकेशनल एडवांटेज था तो क्या दोनों जिलों को नहीं हो सकता था ? थोड़ा अन्तर तो समझ में आता है और यह हम भी नहीं कहते कि आप सबको बराबर कर दीजिए लेकिन जो अन्तर है वह नोटेबल होना चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जो डिस्पैरिटी की बात कही गई है उसका मुख्य कारण यह है कि गुड़गांव में सर्विस सैक्टर है, वहाँ पर सर्विसिज ज्यादा हैं। उनका जो टैक्स है वह स्टेट में नहीं आता बल्कि वह सीधा केन्द्र के पास जाता है जिससे गुड़गांव की परकैपिटा इन्कम ज्यादा है। यह तो स्वाभाविक ही है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जब हम लोकेशनल एडवांटेज की बात करते हैं तो लोकेशनल एडवांटेज किस प्रकार से हुआ, क्या यह कहेंगे कि यह दिल्ली के नजदीक है, क्या यह कहेंगे कि वहाँ पर इन्टरनेशनल ऐयरपोर्ट है ? क्या हरियाणा में कोई और स्थान नहीं था जहां 10 साल में इन्टरनेशनल ऐयरपोर्ट बना दिया जाता ? दस साल का लम्बा समय होता है प्रयत्न करना चाहिए था हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि हिसार को हम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करेंगे। एक काऊंटर मैगनट सिटी इसको हम बनाएंगे ताकि जिस लोकेशनल और जिन चीजों के बारे में बताया जा रहा है उसका लोकेशनल एडवांटेज दूसरे स्थानों पर भी हो सकता है इसलिए हम इस काम को करेंगे। हम समझते हैं कि ये योजना हमारे दिमाग में आई और आपके दिमाग में नहीं आ सकती थी ऐसा नहीं हो सकता। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, आप इस योजना को लागू करो और आप हमें जहां कहोगे वहीं आपके साथ खड़े होंगे। आपका स्वागत करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। यह तो हरियाणा के विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। (विघ्न)

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : मान्यवर महोदय, जहां की आप बात कर रहे हैं वहां पर है क्या ? वहां एक बार देख तो लो क्योंकि वहां पर खाली आंकड़े-आंकड़े हैं। मैं कप्तान साहब को कहूंगा कि इस श्वेत पत्र का जो अगला हिस्सा है वह लेकर आएं। अध्यक्ष महोदय, आप एक बार झज्जर में घूमकर आओ तो आपको पता चलेगा कि वहां है क्या ? वहां तो कुछ भी नहीं है। आप नजबगढ़ से बादली आ जाओ तो आपको पता चलेगा कि वहां सतबीर गुलिया के स्कूल के अलावा कुछ नहीं है। वहां वी.एल.डी.ए. नहीं है, वहां वैटर्नरी सर्जन नहीं है इसलिए आप कैसी बात कर रहे हो। वित मंत्री जी, आप इस श्वेत पत्र का अगला चित्र लेकर आओ क्योंकि आबंटन क्या है वह अलग बात है, वहां लगा क्या है वह अलग बात है।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : सर, माननीय सदस्य ने रिजनल डिस्पैरिटी का विषय उठाया है और माननीय मंत्री जी ने भी अपेक्षा की है और मैं भी रोहतक से संबंध रखता हूं, हमारी पीड़ा और वेदना ही इस बात की है कि आंकड़ों में जो खर्चा दिखाई दे रहा है असलियत में वहां न उसका कोई परिणाम नजर आ रहा है और न ही कोई काम दिखाई दे रहा बल्कि वहां केवल आंकड़े-आंकड़े ही दिखाई दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष जी, एक बात तथ्यात्मक कहने के लिए वर्ष 2004 से 2014 तक तमाम आंकड़ों में पैसा खर्च दिखाकर भी जो एम्पलाईमैंट अपोरचुनिटी है उसमें रोहतक जिला भी दो प्वाइंट नीचे आया है, दो स्तर नीचे आया है। 10 साल तक रोहतक में काम करने के

[कैप्टन अभिमन्यु]

बाद भी यह जिला दो स्तर नीचे आया है ये आंकड़े हमने श्वेत पत्र में दिए हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं विवेचना की और आत्म निरीक्षण की है। (विघ्न)

श्री मनीष ग्रोवर : अध्यक्ष महोदय, जो रोहतक के विकास के बारे में चर्चा हो रही है जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा को तीन भागों में बांटा है उसी तरह रोहतक विधान सभा को भी तीन भागों में बांटा गया है। जहां भूपेन्द्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहे हैं उसी के अगल बगल में विकास हुआ है। जनता कालोनी और जो मेरा पुराना शहर है जो रोहतक का दिल है जहां व्यापारी रहते हैं वहां ट्रैफिक की हालत भी चिन्ताजनक है। वहां 10 साल में कोई पार्किंग नहीं बनाई गई। इस तरह रोहतक में विकास किया गया है।

श्री अभय सिंह यादव : सर, मुझे भी एक बात याद आ गई एक कोई लम्बा तगड़ा आदमी था उसका नाम था नाहन्ना उसको एक आदमी कहने लगा कि अरे नाहन्ने इधर आना तो एक मेरे जैसा कोई कमजोर सा आदमी था वह कहने लगा कि अगर तू ही नाहन्ना है तो हम तो पैदा ही नहीं हुए। अगर रोहतक वालों की ही तसल्ली नहीं हुई तो फिर हम तो गये।

श्री जाकिर हुसैन : स्पीकर सर, जहां तक लोकेशनल एडवांटेज की बात है तो मैं कहना चाहूंगा कि मेवात जिले की ये हालत है कि गुड़गांव जिले का सैंड डिवैल्पमैंट प्लान लागू हुआ जो मेरे पास है उसके अन्दर मेवात जिले की तो नहीं खासतौर पर पिछली सरकार में मेवात के एक मंत्री की जमीन को आरजोन में पास करवाने के लिए एक-दो गांव की नहीं बल्कि 9 गांवों के किसानों की जमीन को तरह-तरह से खराब कर दिया गया और सिर्फ मंत्री के ही गांव खानपुर को आरजोन में पास कर दिया गया जबकि डिवल्पमैंट प्लान तो था गुड़गांव का जिसको मेवात में पहुंचा दिया गया। मेवात में नूंह के अन्दर सैक्टर की जमीन एक्वायर हुई, मुआवजा हो गया सारी चीजें हो गई लेकिन आज तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। सर, पीने के पानी की बात करें तो हम फरीदाबाद और दिल्ली का गन्दा पानी पी रहे हैं। समान बंटवारे की बात चलती है लेकिन मेवात के साथ हमेशा ज्यादती होती रही। जिस समय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने तो हमें उम्मीद लगी कि हो सकता है कि अब हमारा भी दांव लग जाएगा लेकिन इन्हें तो मेवात दिखाई ही नहीं दिया। वहां पर सिंचाई के लिए और पीने के पानी को पहुंचाने का काम भी अब मुख्यमंत्री जी ने किया है। शिक्षा में भी अब स्कूलों में डायरी लागू हुई है जिससे अब बच्चे स्कूलों में पढ़ने भी लगे हैं। सर, हमारे साथ तो बहुत ज्यादती हुई है और अब हमें यह उम्मीद है कि यह ज्यादती दूर होगी।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, श्वेत पत्र में हमने कुछ आंकड़े दिये हैं लेकिन बहुत से विषयों के बारे में कम्पैरीजन करके बताया गया है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अभी किसी आंकड़े को झुठलाया नहीं है। सभी आंकड़े ज्यों के त्यों हैं, क्योंकि ये आंकड़े कहीं से लाए नहीं गए बल्कि वित्त विभाग के बजट विंग की ओर से दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, जो सर्वे होते हैं उनके आंकड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, यह ऑफिशियल आंकड़ें हैं इसलिए इन आंकड़ों को कोई झुठला नहीं सकता है। हरियाणा प्रदेश की जनता को हम आंकड़ों के आधार पर ही बता रहे हैं। कितना पैसा कहाँ ले गये और कितना कहाँ लगा। इसमें भी कहीं न कहीं संदेह है। यह पैसा ले तो गए लेकिन लगा या नहीं लगा। आखिर इसका भी हिसाब तो चाहिए।

"उलझे हुए सवाल का जवाब चाहिए
क्या खोया क्या पाया अब हिसाब चाहिए"

अध्यक्ष महोदय, जैसे बिजली के बारे में बातें हुई कि हमारे यहाँ पर बिजली कम आ रही है या ज्यादा आ रही है। अध्यक्ष महोदय, इनको भी पता है कि इनकी सरकार के समय में बिजली का क्या हाल था? अध्यक्ष महोदय, हमारे पास कोई जादू का चिराग तो नहीं है कि सब ठीक हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यह सब ठीक हो सकता है लेकिन मेरा तो इतना ही कहना है कि बिजली पर राजनीति न की जाये। बिजली essential part of our life है। हमें बिजली पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूँ कि वर्ष 2013-14 के नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी और वर्ष 2014-15 के नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी इन चार महीनों की तुलना करें तो वर्ष 2013-14 में 1 लाख,15 हजार 535 यूनिट बिजली की आपूर्ति हुई थी और इस वर्ष 1 लाख, 29 हजार 433 यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई है जो पिछले साल से 13 हजार 900 यूनिट ज्यादा है। **(इस समय मेजे थपथपाई गई)** अध्यक्ष महोदय, ग्रीष्म ऋतु में बिजली की पूरी आपूर्ति करने में कठिनाई आती है। हरियाणा प्रदेश में जितनी बिजली की मांग है उस बारे में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उस मांग को भी पूरा करने के लिए सरकार ने पूरे प्रबंध कर लिये हैं। हरियाणा प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है। **(इस समय मेजे थपथपाई गई)** लेकिन बिजली कम्पनियों का जो घाटा है यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। इसका मेन कारण लाईन लॉसिज और बिजली की चोरी है और उपभोक्ताओं द्वारा बिजली के बिल न भरने की वजह से भी यह समस्याएं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो पहली बार इस महान सदन में चुनकर आया हूँ। सदन में क्या होता था क्या नहीं होता था मुझे इस बारे में पता नहीं है। सदन से बाहर चर्चा होती थी और राजनीति की जाती थी कि बिजली के बिल मत भरो, बिजली के बिल हम माफ कर देंगे या करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बातें जिस किसी भी माननीय सदस्य ने कही हैं वह गलत कही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह रिकॉर्ड निकालकर देख लें कि किस ने कहा है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि बिजली की आपूर्ति कम या ज्यादा हो रही है उसके बारे में हाउस में चर्चा की जानी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश का उपभोक्ता कहता है कि हमें बिजली पूरी दे दो, बिजली की क्वालिटी होनी चाहिए और हम बिजली के पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने 26 अक्तूबर, 2014 को जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उसके ठीक चार दिन बाद मेरे पैतृक गाँव बनियानी में जहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, वहाँ पर मिलने के लिए 12-13 लोग आये। उन्होंने कहा कि हमें आपसे बात करनी है तो मैंने कहा कि बताईये तो उन्होंने कहा कि हमारा ट्रांसफर खराब पड़ा हुआ है इसे बदलवा दीजिए। मैंने उनसे पूछा कि आप बिजली का बिल पूरा भरते हो तो उनमें से आधे लोग पीछे हट गये। उन्होंने मुझ से कोई उत्तर नहीं मांगा और वे चले गये। अध्यक्ष महोदय, 15 दिन के बाद वे लोग फिर आये और कहने लगे कि हमने बिजली के बिल भरने शुरू कर दिये हैं लेकिन पिछले जो बिल पैंडिंग है उन बिलों की पैनल्टी माफ करवा दीजिए या इन्ट्रस्ट कम करवा दीजिए। उन्होंने कहा कि जितने भी बिल बिना इन्ट्रस्ट के थे वे सब हमने भर दिये हैं और बाकी बिल भी जल्दी भर देंगे। अध्यक्ष महोदय, वे कह रहे थे कि आप बिजली विभाग के अधिकारियों को कह दें कि जो बाकी बिल भरने हैं, किश्तों के

[श्री मनोहर लाल]

माध्यम से भरवा लें। अध्यक्ष महोदय, मुझे उसमें लगा कि उपभोक्ता बिल भरने के लिए तैयार है। अध्यक्ष महोदय, चाहे वह गाँव का किसान हो, चाहे वह बी.पी.एल. परिवार का व्यक्ति हो, चाहे वह शहर का व्यक्ति हो और चाहे वह इन्डस्ट्रीज का व्यक्ति हो। सभी बिल भरने के लिए तैयार हैं, आवश्यकता केवल उसे प्रोत्साहन देने की है। हमने एक योजना बनाई है कि फीडर को इकाई मानकर जो भी गाँव के फीडर लाईन लॉसिज को 20 प्रतिशत कम करेंगे तो बिजली के जो वर्तमान बिल हैं उनका पूरा रिलाईजेशन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले बकाया बिलों पर लगी पैनेल्टी और ब्याज माफी की एक योजना हम देंगे, इस तरह की योजना पहले भी सरकारें देती रही हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है कि हम पहली बार इस तरह की योजना देंगे, लेकिन सुनिश्चित यह करेंगे की इस क्रम में जो आगे आयेंगे उनको 24 घण्टे बिजली देंगे, यह हमारा वायदा है। **(इस समय मेजें थपथपाई गई।)** (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक हर ढाणी को बिजली दी जायेगी क्या इस बारे में मुख्यमंत्री महोदय बताएंगे? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बिजली के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ जैसाकि कहा जा रहा है कि बिजली के बिल माफ करेंगे। एक बहुत बड़ा आदमी जिसका बिजली खाता नं0 3146100000 है, लगभग 46 हजार रुपये उसकी तरफ बकाया पड़ा हुआ है। जिसका बिल भी मेरे पास है। सरकार किसी गरीब किसान की बजाय उस आदमी का बिजली का कनैक्शन काटने का काम करे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूँगा कि वे एकजुट होकर अपने-अपने क्षेत्रों में सबको प्रेरणा दें और इस बात के लिए इन्सपायर करें कि जो लोग बिजली के बिल भरते हैं उन्हें सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जाती है इस कार्य से बहुत सारी समस्याओं का हल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य राज्यपाल अभिभाषण पर बोल चुके हैं।.

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी दरियादिली दिखाते हुए सभी माननीय सदस्यों को राज्यपाल अभिभाषण पर बोलने का बहुत समय दे दिया है, इसलिए बीच-बीच में कोई सवाल करने का कोई अर्थ नहीं बनता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता जवाब दे रहें हैं, प्लीज, बैठ जाइये।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिजली के बारे में कहा है कि जो गांव बिजली का पूरा बिल भरेंगे, उन्हें 24 घण्टे बिजली मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए पहले भी आपके माध्यम से सदन में यह बात रखी थी और अब भी सदन में कह रहा हूँ कि मेरा निर्वाचन जिला सिरसा में एक आध गांव के 2-5 आदमियों को छोड़कर शत प्रतिशत बिजली का बिल भरते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि जो पूरा बिल भर रहे हैं उनको भी दिन में 2 से 4 घण्टे ही बिजली मिलती है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहां 24 घण्टे बिजली न देकर कम से कम 18, 16 या 12 घण्टे ही बिजली देने की कृपा करें।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर 2 से 4 घण्टे बिजली दी जाती हो। अध्यक्ष महोदय, गांव के घरेलू उपभोक्ताओं के लिये 11 घण्टे, एग्रीकल्चर के लिए 8 घण्टे और इन्डस्ट्री के लिये 24 घण्टे की बिजली पहले के पैमाने के अनुसार दे रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हम जल्दी ही एक शिडयूल बनाकर जहां 24 घण्टे बिजली देना बनता है वहां 24 घण्टे यानि पूरी बिजली देंगे। इस प्रकार की एक स्कीम को लागू करेंगे इसके लिये आंकड़े मंगवाये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कुछ फीडर्ज ऐसे हैं जहां पूरी बिजली देय बनती है। माननीय अभय सिंह चौटाला जी के सिरसा जिले की भी मैं सराहना करता हूँ क्योंकि उनका जिला भी उन्हीं में है इसलिए इसकी सेवा भी तुरन्त बहाल करने वाले हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता जवाब दे रहे हैं और बीच में बोलना सही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका दीजिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल भी नहीं। सदन के नेता बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मैडम किरण चौधरी की ही बात कह रहा हूँ कि श्रीमती किरण चौधरी ने महिलाओं के विरुद्ध अपराध का जो मुद्दा उठाया है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या और सदन को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के 4 महीने के कार्यकाल में पिछली सरकार की अवधि की तुलना में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में लगभग 8 प्रतिशत की कमी आई है, जो रिकॉर्ड की बात है। **(इस समय मेजें थपथपाई गईं।)** सरकार इस मामले में काफी सजग है और अब महिलाएं पहले से अधिक सुरक्षित हैं। मेरा मानना है कि घटना चाहे कहीं भी घटित क्यों न हुई हो प्रदेश के किसी भी थाने में उसकी एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जा सकती है। पूर्व में शिकायतें रही हैं कि घटना हो जाती थी लेकिन एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती थी। हमने जीरो एफ.आई.आर. का प्रावधान किया है। हालांकि यह प्रावधान नया नहीं है। जीरो एफ.आई.आर. का प्रावधान बहुत पुराना है। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि पहले की सरकारों ने इसको समझकर लागू क्यों नहीं किया। हमने इसको लागू किया है। घटना चाहे हरियाणा या दूसरे किसी प्रदेश की क्यों न हो उसकी एफ.आई.आर. यहां दर्ज की जाएगी। अगर हरियाणा में कोई अपराधी आकर छुप जाता है तो हरियाणा के किसी भी थाने में रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा। हमने पुलिस के हर समय पोर्टल की उपलब्धता का भी प्रावधान किया है। कम्प्यूटर के सरकारी पोर्टल पर किसी भी समय शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और उस कम्पलेंट को प्रारम्भिक छान-बीन करने के बाद एफ.आई.आर. में तबदील किया जा सकेगा। किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं

19.00 बजे

[श्री मनोहर लाल]

होगी और 7 दिनों के अंदर एफ.आई.आर. की कॉपी शिकायतकर्ता के घर भेजने की व्यवस्था की है। हर समय उपलब्ध पोर्टल पर अब तक 2874 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें से 1731 शिकायतों का निपटारा भी हुआ हैं। शिक्षा के संबंध में श्रीमती किरण चौधरी जी ने अपने पत्रों का उल्लेख किया है। इन्होंने कहा कि मैंने इतने पत्र लिखे। बड़ी हैरानी की बात है कि इन्होंने पत्र तो कई लिखे हैं। इन पत्रों की डेट तो अलग-अलग हैं जैसे एक 2 फरवरी का है, दूसरा 10 फरवरी का है, तीसरा 17 फरवरी का है लेकिन मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से ये सभी पत्र 26 फरवरी को एक-साथ कार्यालय को मिले हैं। यह किसके कार्यालय की कमी है। आपके कार्यालय की कमी है या हमारे कार्यालय की कमी है यह छानबीन का विषय है। ये पत्र हमारे पास 26 फरवरी को रिसीव हुए हैं और मैंने तीन मार्च को उनका उत्तर दे दिया है। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, यह माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय की कमी रही है। आपके द्वारा मेरे पत्रों का जो आपने उत्तर दिया है वह मुझ तक नहीं पहुंचा है। मेरे प्रश्नों के उत्तर कहीं रास्ते में ही हैं। (विघ्न Speaker Sir, these are matters of public interest so I want that Hon'ble Chief Minister should be serious about this and let me know what is happening?

श्री अभिजं विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैडम किरण चौधरी अपना दफ्तर भी चैक कर लें।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विज जी से कहना चाहती हूं कि हमारा दफ्तर बिल्कुल ठीक है। आपको अपना दफ्तर सम्भालना चाहिए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सभी को अपना दफ्तर सम्भालना पड़ेगा। हम इस में कोई लापरवाही नहीं बरतने देंगे। आज तक के सारे सिस्टम जो पिछली फाईलों में चल रहे हैं, बहुत ही सिम्पल तरीके से चल रहे हैं हम उनमें तेजी लाएंगे। क्या फाईल ट्रैकिंग सिस्टम हर विभाग में लागू नहीं हो सकता था ? जिले के कार्यालयों और प्रदेश के विभागों में 5-5 साल से फाईलें पड़ी हैं और ये फाईलें वर्षो से चल रही हैं। अब पता चला है कि ये फाईलें आगे क्यों नहीं सरकती थी। अब हमने फाईल ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया है। हमने पैंडेंसी के बहुत से काम को पूरा किया है। हमने तय कर दिया है कि एक निश्चित अवधि के बाद वह फाईल आनी ही चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा कि फाईल सरक-सरक कर आएगी या मंगवाई जाएगी। मेरे पास एक सज्जन आए और कहने लगे कि मेरी जमीन की सी.एल.यू. की फाइल निकलवा दो। मैंने कहा कि इंडस्ट्री तो बंद हो चुकी है लेकिन आपकी सी.एल.यू. की फाईल कहां है? उसने जवाब दिया कि वह नीचे पड़ी है। मैंने प्रश्न किया कि अब तक यहां क्यों नहीं आई है? उसने कहा कि नीचे वाले कहते हैं कि अगर ऊपर से सूचना आएगी तो हम फाईल भेज देंगे। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हैं तो उसने जवाब दिया कि सर, यह पहले से ही यही सिस्टम चला आ रहा है। अध्यक्ष जी, सिस्टम ही ऐसा चला आ रहा है। यह एक पद्धति बन चुकी है। यह पहले से तय होता है कि फाईल किसकी मंगवानी है और किसकी नहीं मंगवानी है। यह कैसी पद्धति है ? अगर कोई फाईल चले तो वह ऊपर तक तक आनी चाहिए, सभी फाईलें ऊपर तक आनी चाहिएं। अब कोई सी.एल.यू. की फाईल नीचे नहीं रूकेगी। अगर विभाग के अनुसार प्रार्थी आवश्यक कागज पूरे करता होगा तो उसको सी.एल.यू.

मिल जाएगा और अगर कागजों में अपेक्षित बातें नहीं होंगी तो फिर चाहे कोई कितना ही जोर लगा लें सी.एल.यू. नहीं मिलेगा। पारदर्शिता के आधार पर अब वैब साईट पर ये सब चीजें हम डालेंगे कि किस आदमी की सी.एल.यू. की फाईल कहां है। जिस आदमी की जमीन है वह किस बात के लिए उस जमीन में परिवर्तन करवाना चाहता है। (विघ्न) दलाल साहब, अब आप भी मजे लेने वाले हो गये हैं हमें आपसे यह अपेक्षा नहीं थी। मित्रों, हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है और आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा मंजिल प्राप्त करेंगे। जहां तक भर्ती की बात है तो यह एक नया विषय हैं। जिस विषय की चर्चा यहां पर हो रही है कि कहीं गेस्ट टीचर, कहीं जे.बी.टी. टीचर, कहीं कम्प्यूटर टीचर, कहीं पटवारी, कहीं लैब एटैंडैंट पता नहीं क्या-क्या तमाशे हो रहे हैं। कोई विभाग कह रहा है कि 60 हजार पद रिक्त हैं, कोई कह रहा है कि 80 हजार पद रिक्त हैं और कोई एक लाख पद रिक्त बता रहा है। प्रत्येक विभाग अपने हिसाब से अलग-अलग आंकड़ें दे रहा है सभी विभाग अपने हिसाब से आँकड़े दे रहे हैं जैसें अंधा बांटे रेवड़ी और मुड़ मुड़ कर अपने अपनों को ही दें। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्यों न हम पारदर्शी सिस्टम बना दें। योग्यता के आधार पर हम नौकरी देंगे। इस बारे में बहुत सी शंकाएं आ रही हैं कि योग्यता के आधार पर नौकरी देंगे तो उन लिस्टों का क्या होगा जो लिस्ट ऊपर से नीचे चलती हैं। हम लिस्ट नहीं बनायेंगे, क्यों बनायें लिस्ट आखिर इसके लिए सरकार की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। वे व्यवस्थाएं कैंडीडेट की योग्यता को नापेंगी, परीक्षा लेंगी, उनकी योग्यता के लिए उनके पिछले प्रमाण पत्र भी होंगे उसके बाद इन्ट्रव्यू लेना अनिवार्य होगा तो इन्ट्रव्यू रखेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट की गाईडलाईन्ज के हिसाब से साढ़े बारह प्रतिशत से ज्यादा अंक इन्टरव्यू के नहीं रखेंगे। हम साढ़े बारह प्रतिशत से ज्यादा इन्ट्रव्यू के अंक नहीं जाने देंगे। पुलिस की भर्ती के लिए इन्ट्रव्यू की आवश्यकता नहीं है। बिना इन्ट्रव्यू के भी पुलिस की भर्ती हो सकती है। उनकी योग्यता के आधार पर, शारीरिक योग्यता के आधार पर और सामान्य ज्ञान के आधार पर लिखित परीक्षा के आधार पर कान्सटेबल और हैड कान्सटेबल की भर्ती करेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, पुलिस की भर्ती के लिए इन्ट्रव्यू और फिजिकल टैस्ट हो गया है उसके बारे में भी बतायें।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठिये आपने अपनी पूरी बात कह ली है और उसी का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी सारे विभागों में 43707 पद रिक्त हैं कोई कह रहा है कि एक लाख हैं। हम हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग का गठन करके 43707 पदों को अवश्य भरेंगे। पुलिस भर्ती के लिए लड़कों को 5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और लड़कियों को अढ़ाई किलोमीटर की दौड़ 15 मिनट में पूरी करनी होगी। दौड़ में सफल उम्मीदवारों का शारीरिक माप होगा, फिर इसके बाद सामान्य ज्ञान का टैस्ट होगा उसके बाद उसका इन्ट्रव्यू नहीं होगा। अब चेहरा दिखाकर, रिश्तेदारी को देखकर, मित्रों को देखकर यह भर्ती नहीं होगी। इस विषय के लिए जनता का समर्थन काफी है और उसी समर्थन से हम सारा काम कर लेंगे। आगे तो हम कर लेंगे लेकिन पिछले किए हुए कामों का हिसाब हम जरूर लेंगे। सरकारी कर्मचारियों की समस्यायें भी हमारे ध्यान में आई हैं। उनके रूटीन के छोटे-मोटे केसिज़ काफी लंबे समय से लंबित पड़े हैं। जैसे किसी कर्मचारी का मैडीकल रिम्बर्समैंट का मामला पैंडिंग है, किसी कर्मचारी का प्रोमोशन का मामला

[श्री मनोहर लाल]

पैंडिंग है, किसी कर्मचारी का छुट्टी का मामला लंबित है। हमारे नोटिस में यह आया कि पिछले दिनों के इस प्रकार के छोटे-मोटे 13,000 कैसिज़ बिना किसी कारण के पैंडिंग पाये गये तथा इसी बीच 13,000 की पैंडेंसी में कुछ और नये मामले भी जुड़े होंगे। ये 13,000 केसिज़ तो केवल शिक्षा विभाग के हैं जो लंबित पड़े हुए थे जिनमें से 9,000 केसिज़ का निपटारा कर दिया गया है तथा अब मात्र 4,500 केसिज़ ही बकाया रह गये हैं। (थंपिंग) बड़ी हैरानी होती है कि बिना किसी कारण के मैडीकल रिम्बर्समैंट जैसे छोटे-छोटे मामले पिछले 3-3 सालों से पैंडिंग पड़े हुए थे। हमको तो महसूस होता है कि जिस अधिकारी के समय में ये मामले पैंडिंग रहे हैं, उस अधिकारी को भी चिह्नित कर लिया जाये कि इतनी अधिक संख्या में ऐसे छोटे-छोटे केसिज़ क्यों पैंडिंग पड़े रहे ? मेरा ऐसा मानना है कि यदि कर्मचारी को कुछ देना उचित बनता है तो उसका दिया जाना चाहिए और यदि उचित नहीं बनता है अथवा कोई आपत्ति है तो नहीं देना चाहिए। Pick and choose अब हमारी सरकार में नहीं चलेगा। सबके साथ समान व्यवहार किया जायेगा। इस तरह की बातों को हम हरियाणा प्रदेश में लागू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सड़कों के तंत्र के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश की सड़कों की दुर्दशा भी हम से छिपी हुई नहीं है। सब लोग अपने क्षेत्रों में जाते हैं तथा घूमते हैं। लेकिन पिछली सरकार द्वारा सड़कों के रखरखाव पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। सड़कों के गड्ढों की समस्याओं के बारे में हमें रोजाना शिकायतें मिल रही हैं। इस वर्ष तो जितना कार्य करना संभव हो सकता था, वह सब हमने किया लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि आगामी वित्त वर्ष में सबसे पहले सड़कों की रिपेयर का काम किया जायेगा और जहां-जहां पर नई सड़कें बनाने की बात आएगी, वहां पर नई सड़कें बनाई जायेंगी। मैं केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लिए 6 परियोजनाओं को स्वीकृत किया है जिनमें से एक विशेष योजना है, जिस योजना के बारे में मैंने 2 दिन पहले सदन में बताया था, वह है कोटपुतली से हांसी तक की सड़क तथा पूर्व की एक योजना जिस पर पिछली सरकार के समय में कार्य शुरू नहीं हुआ था तथा उस योजना के अंतर्गत अब वर्तमान सरकार द्वारा कार्य शुरू होने जा रहा है, वह योजना है अम्बाला से तीतरम मोड़ तथा आगे राजगढ़ तक। (विघ्न) ये सब बातें हमारे ध्यान में हैं। (विघ्न) गड्ढे और तालाब की सारी बातें भी हमारे ध्यान में हैं लेकिन हमारा कहना यह है कि पिछली सरकारों से जो नहीं हो पाया है वे सब बातें हमारे ध्यान में है हम उन सब कार्यों को करने की कोशिश करेंगे। (विघ्न) मैंने पहले ही सदन को बताया है कि आगामी वित्त वर्ष के बजट में इन सब बातों पर ध्यान दिया जायेगा। (विघ्न) क्योंकि अभी तो इस वित्त वर्ष के मात्र 10-12 दिन ही शेष रह गये हैं। हमने P.W.D. (B & R) विभाग को निर्देश दिये हैं कि जहां-जहां पर बहुत आवश्यक है, वहां पर सभी लंबित कार्य शुरू किये जायें तथा सारे कार्य चालू हो भी गये हैं क्योंकि 15 फरवरी, 2015 से पहले इन कार्यों को शुरू करना संभव नहीं था, उसके बाद ही ये कार्य शुरू किये गये हैं। अगले वित्त वर्ष में हमारे वित्त मंत्री इन सभी कार्यों को करने के लिए कोई प्रावधान अवश्य करेंगे तथा उनको प्राथमिकता देंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैं बता रहा था कि तीतरम मोड़ से हांसी मार्ग भी नैशनल हाईवे बने इसके लिए माननीय केन्द्रीय मंत्री महोदय ने मौखिक तौर पर अपनी सहमति दे दी है। यदि यह नैशनल हाईवे बन जाता है तो एक पैरलल रोड अम्बाला से कोटपुतली सीधे ही पंजाब व राजस्थान दोनों राज्यों को जोड़ देगा और पूरे हरियाणा राज्य को भी औद्योगिक दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर आदि का लाभ होगा। (थंपिंग) कुण्डली-मानेसर-पलवल सड़क की तो एक लंबी कहानी है, जिसको यहां पर सुनाना ठीक नहीं है, क्योंकि

सदन का कीमती समय ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिये हैं कि दो महीने के अंदर किसी भी हालत में यह सड़क शुरू होनी चाहिए जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। इस प्रकार से किसी भी तरह से इस कार्य को अप्रैल, 2015 के प्रथम सप्ताह में चालू करवा दिया जाएगा। इसका लाभ हमें अवश्य होगा। (विघ्न) मैं कहता हूं कि यह कार्य शुरू तो होने दो। कादियान साहब, आप तो इस सड़क का कार्य भी शुरू नहीं करवा पाये थे। इस सड़क पर जितना भी कार्य आपने शुरू करवाया तथा वह भी क्या करवाया व उसका क्या हुआ इसलिए इस कहानी को बताने में ही ज्यादा समय चला जाएगा। टोल टैक्स के बारे में मैं किरण चौधरी जी को याद दिलाना चाहूंगा कि इन्होंने टोल टैक्स को हटाने की बात कही है। जो दो टोल टैक्स तोशाम से हिसार और तोशाम से भिवानी लगाए गए थे मैं पूछता हूं वे किसने लगाए थे, वे आपने ही लगवाएं हैं। जो रिकार्ड मुझे मिला है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि 25.8.08 की मीटिंग में 14 रोड्स पर टोल टैक्स लगाने का विचार किया गया। तोशाम से हिसार रोड और तोशाम से भिवानी रोड इनमें शामिल हैं। इस मीटिंग के बारे में आप यह भी नहीं कह सकती कि आप उसमें उपस्थित नहीं थी।

श्रीमती किरण चौधरी : बिल्कुल नहीं, मैं उस मीटिंग में उपस्थित नहीं थी। 2008 में जब इन सड़कों पर टोल टैक्स लगाने जा रहे थे उस समय इस सड़क को इसलिए नहीं लिया गया था क्योंकि यह रूरल रोड है। उसके ऊपर पी.डब्ल्यू. डी. ने 18 करोड़ रुपये कारपेटिंग के लिए डाला था तो टोल टैक्स का तो मतलब ही नहीं था। पैसा लगाकर फिर उनको टोल पर देंगें क्या ?

श्री मनोहर लाल : किरण चौधरी जी , टोल के सम्बंध में जो मीटिंग्ज हुई हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 14.12.11 को मीटिंग हुई जिसमें आप शामिल थीं, 27.7.12 को मीटिंग हुई जिसमें आप शामिल थीं और 18.12.13 की मीटिंग में भी आप शामिल थीं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल नहीं, मैं इन मीटिंगों में शामिल नहीं थी। यह बिल्कुल गलत बात है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं ऑन रिकार्ड बताना चाहती हूं कि 2008 के अंदर जब इस सड़क पर टोल टैक्स लगाने की बात आई थी तो मैंने उसका विरोध किया था। मैंने कहा था कि यह नहीं लगेगा और उसके बाद यह टोल टैक्स नहीं लगा था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : किरण जी, 2008 की बात नहीं है बल्कि दूसरी जितनी सड़कों पर टोल टैक्स लगाए गए हैं उनकी सबकी बैठकों में आपकी उपस्थिति दिखाई गई है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, दूसरी सड़कों की बात मैं नहीं कर रही हूं। मैंने आपके सामने जो बात रखी थी वह केवल तोशाम से हिसार और तोशाम से भिवानी सड़क की रखी थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : किरण जी, जिस सड़क पर टोल टैक्स की सहमति दी गई है वह सड़क कहीं न कहीं तो हरियाणा की जमीन पर है। यदि वह सड़क हरियाणा की जमीन पर है और फिर आप कहेंगी कि मैंने एक कांस्टीच्युंसी में टोल टैक्स लगाने की सहमति नहीं दी है और बाकी में दी है तो यह बहुत बड़ा भेदभाव है। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने अभी कहा है कि मैं उस मीटिंग में

[श्रीमती किरण चौधरी]
शामिल थी। मैं कोई ऐसी मीटिंग में शामिल नहीं थी जहां लोशाम से हिसार और तोशाम से भिवानी सड़क पर टोल लगाया गया हो।

श्री मनोहर लाल : 14.12.2011 को जिन रोड्स पर टैक्स लगाया गया है वे हैं पेहवा, लाडवा, सहारनपुर ...

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बाकी जगह सड़कों पर जो टोल टैक्स लग रहा है उसका मुझे नहीं मालूम। I am not talking about the rest लेकिन जहां तक तोशाम और हिसार की बात है तो मैंने 2008 में इसका विरोध किया था।

श्री मनोहर लाल : किरण जी, 2008 के बाद कोई टोल टैक्स न लगा हो तब तो बात है। मैं 2008 के बाद की बातें बता रहा हूं। 2008 में टोल टैक्स लगा, आपने लगने दिया या नहीं लगने दिया यह विषय नहीं है लेकिन जिन सड़कों पर 2011 में टोल टैक्स लगा ये तो 2008 के बाद ही लगे हैं। टोल टैक्स का विरोध करते तो सारी सड़कों के टोल के बारे में करते। आपने उसके बाद तो हां कर ली और उस समय ना भी की होगी तो उसका कोई अर्थ नहीं बचता क्योंकि टोल टैक्स तो टोल टैक्स है वह चाहे किसी भी रोड पर लगे। साहा शाहबाद रोड टोल डिसाइडिड, करनाल रम्मा इन्द्री लाडवा रोड टोल डिसाइडिड। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण चौधरी जी, आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह सरासर गलत है और मैं रिकार्ड पर लाना चाहती हूं कि यह जबरदस्ती है। ********

श्री अध्यक्ष : किरण चौधरी जी अब जो कुछ कह रही हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय कैबिनेट कोलैक्टिव रिस्पौंसबिलिटी के सिद्धांत पर काम करती है। यह कौन सी कैबिनेट है जिसमें निर्णय हुआ है और एक मंत्री कह रही है कि मैं उससे सहमत नहीं हूं। यह किस प्रकार की कैबिनेट है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, चलो छोड़ो, हम यह कह सकते हैं कि यह सब कांग्रेस सरकार के किए हुए काम हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : मुख्यमंत्री जी, यह एक रूरल सड़क है और जो भी आपको इस पर टोल टैक्स लगाने के लिए बता रहा है वह आपको गुमराह कर रहा है। इस सड़क पर किसान चलता है। इस सड़क पर गरीब आदमी चलता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किसान पर तो टोल लगाया ही नहीं गया, टोल तो कमिशयल व्हीकल पर लगाया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ...

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक सड़क की बात नहीं कर रहा हूं। सभी सड़कों पर जो टोल लगाए गए हैं वे पिछली सरकार ने लगाए हैं। किरण जी, उन निर्णयों में से बहुत से निर्णयों में आप शामिल हैं। जो कैबिनेट का फैसला है वह कैबिनेट के हिसाब से सुनना चाहिए। मैं हूं या नहीं हूं यह कोई विषय नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : मेरी परमिशन के बिना माननीय सदस्या जो कुछ बोल रही हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां पैंशन के बारे में भी चर्चा की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैडम, प्लीज, आप बैठें।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि प्रदेश में जो पैंशन के मामले हैं इनके बारे में भी सवाल उठाये गये हैं। मेरे मित्रों ने इस विषय पर सवाल उठाया कि वर्ष 2004 में बुढ़ापा पैंशन के जितने लोग पात्र थे। (विघ्न)

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, हमने यह सवाल उठाया था कि 1987 में जब चौधरी देवी लाल जी ने बुढ़ापा पैंशन लागू की थी उस समय भी करीबन 14 लाख लोग प्रदेश में बुढ़ापा पैंशनर थे और 2014 में भी करीबन 14 लाख लोग ही बुढ़ापा पैंशनर हैं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ठीक कह रहे हैं लेकिन 2004 में करीबन 5.50 लाख बुढ़ापा पैंशनर प्रदेश में थे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात जायज है। इसके पीछे कारण यह रहा कि जब चौधरी भजन लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उस समय जिन लोगों के पास 4 एकड़ जमीन थी और वे बुढ़ापा पैंशन ले रहे थे तो उनकी पैंशन काट दी गई। उस समय करीबन 6 लाख लोगों की पैंशन काटी गई थी। यही वजह रही कि आंकड़े चेंज हो गये। अध्यक्ष महोदय, 1987 में 14 लाख बुढ़ापा पैंशन धारक थे और आज भी 14 लाख पैंशन धारक हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं प्रदेश में बहुत से ऐसे बुजुर्ग होंगे जिनकी अनदेखी पिछली सरकार के समय में हुई होगी। इसलिए बुढ़ापा पैंशन का दोबारा से सर्वे करवाकर, जो पात्र लोग रह गये थे उनको भी पैंशन दी जाए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आज भी ऐसा मानना है कि बहुत से पात्र लोग जिनको पैंशन मिलनी चाहिए वे पैंशन से वंचित हैं। हमारे जो प्रारंभिक आंकड़े हैं उनके मुताबिक अपात्र लोगों को पैंशन मिल रही है। इसमें कई तरह की हेराफेरी है। बुढ़ापा पैंशन को लेकर अकेले करनाल जिले का आडिट हुआ है जिसमें पैंशन का काफी घोटाला मिला है। इसकी एफ.आई.आर. भी दर्ज हो चुकी है। वहां अपात्र लोगों को पैंशन मिल रही थी और पात्र लोगों को पैंशन नहीं मिल रही थी। भविष्य में अपात्र लोगों को पैंशन न मिले इसका समाधान हमारी सरकार कर रही है। पहले

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री मनोहर लाल]

भी इसका समाधान किया गया होगा, कामयाबी नहीं मिली होगी। अब सभी पैंशन धारकों को निश्चित पद्धति से पैंशन भेजी जाएगी। जिन गांवों में बैंक हैं वहां बैंकों के थ्रू पैंशन दी जायेगी। जनधन योजना के तहत तकरीबन सबके खाते बैंकों में खुले हुए हैं और यदि किसी का खाता नहीं भी खुला हुआ तो वह अलग से भी खुलवा सकते हैं। यदि कोई असहाय आदमी किसी कारण से बैंक में नहीं जा सकता है तो वहां घर तक पैंशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। उनको चैक बुक और ए.टी.एम. कार्ड भी दिए गए हैं उसके तहत भी पैंशन ड्रा की जा सकेगी। अध्यक्ष महोदय, जिन गांवों में बैंक हैं वहां बैंक्स के थ्रू पैंशन दी जायेगी। जिन गांवों में बैंक नहीं हैं वहां बी.सी.ए. (बैंक कोर्सपौंडैंट एसोसियट्स) के थ्रू पैंशन दी जायेगी और घरों में बायो-मैट्रिक्स के माध्यम से पैंशन भेजी जायेगी। इसी तरह से जिन गांवों में पोस्ट आफिस हैं और इंटरनैट की सुविधा है वहां पोस्ट आफिस के माध्यम से पैंशन दी जायेगी। इसी तरह से कोपरेटिव बैंक्स की भी बात आई। जिन गांवों में कोपरेटिव बैंक्स हैं और इंटरनैट की व्यवस्था है वहां कोपरेटिव बैंक्स के थ्रू पैंशन दी जायेगी। इस तरह से जहां तक मैं समझता हूं बड़ी संख्या में जो अपात्र लोग हैं उनकी पैंशन बंद होगी। मैं इस बारे में पहले से ही यह बात कह देना चाहता हूं कि हो सकता है कि जो पिछली गड़बड़ियां हैं उनको ठीक करते-करते कहीं पैंशनधारकों का यह आंकड़ा कम न हो जाये। अगर पैंशन धारक व्यक्तियों का आंकड़ा कुछ कम हुआ तो वह पिछली गड़बड़ियों को दुरूस्त करने के कारण होगा। भविष्य के लिए हमारी यही कोशिश रहेगी कि हरियाणा प्रदेश में कोई भी पात्र व्यक्ति पैंशन की सुविधा से वंचित न रहे। हम उनका निर्धारित मापदण्डों के अनुसार दोबारा से सर्वे करवायेंगे और पात्र व्यक्तियों को हर हाल में पैंशन मिलेगी। माननीय सदस्य दलाल साहब ने एक विषय उठाया है कि जो हैंडीकैप्ड हैं उन्हें 18 वर्ष की आयु के बजाय जन्म से ही पैंशन दी जाये। इस बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि 0 से 18 वर्ष के जो निशक्त बच्चे हैं उनको 700 रुपये प्रति माह की दर से पहले से ही पैंशन दी जा रही है। इसी प्रकार से यह पैंशन 18 वर्ष के बाद बढ़कर 1200 रुपये प्रति माह हो जाती है। इससे पहले 70 प्रतिशत हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए 1000 रुपये पैंशन का अगर कोई नियम था तो उनको भी हम इस प्रकार से पैंशन देने की व्यवस्था करेंगे। इसी के साथ-साथ मैं यह बताना चाहूंगा कि जो स्कूल और कालेजों में पढने वाले निशक्त बच्चे हैं उनके बारे में एक डिस्क्रीपैंसी हमारे ध्यान में आई है कि उनको 400 रुपये से 2500 रुपये प्रति माह तक पैंशन दी जाती है। मेरे कहने का यह मतलब है कि जो नहीं पढ़ता उसे हम उसके जन्म के समय से 700 रुपये प्रति माह पैंशन दे रहे हैं लेकिन जब वह पढ़ना शुरू कर देगा तो क्या उस समय हम उसको 400 रुपये प्रति माह के हिसाब से पैंशन देंगे। इसलिए हम इसको 700 रुपये प्रति माह से ही शुरू करेंगे और फिर नियमानुसार बढ़ाते हुए 700 रुपये से 2500 रुपये प्रति माह तक की रेंज में उसको हम लेकर आयेंगे या फिर हैंडीकैप्ड की जो न्यूनतम पैंशन होगी वहां से उसको शुरू करेंगे और फिर उसको अधिकतम सीमा तक ले जाकर उसके स्लैब बनाकर उनको हम पैंशन देंगे। **(इस समय मेजें थपथपाई गई।)** (विघ्न) इसी प्रकार से 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम का मैंने उल्लेख किया। इस कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति की लड़कियों को मुफ्त साईकिल देने का भी निर्णय सरकार द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से साईकिल की कीमत 2500 रुपये के साथ-साथ लैपटॉप की कीमत 8000 रुपये भी उनको देय होगी। ऐसे ही अनुसूचित जाति की छात्र-छात्राओं को डिप्लोमा कोर्स में 1000 रुपये की और स्नातक कोर्स के लिए 2500 रुपये की किताबें भी फ्री दी जायेंगी। अब मैं आई.टी. के प्रयोग के बारे में बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह विषय ऐसा है जिसके ऊपर केन्द्र की भी बहुत सी

योजनाएं हैं और इसके अधिकतम प्रयोग के लिए केन्द्र का आग्रह भी हमेशा से ही रहा है। ये सारे प्रयोग हमने अपनी सरकार आने के बाद स्वच्छ प्रशासन और सुशासन देने के लिए किए हैं। ऐसी बात नहीं है कि पहले से ये योजनाएं नहीं थी। ये योजनाएं थी लेकिन ये सारी योजनाएं पहले फाईलों में ही थी। इन सभी योजनाओं को हमारे आई.टी. विभाग ने और अलग-अलग विभागों ने उसको केवल अपने तक ही सीमित कर रखा था। हमारे आई.टी. विभाग में भी लाखों रुपये के पैकेज देकर लोग आइडल बिठाये हुए थे। हमने आते ही उन सभी व्यवस्थाओं को जनहित में और भ्रष्टाचार को रोकने के काम में लगाया ताकि ह्यूमैन इंटरफेरैंस का सिस्टम कम से कम हो और डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम कम से कम हो। विधिवत व्यवस्था बने और सिस्टम से सारी योजनाएं और कार्य आगे बढ़ें इसीलिए हमने हर विभाग में आई.टी. के प्रयोग को विशेष प्रोत्साहन दिया है। डिजिटल इण्डिया की तर्ज पर हम हरियाणा को भी डिजिटल हरियाणा बनायेंगे। हम प्रत्येक विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि प्रशासनिक दक्षता बढ़े और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। सी.एम. विंडो भी इसी का उदाहरण है। सी.एम. विंडो पर अभी तक 35360 शिकायतें, मांग और सुझाव हमको मिले हैं। जहां तक सुझाव की बात है तो वह विचार करने के लिए होता है। जिस प्रकार का सुझाव होता है उसके ऊपर उस हिसाब से विचार कर लिया जाता है उसके लिए किसी सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। मांग पर मांग-पत्र के हिसाब से विचार किया जायेगा और उसके बाद जिस प्रकार की व्यवस्था जरूरी होगी वह की जायेगी। इसके अलावा जहां तक शिकायतों का सम्बंध है जो इंडीविजुअल शिकायतें होती हैं सम्बंधित विभाग उनके ऊपर जल्दी से जल्दी आवश्यक कार्यवाही करें, इस आशय के आदेश जारी किये जा चुके हैं। थी.आई.पी. कल्चर को समाप्त करके अभी जो परम्परा हमने चलाई है यह अपने आप में एक अलग मिसाल है। इससे पहले शायद मुख्यमंत्री और मंत्री खुश होते होंगे कि उन्हें हर कोई सलाम कर रहा है, हर कोई नमस्ते कर रहा है और अपने काम के लिए हर कोई उन्हें कागज़ पकड़ा रहा है। मैं यह समझता हूं कि लोकतंत्र में यह कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है कि लोग हमारे पीछे-पीछे घूमें और हम आगे-आगे दौड़ें। मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों को एक व्यवस्था मिलनी चाहिए। हर किसी के पास मुख्यमंत्री और मंत्री के कार्यालय में चण्डीगढ़ आने के लिए और आवास पर जाने के लिए पर्याप्त साधन और समय नहीं होता इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इन सबका हल निकालने के लिए हमने नई व्यवस्था बनाई है। इस व्यवस्था में जो भी कमियां ध्यान में आयेंगी, उनको भी हम ठीक करेंगे।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर हाउस की सहमति हो तो सदन का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : जी हाँ सर।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, 35360 शिकायतों में से 16557 शिकायतें ऐसी हैं जिनका समाधान किया जा चुका है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जब मैं स्वयं फोन करता हूँ। हर दिन ज्यादा नहीं तो दो-तीन फोन तो मैं हर रोज करता ही हूँ। मैं फोन उनको ही करता हूँ जिनकी शिकायतों का निपटान हो जाता है। जिनकी शिकायत प्रोसैस में है उनको फोन करने की आवश्यकता नहीं है। लोग अपना काम होने के बाद फोन सुन कर प्रसन्नचित होते हैं, आनन्दित होते हैं। कैथल की बिजली विभाग की एक शिकायत थी, हमने उस व्यक्ति को फोन किया कि क्या आपका काम हुआ, तो उन्होंने बताया कि सर, जो तारें लटकी हुई थी और जिनसे खतरा रहता था वे बदल दी गई हैं और जो अधिकारी 10 हजार रुपये मांग रहा था वे पैसे भी नहीं लगे और आज पता चला है कि वह तबादला करवा कर चला गया है। इसी प्रकार से यमुनानगर में सीवरेज का पानी लीक हो रहा था और सड़क में गड्ढों में पानी भरा हुआ था। हमने यह शिकायत संबंधित विभाग को भेजी तो विभाग ने जवाब दिया कि इस समस्या का हल हो चुका है। हमने संबंधित व्यक्ति को फोन किया तो पता चला कि समस्या का हल तो नहीं हुआ है लेकिन पाईप आ गये हैं। विभाग ने अपनी दक्षता दिखाने के लिए यह कहा है कि पाईप आ गये हैं तो समझो समस्या का हल हो गया है। हमने विभाग के पास दोबारा से फोन किया तथा उनको कहा कि इस प्रकार की अधूरी जानकारी नहीं देनी है बल्कि काम पूरा होने के पश्चात ही जवाब देना है। जिस व्यक्ति की शिकायत होती है उसको फोन किया जाता है कि आपकी शिकायत संबंधित अधिकारी के पास भेज दी गई है आप उनसे सम्पर्क करें। उनको एक निश्चित दिन भी दिया जाता है कि आप उस दिन संबंधित अधिकारी से मिलें। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भीड़ की तरह सभी एक दिन पहुंच जायेंगे, ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। एक निश्चित समय अवधि में उनकी समस्या का समाधान किया जाये, इससे जनता में एक बहुत बड़ा संतोष का काम हमने किया है। प्रशासनिक तंत्र को और अधिक जागरुक बनाने के लिए हम और भी योजनाएं तैयार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, समान विकास की राजनीति हमारा प्रोग्राम है। सब तरफ लोगों की मांगों को देखते हुये समान विकास किया जायेगा तथा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। अब इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं आयेगी। अगले वर्ष से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि लोगों की मांग के हिसाब से तथा उनकी वर्तमान स्थिति के हिसाब से सब चीजें उनको मिल जायें। हम राजनीति से ऊपर उठ कर काम करेंगे। हमारी सांस्कृतिक विचाराधारा को भी पुष्ट करने के लिए कुछ काम जरूरी है। समाज को संस्कार देने हैं, उसकी उमंग बढ़ानी है, उसको प्रोत्साहित करना है। हमारे सांस्कृतिक कला विभाग ने यह विचार किया है कि इसके लिए जिला केन्द्रों पर, ब्लॉक स्तर पर एस.डी.एम. लैवल पर साल में कम से कम एक अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम अवश्य किया जायेगा। केवल कुरुक्षेत्र में या राजधानी में या कोई बड़ा नेता जहाँ पर जाये वहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त तक ही सांस्कृतिक कार्यक्रम सीमित न रखे जायें। सामान्य जन को भी इन कार्यक्रमों का लाभ मिले हमने इसकी पूरी योजना बनाई है। अध्यक्ष महोदय, सरस्वती नदी का जिक्र किया गया था। सरस्वती नदी हमारी एक हैरीटेज है और उसके विकास के लिए हमने सरस्वती हैरीटेज विकास बोर्ड का गठन किया गया है। सरस्वती का उद्गम स्थल आदि बद्री हरियाणा में है और उसकी बहुत मान्यता है। जो सरस्वती लुप्त हो चुकी थी उसको वैज्ञानिकों ने भी खोज निकाला है। उस सरस्वती को हमें संस्कार के नाते, ज्ञान के नाते, इतिहास के नाते तथा शिक्षा के नाते स्वयं को अर्पित करना

है। सरस्वती नदी का जो वर्तमान स्थान प्रचलित है वहाँ पर विकास की योजनाएं बनाई जायेंगी और वहाँ पर सरस्वती हैरीटेज विकास बोर्ड के माध्यम से पर्यटक स्थल विकसित किया जायेगा। चाहे वह बिलासपुर हो, चाहे सरस्वती नगर हो, चाहे पेहवा हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो। इसकी जो वर्तमान लोकेशन है उस हिसाब से यह आगे जा कर घग्घर में मिलती है। इस विकास बोर्ड के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र को विकसित किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, वी.आई.पी. कल्चर पर भी बहुत बातें हुई हैं। जितनी आवश्यक है वह सुरक्षा तो समझ में आती है लेकिन हमें इसको स्टेटस सिम्बल नहीं बनाना चाहिए, इस बात पर हमें ध्यान करना चाहिए। कई बार माँग आती है कि मेरे पास 2 सिपाही हैं तथा 2 और तैनात कर दिये जायें। फिर हम कहते हैं कि भाई कोई खतरा है, रिस्क है तो बताईये हम पुलिस विभाग से उसकी जाँच रिपोर्ट ले लेते हैं। उसके बाद संबंधित व्यक्ति कहता है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन पहले से यह प्रथा चली आ रही है इसलिए आप भी दे दीजिए, लोग हमें क्या कहेंगे कि हमारी सिक्योरिटी वापिस ले ली है। इंटाइटलमैंट के हिसाब से तो सिक्योरिटी ठीक है लेकिन उससे ज्यादा मांग कर स्टेटस सिम्बल के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मैंने मुख्य मंत्री बनते ही मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में लगे सिक्योरिटी अमले में से 750 पुलिस वाले कम किये हैं। और उन 750 लोगों का बजट एक जिले की सुरक्षा के बराबर होता है। अगर इतना सब लोग ध्यान देंगें तो हम समझते हैं कि इस कल्चर को हम ठीक कर सकेंगे और जो हमारा एक्सचैकर के ऊपर जो दबाव है उसको भी हम कम कर पाएंगे चाहे थोड़ा ही सही। अगला वर्ष हमारा स्वर्ण जयंती वर्ष आ रहा है। स्वर्ण जयंती वर्ष एक नवम्बर, 2015 से प्रारम्भ हो जाएगा। पूरे वर्ष भर में स्वर्ण जयंती के अच्छे कार्यक्रम हों इसमें हम सबकी सहभागिता बनाकर और सब सम्मानित सदस्यों को इसमें जोड़कर आप सब से मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसी जो समिति का गठन होगा उस समिति के गठन के बाद स्वर्ण जयंती मनाने के कार्यक्रमों के संबंध में अगर आप सबका सहयोग मिलेगा तो इससे भी लाभ मिलेगा। जैसे हमने कहा कि सारी व्यवस्था हम चलाएंगे लेकिन पारदर्शिता के आधार पर चलाएंगे। हम भ्रष्टाचार रहित सरकार चलाएंगे। खेलेंगे खिलाएंगे लेकिन लंगड़ी न मारने देंगे और न मारेंगे। रोल भी नहीं पीटने देंगे एक स्वस्थ गेम, एक सुन्दर गेम हमारा चलता रहे। आपसी स्पर्धा होनी चाहिए लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, अस्वस्थ न हो इसका चिन्तन हमें जरूर करना चाहिए। (विघ्न) आप साथ चलेंगे तो आपको साथ लेकर चलेंगें आप साथ नहीं चलेंगे तो आपके बिना चलेंगे। आप बाधा डालेंगे तो उसके बावजूद धरईवेती चरईवेति चलते रहेंगे चलते रहेंगे। इस समय मेजें थपथपाई गई।

डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैंने यूनिवर्सिटी और कॉलेजिज में छात्र संघ के चुनाव के बारे में और डिस्क्रीशनरी ग्रांट की बात उठाई थी उसका जवाब नहीं दिया गया। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगणों, अब मैं श्री करण सिंह दलाल द्वारा संशोधन का प्रस्ताव सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

(i) कि लेकिन दु:ख है कि इस अभिभाषण में यह नहीं लिखा गया है कि सिस संध्या चौहान, नेवी में लैफ्टिनैंट कमॉडर, जोकि रिवाड़ी जिले से संबंध रखती है, को हरियाणा प्रदेश की ब्रॉड अम्बैसैडर, श्री रामदेव की जगह नियुक्त किया जाता है।

[श्री अध्यक्ष]

(ii) लेकिन दु :ख है कि राज्यपाल अभिभाषण में हरियाणा प्रदेश में काम कर रहे हजारों गैस्ट टीचर्ज को नियमित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

(प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

'कि राज्यपाल महोदय को एक संवेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए :-

कि इस सत्र में इक्ट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 9 मार्च, 2015 को 2.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् सदन में देने की कृपा की है।'

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

वर्ष 2014-15 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष : अब वित मंत्री जी वर्ष 2014-15 के अनुपूरक अनुमान पेश करेंगे।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2014-15 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्ण लाल पंवार विधायक चेयरपर्सन प्राक्कलन समिति, वर्ष 2014-15 के अनुपूरक अनुमानों पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

Chairperson, Committee on Estimates (Shri Krishan Lal Panwar): Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Installment) 2014-2015.

वर्ष 2014-15 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2014-15 के अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथा के अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्ज (संख्या 1 से 4, 6 से 11, 13,15,16,18,21,22,24,26 से

30, 33 से 36, 38,41 तथा 43 से 45) एक साथ पढ़ी गई और पेश की गई समझी जायें। माननीय सदस्यगण किसी भी डिमांड पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **10,87,96,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 1-विधान सभा** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **33,95,50,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 2-राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद्** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,33,76,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 3-सामान्य प्रशासन** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **115,16,96,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 4-राजस्व** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **299,81,50,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 6-वित्त** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **3,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 7-आयोजना तथा सांख्यिकी** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **34,91,49,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 8-भवन तथा सड़कें** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **554,61,65,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 9-शिक्षा** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले

[श्री अध्यक्ष]

वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 10-तकनीकी शिक्षा** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **39,39,52,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 11-खेलकूद तथा युवा कल्याण** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 13-स्वास्थ्य** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 15-स्थानीय शासन** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **3,62,60,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 16-श्रम** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **15,96,61,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 18-औद्योगिक प्रशिक्षण** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **6,80,49,000 रुपये** और पूंजीगत खर्च के लिए **50,10,50,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 21-महिला तथा विकास** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **6,42,36,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के संबंध में 31 मार्च, 2015

को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **3,95,23,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 24-सिंचाई** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **78,21,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 25-खान एवं भू-विज्ञान** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **3,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 27-कृषि** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 28-पशु पालन तथा डेरी विकास** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **12,69,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 29-मछली पालन** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **24,61,96,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 30-वन एवं वन्य प्राणी** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **36,37,63,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 33-सहकारिता** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **1,00,00,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 34-परिवहन** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

[श्री अध्यक्ष]

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **3,90,000 रुपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **3000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 35-पर्यटन** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **74,94,17,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 36-गृह** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **28,44,00,000 रुपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **81,93,42,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 38-लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **10,86,87,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 41-इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **4,99,06,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 42-न्याय प्रशासन** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,43,46,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 43-कारागार** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 45-राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ)

श्री अध्यक्ष : अब डिमांड्स मतदान के लिए सदन में रखी जाएंगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है--

मांग संख्या 1 से 4

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **10,87,96,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 1-विधान सभा** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **33,95,50,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 2-राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद्** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,33,76,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 3-सामान्य प्रशासन** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **115,16,96,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 4-राजस्व** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है--

मांग संख्या 6 से 11

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **299,81,50,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 6-वित्त** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **3,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 7-आयोजना तथा सांख्यिकी** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **34,91,49,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 8-भवन तथा सड़कें** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त

[श्री अध्यक्ष]

होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **554,61,65,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 9-शिक्षा** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 10-तकनीकी शिक्षा** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **39,39,52,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 11-खेलकूद तथा युवा कल्याण** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है--

मांग संख्या 13

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 13-स्वास्थ्य** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है---

मांग संख्या 15

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **1,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 13-स्थानीय शासन** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है--

मांग संख्या 16

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **3,62,60,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 16-श्रम** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है--

मांग संख्या 18

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **15,96,61,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 18-औद्योगिक प्रशिक्षण** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है--

मांग संख्या 21

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **6,80,49,000 रुपये** और पूंजीगत खर्च के लिए **50,10,50,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 21-महिला तथा बिकास** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है--

मांग संख्या 22

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **6,42,36,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है---

मांग संख्या 24

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **3,95,23,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 24-सिंचाई** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है--

मांग संख्या 26 से 30

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **78,21,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 26-खान एवं भू-विज्ञान** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **3,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 27-कृषि** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 28-पशुपालन तथा डेरी विकास** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **12,69,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 29-मछली पालन** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **24,61,96,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 30-वन एवं वन्य प्राणी** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है--

मांग संख्या 33 से 36

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **36,37,63,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 33-सहकारिता** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **1,00,00,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 34-परिवहन** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **3,90,000 रुपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **3000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 35-पर्यटन** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **74,94,17,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 36-गृह** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है--

मांग संख्या 38

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **28,44,00,000 रुपये** तथा पूंजीगत खर्च के लिए **81,93,42,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 38-लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है--

मांग संख्या 41

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **10,86,87,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 41 इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी** के संबंध में

[श्री अध्यक्ष]

31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है--

मांग संख्या 42 से 45

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **4,99,06,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 42-न्याय प्रशासन** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **2,43,46,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 43-कारागार** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **1,000 रुपये** से अधिक न हो, **मांग सं. 45-राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

विधान कार्य-

(i) दि हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन (अमैंडमैंट एण्ड वैलीडेशन) बिल, 2015

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2015 पेश करेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक,2015 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ--

कि हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2015 पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ--

कि हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

सब क्लॉज-2 ऑफ क्लॉज-1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि सब क्लॉज-2 आफ क्लॉज-1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-2

अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-2 बिल का पार्ट बना।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है--

कि क्लॉज-3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब क्लॉज-1 ऑफ क्लॉज-1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि सब क्लॉज-1 आफ क्लॉज-1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[श्री अध्यक्ष]

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है--

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है--

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाये।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ--

कि बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ--

कि बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है--

कि बिल पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) दि हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2015

श्री अध्यक्ष : अब आबकारी व कराधान मंत्री हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 प्रस्तुत करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ-

कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : अब प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना) : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा 10 दिन के नोटिस को खत्म किया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है क्योंकि सरकार जब चाहे इसका मिसयूज़ कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि इसमें 10 दिन के बजाय 2 दिन कर दें। अदरवाईज इसमें सरकार जो आर्बिट्रेरी क्लॉज इन्ट्रोड्यूज कर रही है उसमें कंज्यूमर को नुकसान होगा क्योंकि सरकार अपनी मर्जी से इसमें वैट लगा देगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लॉज-2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-4

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-4 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[श्री अध्यक्ष]

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब आबकारी व कराधान मंत्री प्रस्ताव पेश करेंगे कि विधेयक को पास किया जाये।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ-

कि यह विधेयक स्वीकृत किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ-

कि विधेयक पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि विधेयक पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(iii) दि हरियाणा गौवंश संरक्षण एण्ड गौसंवर्धन बिल, 2015

श्री अध्यक्ष : अब कृषि मंत्री हरियाणा गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन विधेयक, 2015 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे।

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन विधेयक, 2015 प्रस्तुत करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ-

कि हरियाणा गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मुझे यह ड्राफ्ट विधेयक सदन में प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। अध्यक्ष महोदय, वर्षों से हम इस बात को महसूस करते हैं कि कोई भी घटना किसी भी इलाके में गौकशी होती है तो सारा हरियाणा आन्दोलित होता है और हर व्यक्ति इसी प्रकार का दर्द महसूस करता है और बहुत से इलाकों में उसी दिन उसी समय सड़कें जाम हो जाती हैं। हजारों लोग बिना किसी संगठन के, बिना किसी दल या पार्टी के उस विषय में दर्द जताने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। गऊ हमारे संस्कार और जीवन में है। गौमाता के बिना हरियाणा की कल्पना करना संभव नहीं है। गाय की महिमा हम बचपन से सुनते आए हैं। मैडीकल साइंस में भी कहा गया है कि अगर किसी बच्चे को माँ का दूध न पिलाया जा सके तो गौमाता का दूध उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। जहां जीवन की शुरूआत गऊ से है वहां जीवन का अंत भी गऊ से ही होता है। जब कोई व्यक्ति महाप्रयाण पार कर जाता है तो वैतरणी पार करने के लिए गौदान आवश्यक माना जाता है इसलिए हमारे जीवन में जीवन-भर गाय का इतना महत्व है। हमारे पूर्वजों ने इसके महत्व को समझते हुए गाय को मातृत्व का स्थान दिया है इसलिए इसे गौमाता कहा जाता है। राजा दलीप के बलिदान की कथा और भगवान श्रीकृष्ण के पालन की कथा जैसी बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जिनकी कर्मभूमि हरियाणा है। एक कथा हरफूल जाट की है जिसकी अभी कप्तान साहब चर्चा कर रहे थे। वे हम सब की स्मृतियों में हैं और वे सदा जीवंत रहेंगे। टैक्नोलोजिकल चेंज और आर्थिक दृष्टि से अनवायबिलिटी के कारण गाय का महत्व घट गया है। पूरे विश्व की समझ जब तक पूरी नहीं होती तो में हमारे जीवन से कई अच्छी चीजें निकल जाती हैं और कुछ दूसरी चीजें आ जाती हैं। बैलों के स्थान पर ट्रैक्टर आ गए और देसी गायों के स्थान पर अधिक दूध देने वाली विदेशी नस्ल की गाय आ गई। आर्थिक दृष्टि से हमारी गौमाता को कम लाभकारी माना गया है। गाय को केवल दो आधारों पर तोला गया है एक दूध की मात्रा कितनी है और दूसरा दूध में फैट और एस.एन.एफ कितना है। इस कारण से जो पशु हमारे लिए अमृत का काम करता था वह हमारे घरों से बाहर हो गया है। आज प्रदेश में गायों की कुल संख्या 18 लाख है। इनमें से 3 लाख गाय 4 सौ गऊशालाओं में हैं और लगभग 1 लाख 17 हजार रानी गाय खेतों और सड़कों पर हैं। ये गाय न गऊशालाओं में हैं और न ही घरों में हैं। इन 18 लाख गायों में से आधी से ज्यादा गायें संकर नस्ल की हैं। संकर नस्ल की गाय 8 लाख 37 हजार हैं। देसी नस्ल के बैलों की संख्या कम है। देसी नस्ल की गायों की संख्या 5 लाख है जबकि नरों की संख्या 3 लाख 11 हजार है। दुनिया के विभिन्न मुल्कों में दूध की क्वालिटी के आधार पर पहचान करके इसे दो ब्रांड्स में बांटा गया है ए-1 और ए-2। ए-2 ब्रांड के दूध को सारी दुनिया में बैस्ट क्वालिटी का माना जाता है और यह दूध ए-1 ब्रांड दूध से महंगा होता है। लोग ए-2 ब्रांड के दूध को अधिक कीमत पर खरीदकर प्रयोग करना चाहते हैं। मुझे हाउस को बताने में आनंद आ रहा है कि यह ए-2 ब्रांड का दूध हमारी देसी नस्ल की गाय का है। हम जो विदेशी गाय जर्सी और दूसरी गाय लेकर आए थे उनका दूध ए-1 ब्रांड का दूध है। बीटा केसिन प्रोटीन और करेटिन जैसे साइंटिफिक गुणों की वजह से इस दूध में पीलापन है। हमारे बुजुर्गों ने साधारण भाषा में हमें समझाया था कि देसी गाय की थुई में एक किलो सोना होता है इसलिए इस गाय का दूध पीला होता है। वे हमारे को टैक्नीकल भाषा में तो नहीं समझा सके थे। गाय के दूध का वह पीलापन एक प्रकार का अमृत है। हम लोगों ने फैट के आधार पर या एस.एन.एफ. के आधार पर यह देखते हुए कि देसी गाय पांच किलो दूध देती है या छः किलो दूध देती है इसलिए उस गाय को घर से बाहर कर दिया है। उस गाय का अमृत तुल्य दूध जो बीटा कैसिन प्रोटीन ए-2 दूध था जिसे भारत के सभी फिल्म स्टार पीते हैं और दिल्ली के पॉस एरिया में भी गाय के इस ए-2 दूध से बने घी

[श्री ओमप्रकाश धनखड़]

का प्रचार तो बहुत होता है। इसके साथ ही सफौला रिफाईंड ऑयल का प्रचार होता है कि वह दिल की बीमारी से बचाता है। इसके बारे में मुझे नहीं मालूम कि सफौला रिफाईंड ऑयल दिल की बीमारी से बचाता है या नहीं बचाता है। ऐसे किसी टैस्ट की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है परन्तु हमारी देसी गाय का जो घी है, दूध है और उस दूध से बने जो सारे प्रोडैक्ट्स हैं उन प्रोडैक्ट्स के बारे में सारी दुनिया की लिट्रेचर में कहा गया है कि यह दूध और घी हर्ट फ्रैंडली है, ये शूगर की बीमारी के लिए अच्छा है, ये हमारी सेहत के लिए सर्वश्रेष्ठ है। देसी गाय का जो घी है वह 37 डिग्री टैम्प्रेचर पर पिघलता है इसलिए वह दूध शरीर में फैट नहीं जमाता है। हम लोग अपने देश में भैंस का घी भी खूब इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में हम सब ने देखा होगा कि जब घी वाली घिलड़ी में हम चम्मच डालते हैं तो चम्मच टूट जाती है लेकिन गाय के घी में ऐसा कभी नहीं होता। हमारी बहुत सी मासाएं और बहनें भी इस सदन में बैठी हैं उनको इस बारे में ज्यादा पता है। हमने इस गाय के घी की क्वालिटी की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। बाजार में सभी अच्छी चीजें होती हैं ऐसा नहीं है। बाजार में बेचने वाले की कलाकारी से चीजें बिकती हैं। आप देखिये कि कार्बोनेटिड पानी हमारे गाँव तक पहुंचा हुआ है। किस कम्पनी का वह पानी है, कम्पनियों के नाम लेने की जरूरत नहीं है। वह पानी कितनी बड़ी मात्रा में गाँवों में बिक रहा है। हजारों करोड़ रूपया देश से बाहर जा रहा है। लेकिन हमने अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत अच्छी चीज को अपने बाजार से भी बाहर कर दिया और किसी न किसी तरह से उसे हमने अपने उपयोग से भी बाहर कर दिया है। अब वह समय आया है कि हम फिर से गाय के दूध को स्थापित करें क्योंकि गौशाला का जो चित्र है वह ऐसा ही चित्र है कि जब व्यक्ति जीवन छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद उसकी वापसी का पीछे का चित्र जो चित्र छपता है ऐसा ही गौशाला का चित्र होता है। गौशाला होना एक मजबूरी का विषय है। जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में वृद्ध आश्रम और गौशाला को अच्छा नहीं माना जाता। गाय और बुजुर्ग घर में रहने चाहिएं। यह मजबूरी का रास्ता है इसलिए फिर से गायों को घर में लाना इस विधेयक की प्राथमिकता है। पहले जिस प्रकार का गौशाला से संबंधित हमारा कानून था वह कानून केवल गौकशी को रोकने के लिए था। जो कानून हम इस विधेयक के माध्यम से ला रहे हैं उसमें गौ संरक्षण का कानून है कि किस प्रकार से हम गायों को फिर से घर में ला सकें। किस प्रकार से गाय की खरीद को हम प्रोत्साहन दें सकें। किस प्रकार से उस पर सब्सिडी हम दें सकें। गाय के दूध के उत्पादन पर हम कैसे प्रोत्साहन दे सकें तथा मार्केटिंग का वह सिस्टम हम प्रदेश में खड़ा कर सकें जिसमें बीटा केसिन प्रोटीन ए-2 दूध उन सब जगहों पर जाये जहां पर लोग ए-2 का दूध पीना चाहते हैं या प्रयोग करना चाहते हैं। उस नाते ही हम इस विधेयक को लेकर आये हैं। आज सुबह ही माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा ने जिस बात का जिक्र किया कि काफी बड़ी मात्रा में गायें उत्तरप्रदेश की तरफ कटान के लिए ले जाई जा रही हैं। मुझे उस समय लगा कि उन्होंने कितनी संजीदगी की बात कही है। बाकी माननीय सदस्यों के मन में इस बात की संजीदगी की बात रहती है इसलिए हरियाणा में सरकार इस विधेयक को लाई है। इस विधेयक के बारे में मुझे फख्र है कि यह विधेयक गौकशी को लेकर देश का सबसे कठोरतम विधेयक होगा। इस विधेयक में हम इस प्रकार के प्रावधान करने जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे प्रदेश में गौकशी करता है तो उसको कम से कम तीन साल की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना न्यूनतम होगा और उससे कम जुर्माना हो ही नहीं सकता और अधिकतम उसको दस साल की सजा और एक लाख रूपये का जुर्माना होगा। अगर वह एक लाख रूपये का जुर्माना नहीं भर सकता तो उसे एक साल की और सजा काटनी होगी। यह केवल गौकशी

का विषय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गौकसी के लिए गायों को ले जा रहा है उस व्यक्ति को भी सख्त से सख्त सजा देना का इस विधेयक में हमने प्रावधान किया है। जो भी व्यक्ति इस तरह का काम करेगा उस को भी कम से कम तीन वर्ष की सजा और तीस हजार रुपये का जुर्माना और अधिकतम सात साल की सजा और 70 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। जिस वाहन से वह व्यक्ति गायों को ले जा रहा होगा उस वाहन को भी जब्त कर लिया जायेगा और उस वाहन को वह व्यक्ति किसी भी कोर्ट से छुड़ा नहीं सकेगा और उस वाहन की केवल नीलामी ही की जायेगी। मान्यवर, इसी तरह से गौमांस और उसके उत्पादों की बिक्री पर भी यह विधेयक प्रतिबंध लगायेगा। हमारे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति न तो गौ मांस बेच सकेगा, न कोई व्यक्ति गौ मांस की दुकान चला सकेगा। अगर इस प्रकार का प्रयास कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति को भी तीन साल की सजा और तीस हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके लिए भी अधिकतम पांच साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना उस व्यक्ति पर लगेगा।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 20 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 20 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

विधान कार्य- (पुनरारम्भण)

दि हरियाणा गौवंश संरक्षण एण्ड गौसंवर्धन बिल, 2015

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिस विधेयक की रचना विभाग ने की है वह निश्चित रूप से आने वाले समय में गायों के संरक्षण के लिए लाभाकारी होगा। रानी गायों के लिए गौ अभ्यारण्य बनाने का प्रोविजन हम इस विधेयक में हम ला रहे हैं। अगर गॉवों के लोग अपने अपने घरों में सामूहिक रूप से गोपालन करना चाहते हैं तो उसके लिए घरों में जगह नहीं बच पाई है इसलिए इस विधेयक में गौ गृह की बात सोची गई है। 20.00 बजे जिस प्रकार गौशालाओं का काम चल रहा है तथा गौशालाओं की जो हालत है, घरों में गाय पाली जायें, उसके बाद के भी जो प्रावधान हैं तथा इस बारे में हमारे सामने जो चुनौतियाँ हैं, इस बिल में उन सब बातों के बारे में सोचा गया है। इस बिल के तहत हम हर प्रकार की गायों का संरक्षण करेंगे, चाहे वह गाय भारतीय गौ-वंश की हो अथवा बाहर से आई हुई विदेशी नस्ल की गाय हो। देसी गाये चाहे हरियाणा नस्ल की गाय हो, चाहे राठी नस्ल की गाय हो, चाहे गोकरण नस्ल की गाय हो, चाहे गीर नस्ल की गाय हो, चाहे साहीवाल नस्ल की गाय हो, इन नस्ल की गायों का दूध ए-2 ब्रांड का है और इस प्रकार की नस्ल की देसी गायों के संवर्धन के लिए ही यह बिल लाया गया

[श्री ओमप्रकाश धनखड़]

है। इसके अतिरिक्त सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि सामान्य तौर पर दूसरी प्रकार की गायों और भैंसों के बढ़ाने के जो कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं वे यथावत रूप से चलते रहेंगे, इस विधेयक से उनका कोई संबंध नहीं है। इस विधेयक में भारतीय देसी गायों की बढ़ोतरी की बात की गई है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि यह जो हरियाणा गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन विधेयक मैं इस सदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ, पूरा सदन अच्छी भावनाओं के साथ इस बिल का समर्थन करेगा तथा इस बिल को अवश्य पास करेगा। यह निवेदन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। (थंपिंग)

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

> कि हरियाणा गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन विधेयक, 2015 पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री व माननीय कृषि मंत्री, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को व इनके पूरे मंत्रिमण्डल को इस बिल को इस सदन में प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। वास्तव में यह एक बहुत ही अच्छा विधेयक है। पिछले कई वर्षों से इस विधेयक की जरूरत महसूस की जा रही थी। मैं भी इस सदन में कई बार चुनकर आया हूं और हमने भी यहां पर हमेशा इस बात की मांग की है कि गौ-हत्या के इस जुर्म को non-bailable offence बनाया जाना चाहिए। इस संबंध में पिछली सरकार ने कुछ कदम उठाये भी थे लेकिन इस में कोई दो राय नहीं कि वर्तमान सरकार ने इस विधेयक को लाकर एक अच्छा प्रयास किया है लेकिन फिर भी इस बिल के बारे में सरकार को कई और बातों पर विचार करना होगा। सरकार को बहुत जिम्मेवारी दिखानी पड़ेगी। जैसे कि माननीय मंत्री जी ने खुद भी माना है कि हमारी देसी गायों में विदेशी गायों की अपेक्षा दूध की यील्ड कम होती हैं। अध्यक्ष महोदय, जो भी व्यक्ति गौ-हत्या में सहयोग करेगा अथवा इस कृत्य में इन्वाल्व होगा इस विधेयक के तहत उसे सजा देने का प्रावधान किया गया है। आपके माध्यम से मेरा सरकार और माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि शहरों और गाँवों में ज्यादातर देखने में आता है कि जाने या अनजाने में, मैं यह नहीं कहता हूं कि कोई जानबूझ कर करता है, लोग देसी गायों का दूध निकाल लेते हैं और फिर उनको शहर में खुला छोड़ देते हैं। इसके बाद ये गऊ-मातायें शहर में इधर-उधर दुकानों पर रखे सामान में व कूड़े-कर्कट के ढेर पर मुंह मारती रहती हैं, पोलीथीन के लिफाफे खाती रहती हैं जिसमें वेस्ट खराब खाना आदि भरा होता है। ऐसे दृश्य देखकर बड़ा विचित्र सा लगता है। इस बारे में भी माननीय मंत्री महोदय को कोई न कोई प्रावधान जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं एकबात और कहना चाहूंगा कि कुछ व्यक्ति गाँयों को इस प्रकार से गाँवों, शहरों व गलियों में खुले में छोड़ देते हैं इसकी रोकथाम के लिए भी कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। सरकार ने इतना अच्छा संकल्प लिया है और यह बिल सदन में लेकर आई है, मेरा सरकार से निवेदन है कि जितनी हमारी देसी नस्ल की गायें हैं अथवा अन्य किसी भी प्रकार की गायें हैं उन पर टैग सिस्टम लागू किया जाये जिसका बाकायदा सरकारी या प्राईवेट तौर पर इंश्योरैंस किया जाये। जब गाय के अंदर वह टैग स्थापित हो जायेगा तो आईडैंटिफाई किया जा सकेगा कि वह गाय किस व्यक्ति की है तथा यदि वह व्यक्ति उस गाय का सही ढंग से ख्याल नहीं रखता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी कुछ न कुछ कानून के अंतर्गत इंतजाम करना चाहिए। कहने को गाय हमारी माता है लेकिन आमतौर पर देश के ऊपर यह इल्जाम आया हुआ है

कि भारत के लोग दूध पीने वाले भजनू हैं। हो क्या रहा है कि गाय का दूध पिया और फिर उसको खुले में, गाँव व शहरों में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में एक प्रावधान और किया गया है कि गौ-तस्करी करने वाली गाड़ी को नहीं छोड़ेंगे जिस उद्देश्य के लिए कंपीटैंट अथॉरिटी बनाई जायेगी तथा वह कंपीटैंट अथॉरिटी फैसला करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि गौ-हत्या के जुर्म में जो गाड़ी जब्त की जाएगी, कहीं ऐसा न हो कि किसी राजनीतिक दबाव और स्वार्थ के कारण उस गाड़ी को छोड़ दिया जाये। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस संबंध में कोई स्पैसिफिक कानून लेकर आयें। कम्पीटैंट अथोरिटी कहकर न छोड़ें और उसके लिए भी कोई कानून तय करें कि जो गाड़ी है उसको कैसे छोड़ा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने इस बिल में यह भी कहा है कि ये गोहत्या की इजाजत भी देंगें। अगर कोई गाय बीमार है या मान लीजिए कि उस बेचारी में कोई बीमारी भी है तो जैसे हम अपने मां बाप की सेवा और देखभाल करते हैं और मरने के लिए नहीं छोड़ते हैं उसी प्रकार हमें गाय की भी सेवा करनी चाहिए। इन्होंने इस बिल में व्यवस्था की है कि अगर कोई गाय ज्यादा बीमार होगी या उससे कोई बीमारी फैलने का डर होगा तो गोहत्या की इजाजत कम्पीटैंट अथोरिटी को होगी। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी विडम्बना है और इस बिल की इस क्लाज को विदड्रा किया जाना चाहिए। यदि कोई गाय बीमार है या उससे कोई बीमारी फैलने का डर है तो जैसे हम अपने मां बाप की सेवा करते हैं उसी तरह गऊ माता की सेवा के लिए भी कोई अस्पताल बनाने का इंतजाम किया जाए या कहीं न कहीं कोई इंतजाम किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज ट्रैक्टरों और मशीनों का जमाना है लेकिन पहले बैल और बछड़े काम आया करते थे। आज हर घर में ट्रैक्टर हैं और सरकार ने कानून बना दिया कि जो भी नेबरिंग स्टेट हैं वहां गाय का एक्सपोर्ट नहीं होगा और होगा तो उन स्टेट में होगा जहां cow slaughtering ban है। अध्यक्ष महोदय, हमारे पड़ोस में तीन तरफ से यू.पी. लगता है और मुझे राजस्थान के बारे में तो पता नहीं है लेकिन यू.पी. के बारे में पता है कि वहां cow slaughtering ban नहीं है और बहुत बड़ी मात्रा में ये लोग कोशिश करेंगें कि किसी तरीके से कानून को तोड़ा जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रावधान किया है मैं उसके विरोध में नहीं हूं लेकिन यह एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनने की संभावना बनी हुई है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसके ऊपर खास नजर रखें कि जो एडज्वाइनिंग स्टेट हमारे हरियाणा के बार्डर के साथ लगते हैं वहां इसका किसी भी तरीके का दुरूपयोग न हो। अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर गायों की सेवा गऊ शालाओं में होती है। सरकार ने जो इतना बड़ा संकल्प लिया है यह बहुत पुण्य का काम है और इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता और हम इसकी तारीफ करते हैं। जो गऊ शालाएं हरियाणा में हैं उनकी रिपोर्ट सरकार डिप्टी कमीशनर्ज से मंगवाएं। मैं तो कहूंगा कि चाहे कोई घर में भी गाय पालता है तो जिस प्रकार सरकार बजुर्गों को पैंशन देने का काम करती है उसी तरह गाय ओनर्स को भी पैंशन देने का काम करे। इससे लोगों में हौंसला अफजाई होगी कि जो देसी गाय का पालन करेगा और सेवा करेगा उसे सरकार पैंशन के तौर पर पैसा देगी। गाय के नाम पर उस आदमी को पैंशन दी जाएगी। इस कानून के बाद तमाम गऊ शालाओं पर बहुत बड़ा असर आएगा इसलिए मेरा निवेदन है कि उन गऊ शालाओं में रहने वाली हर गाय या बछड़े का सरकार के पास रिकार्ड हो। उन गऊ शालाओं को सरकार प्रति गाय हर महीने कोई स्टाइफंड दे ताकि उन गऊ शालाओं पर भार न पड़े। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है इसलिए इनके सामने एक और चुनौती भी आएगी उसका भी फैसला सरकार को करना पड़ेगा। गांवों के अंदर जो गऊ द्वारे हैं उन पर तकरीबन कब्जे हुए पड़े हैं। यह सरकार इस बिल के मार्फत या पंचायत और डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट के मार्फत अलग

[श्री करण सिंह दलाल]

बिल लाए और गांवों में जितने भी गऊ चारे हैं और उनके ऊपर नाजायज कब्जे हैं उनको हटाया जाए। गांवों की ये गाय और बछड़े अगर कहीं खेतों में झुण्ड के झुण्ड इकट्ठे हो गए तो खेतों को नुकसान करेंगें। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा खतरा सांडों का है इसलिए मैं अनिल विज से निवेदन करूंगा कि सांडों की चिंता आप करें क्योंकि आप सांडों की तकलीफ को समझ सकते हैं। सांड हरियाणा में नुकसान न करें इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सांडों का एक बोर्ड बनाकर अनिल विज जी को उनका अध्यक्ष बना दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल जी, आप बैठें क्योंकि आपकी बात हो गई है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, कर्ण सिंह दलाल की बीमारी का इलाज मेरे डिपार्टमैंट के पास तो है नहीं। मैं पशु पालन मंत्री जी को कहूंगा कि वे इनका इलाज करवाएं।

श्री जाकिर हुसैन (नूंह) : अध्यक्ष महोदय, जो गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन बिल हरियाणा सरकार लाई है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, उनकी सरकार को और माननीय कृषि मंत्री जी को मुबारकबाद देता है कि देर से ही सही लेकिन उनके द्वारा उठाया गया यह कदम बहुत सही कदम है। जैसा कि करण सिंह दलाल जी अभी कह रहे थे कि पूरा सदन इसकी सराहना करता है और हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी का गौ वंश संरक्षण के प्रति बहुत प्यार था यह बात सर्वविदित है और पूरा जग जानता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो यह कानून लाया गया है इसमें गौ संरक्षण में फायदा होगा तथा दूसरे फायदे भी होंगे। कोई भी आम आदमी सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करता। जो अपराधी प्रवृति के लोग हैं वे ही एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। मेवात क्षेत्र की बार-बार बात की जाती है। मैं यह कहना अपना फर्ज समझता हूं कि मेवात क्षेत्र में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं और वे एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हैं। कभी भी वहां के आम आदमी ने धार्मिक भावना भड़काने वाली बातों की सराहना नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे दादा जी मरहूम चौधरी यासीन खान हैं। जो इस महान सदन के सदस्य भी रहे हैं। 1935 में आल इण्डिया की पंचायत मेवात के नगीना गांव में गौ हत्या के खिलाफ हुई थी। उस समय भी मेरे दादा जी ने और सारी पंचायत ने गौ हत्या का खंडन किया था। अब भी जब ऐसी कोई घटना होती है तो पूरा मेवात गौ हत्या के खिलाफ खड़ा होता है। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा सदन जानता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां गऊ को माता का दर्जा आदिकाल से दिया हुआ है। वेदों, पुराणों और सभी धर्म व मजहब में गाय के दूध और घी को अमृत के समान बताया गया है। न केवल दूध व घी बल्कि गाय का मूत्र भी कई प्रकार की दवाईयों में प्रयोग किया जाता है। खासतौर पर जो हमारी भारतीय नस्ल की साहिवाल गाय हैं उनका दूध पूरी तरह से अमृत के समान है। आज यह बड़े दुख का विषय है कि जहां मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है वहीं मनुष्य आज इतना कृतघ्न/संवेदनहीन हो गया है कि आज हमें गऊमाता के संरक्षण के लिए गऊशालाएं बनाने की जरूरत पड़ रही है और यह बिल लाने की जरूरत पड़ रही है। आज सरकार गऊ माता के संरक्षण के लिए आगे बढ़कर आई है-यह बहुत अच्छी बात है। मैं इस पर दो-तीन विनती करना चाहूंगा जैसे कि हमारे माननीय सदस्य करण सिंह दलाल जी ने बोलते हुए कही, मैं उनको न दोहराते हुए उनकी बातों का समर्थन करूंगा। अध्यक्ष

महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि 1.17 लाख रानी गाय और अंग्रेजी गायों के बछड़े बहुत घूम रहे हैं जो किसान की खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त इनसे एक्सीडैंट भी बहुत होते हैं। मेरी अपील है कि बाकायदा गऊशालाओं में जो गाय हैं उनको आईडैंटीफाई करवाकर रजिस्ट्रेशन करके सरकार अनुदान देने का काम करे। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि जो बड़ी गऊशालाएं हैं वहां पर वैटर्नरी डाक्टर्ज की व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि वे बीमार गायों का ईलाज समय रहते कर सकें। बहन गीता भुक्कल जी ने कमेटी की मीटिंग के दौरान बताया था कि उनके हल्के में 80 गावों की मात्र एक गऊशाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं रानी गायों की बात कर रहा था। मैं कहना चाहूंगा कि उनको रोकने के लिए जो जंगल की जमीन है, पंचायतों की जमीन है या जमीन खरीदकर तार बंधी लगाकर अभ्यारण्य स्थापित किए जायें ताकि गऊ माता को इधर-उधर न घूमना पड़े और पॉलिथीन वगैरा जैसा गंद न खाना पड़े। अभ्यारण्य में प्रोपर मुलाजिम हों, सैंड वगैरह और पानी की प्रोपर व्यवस्था हो। यह बहुत पुण्य और समाज सेवा का काम है इसलिए इस तरह के प्रावधान सरकार की तरफ से किए जायें। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे पिता जी ने हमें गाय का दूध पिलाया है और हम भी अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाते हैं। हमने नूंह में साहिवाल नस्ल की गाय रखी हुई है। 1991 में हमने चण्डीगढ़ में भी गाय रखी हुई थी। आज दिक्कत यह है कि अच्छे नस्ल की गाय 6-7 महीने घूमने के बाद मिलती है। आज प्रदेश में अच्छी नस्ल की गाय उपलब्ध नहीं हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। इसको लेकर पंजाब में बहुत सुविधाएं दी हुई हैं। हम अच्छी नस्ल की गाय रखते हैं इसलिए अच्छी नस्ल की गाय लेने के लिए मैं पंजाब भी गया था और कर्नाटक भी गया था। कर्नाटक और पंजाब में बहुत अच्छी सुविधा है चाहे सीमन बैंक के बारे में हो या दूसरी सुविधाओं के बारे में वे वहां पर आसानी से उपलब्ध हैं और इसीलिए बहुत अच्छी-अच्छी नस्ल की गाय वहां पर हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सुविधाएं गौ पालकों को कर्नाटक और पंजाब में उपलब्ध हैं उन्हें हमारे हरियाणा प्रदेश में भी उपलब्ध करवाया जाये। इसके लिए जितना भी पैसा खर्च किया जाये वह प्राथमिकता के आधार पर खर्च किया जाये। इस कार्य में पूरा सदन सरकार के साथ है। इस एक्ट में restriction on export under Section 5 और under Section 6 में Permit for export का जिक्र किया गया है। इसमें इन्होंने इसका तरीका दिया है कि जो एक्सपोर्ट होगा वह किस-किस तरह से होगा। सर, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि जब भी पंचायतें हुई हैं उनमें भी यह विषय उठाया गया है कि प्रदेश के अंदर भी और एक गांव से दूसरे गांव में भी जब कोई गाय, बैल या बछड़ा बेचा जाये तो उसका बाकायदा हिसाब-किताब रखने का एक तरीका होना चाहिए। सरपंच, बी.डी.ओ. या तहसीलदार इसको अटैस्ट करके दे। इसी प्रकार का सिस्टम राज्यों के अंदर भी होना चाहिए अर्थात इंटरस्टेट ही नहीं अपितु इंट्रास्टेट भी इस विषय के ऊपर कोई न कोई कार्यवाही होनी चाहिए। इसी प्रकार से इन्होंने सैक्शन 18 में भी लिखा है। मैं नहीं समझता कि इसको लिखने की क्या जरूरत पड़ी है। इन्होंने लिखा है कि No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer of the Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the Rules made thereunder. सर, हमारे देश का संविधान और हमारे देश का कानून हर अधिकारी को प्रोटैक्शन देता है कि जब कोई अधिकारी ड्यिू डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ में अगर कोई काम करता है तो उसे आलरेडी प्रोटैक्शन प्राप्त है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इसको जो इसमें स्पैशली मैंशन किया गया है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो यह गऊ तस्करी और गौ-कशी हो रही है

[श्री जाकिर हुसैन]

इसके पीछे कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर मिलीभगत ही जिम्मेदार है क्योंकि गऊ माता कोई छोटी चीज़ तो है नहीं कि कोई उसे जेब में या गाड़ी में रख ले। ये सब काम मिलीभगत से होते हैं। इसमें अगर कोई अधिकारी संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही का प्रावधान होना चाहिए तभी इसके ऊपर कारगर रोक लग सकती है। मैं आपको एक बात फिर बताना चाहता हूं कि यह काम तस्करी से होता है। इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं अभी आपके सामने बताना चाहता हूं। पिछले साल राजस्थान ने ऊंट को अपना राज्य पशु घोषित कर दिया। उससे पहले वहां पर ऊंट कटते थे। इसके बाद क्या हुआ कि ऊंट वहां पर कटने बंद हो गये और हमारे मेवात में आकर कटने लगे। मुझे यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई जब लोगों ने मुझे बताया कि हमारे मेवात में ऊंट काटे गये। मैंने तभी कहा कि ये जो गौ-कशी के बदमाश हैं पहले ये ही हमारे काबू नहीं आ रहे थे अब ये और दूसरा काम शुरू हो गया। जब मैंने इस बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि ऊंट राजस्थान में नहीं कट रहे हैं इसलिए उनको तस्करी करके यहां पर कटने के लिए पहुंचा दिया। इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि ऊंट कोई छोटी चीज़ नहीं है जिसे छिपाकर लाया जाये। इस बारे में एक पुरानी कहावत है कि ऊंटों की चोरी कोई ढूकम-ढूक तो होती नहीं। इस प्रकार से इस मामले में यह तो नहीं हो सकता कि पुलिस और जिला प्रशासन की मदद के बिना ऊंट राजस्थान से हरियाणा में कटने के लिए पहुंच गये। मेवात राजस्थान के साथ लगता है तो वहां पर ऊंटों को कटने के लिए पहुंचा दिया गया। हमारी कमेटी की मीटिंग चल रही थी उसमें हमें पता चला कि राई और सोनीपत तक भी ऊंट कटने के लिए पहुंच गये। सर, राजस्थान से यहां पर ऊंट जिन अधिकारियों की मिलीभगत से पहुंच रहे हैं और हमारे यहां से गऊएं कटने के लिए बाहर जा रही है इस काम में भी जिन अधिकारियों की मिलीभगत है उनका भी पता लगाकर उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए न कि उनको किसी भी प्रकार का प्रोटैक्शन दिया जाये तभी यह कानून सही ढंग से लागू हो पायेगा। अभी हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि प्रदेश की गऊशालाओं को प्रति गऊ के हिसाब से आर्थिक मदद दी जाये। मुझे पता चला है कि सरकार ने हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल दी है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की कोई बात है तो सरकार को उस अपील को वापिस लेना चाहिए बल्कि इसके विपरीत हमें गऊशालाओं को आर्थिक मदद के साथ और भी अच्छी सुविधायें देनी चाहिए। खास तौर पर इस विषय के ऊपर तो फौरन कदम उठाने चाहिएं क्योंकि कोई कितना ही कह ले लेकिन आज की तारीख में न तो बैल खेती-बाड़ी में काम आ रहे हैं और न ही वे किसी और काम में आ रहे हैं इसलिए उनको कोई भी रखने के लिए राजी नहीं है। इसी के साथ मैं एक और विषय आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं जो कि पशुओं से ही सम्बंधित है। मैं बंदरों की बात कहना चाहता हूं कि बंदरों को हम हनुमान जी के प्रतीक के रूप में देखते हैं और इस प्रकार से वह भी हमारी धार्मिक आस्था से जुड़े हुए है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे शहर में से बंदरों को पकड़ा जाता है तो कलेसर में छोड़ दिया जाता है लेकिन वहां पर उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता इसलिए वे गांवों में जाकर वहां के निवासियों को काटते हैं। किसी ने कहीं से पकड़ा और नूंह में छोड़ दिया और इसी प्रकार से हमारा दांव लगा तो हमने उनको कहीं और छोड़ दिया। सर, वे भी भगवान का रूप हैं तथा सभी की हनुमान जी में आस्था है और हम मंगलवार को हनुमान जी का उपवास रखते हैं तथा पूजा करते हैं। इसलिए उनके लिए भी कोई प्रावधान किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ नजदीक ही नाडा साहेब गुरूद्वारे के पास जंगल पड़ा हुआ है। अगर उनके लिए जंगल में खाने-पीने

का प्रावधान कर दिया जायेगा तो वे केले वगैरह लेने के लिए बाहर सड़क पर नहीं आयेंगे। इससे बंदरों को भी नुकसान नहीं होगा तथा इंसानों को भी जान-माल का नुकसान नहीं होगा तथा दुर्घटना होने से बच जायेंगी। इसी प्रकार जैसे कलेसर और मालनहेल की बणी है वहाँ पर भी इस प्रकार के प्रावधान किये जा सकते हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन पशुओं के लिए भी संवेदनशीलता दिखाते हुये उनके लिए कोई खाने-पीने का इंतजाम किया जाये। गऊ माता को संरक्षण देने के लिए तो बड़े-बड़े अभ्यारण्य बनाये जाएं जहाँ पर उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके तथा लोगों को भी उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान हो सके। धन्यवाद।

श्री कृष्ण लाल पंवार (इसराना) (सुरक्षित) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं देश में सबसे सख्त हरियाणा गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन विधेयक लाने के लिए माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूँ। मैं विधेयक की क्लॉज-4 के बारे में बोलना चाहता हूँ। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से सुझाव है कि इस विधेयक में उन लोगों को सुरक्षा देने का भी प्रावधान किया जाये जो कि मृत पशुओं जिनमें गाय भी शामिल है की खाल उतार कर बाजार में बेचते हैं क्योंकि नगर निगम, नगरपालिका तथा ग्राम पंचायत उनको इस काम के लिए ठेके देती हैं। कई बार गलतफहमी में ऐसे लोगों को गौवध की सूची में शामिल करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं जिसके कारण यह धंधा करने वाले लोगों को अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस प्रकार के काम करने वालों के लिए इस विधेयक में उचित प्रावधान किया जाये ताकि उनको अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

श्री घनश्याम दास (यमुनानगर) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात की तर्ज पर एक सख्त कानून बनाना तथा गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन के लिए काम करने की योजना माननीय मंत्री जी ने जो इस विधेयक के रूप में प्रस्तुत की है मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ और सरकार को इस काम के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने गौवध के खिलाफ इतना सख्त कानून प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत विधेयक के सैक्शन-8 में गौमांस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है लेकिन कोई व्यक्ति अगर दूसरे राज्य से गौमांस ला कर उसे खाने के लिए प्रयोग करेगा तो उस बारे में इस विधेयक में कोई चर्चा नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि गुजरात राज्य के गौवध निषेध कानून की तर्ज पर इस प्रस्तावित विधेयक में यह भी प्रावधान किया जाये कि कोई भी व्यक्ति राज्य में गौमांस की बिक्री के अलावा न तो गौमांस रख सकेगा और न इसका भंडारण कर सकेगा तथा न ही गौमांस का परिवहन कर सकेगा। मेरा यह सुझाव है कि इसको भी सैक्शन-8 में जोड़ लिया जाये।

श्री रहीश खान (पुनहाना) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार द्वारा सदन में जो हरियाणा गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन विधेयक, 2015 लाया गया है, यह बहुत ही तारीफे-काबिल है। गौमाता में 33 करोड़ देवी-देवताओं का निवास माना जाता है। अगर गऊ माता का सम्मान बढ़ेगा तो देश में अपने आप खुशहाली और अमन-चैन का वातावरण बनेगा। अध्यक्ष महोदय, जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से इन साढ़े 4 महीनों में मैंने खुद ही अपने मेवात जिले में 90 प्रतिशत गौवध पर रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार द्वारा सदन में जो हरियाणा गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन विधेयक, 2015 लाया गया है मैं मेवात के मुस्लिम समाज की तरफ से तहेदिल से इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय मंत्री

[श्री रहीश खान]

जी का भी तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ तथा पूरे मेवात और मुस्लिम समाज की तरफ से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्रीमती प्रेम लता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहती हूं। गुजरात में जो अमूल दूध और मक्खन का इस्तेमाल करते हैं उसका सीधा पैसा औरतों को मिलता है। अगर इसी तरह हरियाणा में भी जो औरतें दूध और मक्खन बेचती हैं उसका पैसा पुरुषों के बजाए औरतों को मिलने लगे और उनका अकाऊंट खुलवाया जाए तो उनमें सैल्फ कॉन्फीडैंस आएगा। मेरा दूसरा सुझाव ये है कि जैसे हॉलैंड है, यू.एस.ए. है, कनाडा है या यूरोपियन कन्ट्रीज हैं वहां सब जगह सरकारों ने अपनी डेयरियां खोल रखी हैं और वहां से दूध और दही सप्लाई होता है। अगर यहां भी सरकार अपनी खुद डेयरियां खोल ले और डेयरीफार्मिंग करे तो उससे हमें दूध और दही अच्छा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने देखा होगा कि गांव से दूध इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद उसका फैट कॉन्टैंट काऊंट होता है। अगर सरकार खुद की डेयरी खोल लेगी तो एक तो हमें अच्छा दूध मिलेगा तथा दूसरा जो डायबिटक पेशंट होते हैं उनको ज्यादा फैट की जरूरत नहीं होती तो वह 0% मिल्क ले लेंगे। ये मेरे दो सुझाव थे।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं सैक्शन-10, (i) और (ii) के संबंध में मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा इन्होंने काफी कहा है। आज हरियाणा में खास तौर से मेरे जीन्द जिले में आवारा पशुओं की एक बहुत बड़ी समस्या है। जिनका आपने भी जिक्र किया है और सभी ने किया। सरकार ने लिख भी दिया है। आप कौन-कौन से पशुओं के लिए संस्था स्थापित करेंगें। सैक्शन-10, (i) और (ii) के अन्दर यह वर्णन आ गया कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनके लिए संस्था स्थापित करेंगे। इसमें रानी गांव का भी जिक्र आया है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि रानी गांव में आज तक न कभी अभ्यारण्य बना और न ही कोई आज तक बना पाया। मुख्यमंत्री जी जीन्द में गये थे उन्होंने जीन्द के बड़ाबन को गौअभ्यारण्य बनाने की घोषणा की थी कि यहां गौअभ्यारण्य बनेगा। नतीजा क्या हुआ कि 40-50 किलोमीटर दूर के गांवों में पशुओं के झुण्ड के झुण्ड को हांक कर सारे जीन्द में छोड़ गये। उन आवारा पशुओं से इतनी बुरी हालत हुई कि वहां के आस-पास के गांव के किसानों का आपस में झगड़ा होने का डर रहने लगा। मेरे अपने गांव के किसानों का दूसरे गांव के किसानों के साथ आपस में झगड़ा हो गया। वह तो बीच में पुलिस आ गई जिससे झगड़ा रूक गया। हालत यह हुई कि वे आवारा पशु आते-जाते फसलों को खा जाते हैं। सर, किसानों पर जितनी भयंकर मार आज प्राकृतिक आपदा से पड़ी है उतनी ही मार आज आवारा पशुओं की मार किसानों पर पड़ रही है। इन पशुओं में मेल पशुओं का ज्यादा कॉन्टैंट है। इस बिल में कहीं नहीं लिखा कि ऐसे पशुओं के लिए भी कोई संस्था बनाई जाएगी। सरकार द्वारा जो गौअभ्यारण्य बनाए जाएंगे, क्या वहां डॉक्टर भी रखे जाएंगे और उनके चारे का भी प्रबंध किया जाएगा या नहीं। वहां चारे का प्रबंध नहीं होगा तो वे भूखे मर जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जीन्द जिले में एक ढालामाला गांव है वहां के लोगों ने इकट्ठा होकर उन सभी आवारा पशुओं को एक पुराने स्कूल की चार दीवारी में घेर कर उसके अन्दर बन्द कर दिया। गांव वालों ने मिलकर पैसा इकट्ठा करके उनके चारे का प्रबंध किया और अब सारे गांव को उन आवारा पशुओं से मुक्ति मिल गई है। क्या सरकार भी हर गांव में इस तरह का प्रयास करेगी। आज किसान पहले तो वैसे ही प्रकृति की मार से उजड रहा है ऊपर से सारी-सारी रात जागकर भी गेहूं की फसल की उन आवारा पशुओं से रक्षा नहीं कर पा रहा है।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस बारे सरकार स्पष्टीकरण दे।

डॉ. कमल गुप्ता (हिसार) : मैं मुख्यमंत्री जी को और सबको इस बिल के लिए बधाई देता हूं। मेरा एक सुझाव है कि जो यह कहा गया है कि गाय हमारी माता है जिसके लिए अण्डर सैक्शन 13 और 1 में सजा का जो प्रावधान किया गया है उस प्रावधान को और सख्ती से लागू किया जाए क्योंकि जो यह तीन साल का समय है वह बड़ा कम है। जब एक आदमी की कोई हत्या कर देता है तो उसको फांसी या आजीवन कारावास होता है। उसी तरह गाय को गौ माता मानकर उसकी हत्या की सजा में और अधिक सख्त नियम बनाना चाहिए।

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : सर, मैं श्री करण सिंह दलाल जी का, जाकिर हुसैन जी का, रहीस खां जी का, प्रेम लता जी का, कृष्ण लाल पंवार जी का, घनश्याम जी का, परमिन्द्र ढुल जी का आभारी हूं। सब लोगों की अर्थात पूरे हाऊस की जिस प्रकार से भाव भावना इस बिल के प्रति आई है, निश्चित रूप से पूरा हाऊस एक मत से इस विषय पर कंसर्नड है। इसकी हार्दिक प्रसन्नता जहां मुझे है मुझे लगता है कि पूरे हाऊस को भी उसी तरह से है। जो सवाल उठाए हैं उनके उत्तर हमने इस बिल में भी खोजने की कोशिश की है। अभी गौ अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है अभी कोई बनाया नहीं गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो भी गौ अभ्यारण्य बनेंगे 50, 100 और 200 एकड़ भूमि में बनेंगे जिसमें पीने के पानी की व्यवस्था होगी, चारे की व्यवस्था होगी, और पशुओं को देखने के लिए वैटनरी सर्जन और वी.एल.डी.ए. की व्यवस्था होगी, जैसे वाईल्ड लाइफ के घर गौ अभ्यारण्य होते हैं उसी प्रकार के बड़े स्तर के गौ अभ्यारण्य बनेंगे। हमने ज्यादातर गौ अभ्यारण्य राजस्थान बोर्डर के साथ बनाने के बारे में ज्यादा सोचा है बजाए उत्तर प्रदेश बॉर्डर के साथ बनाने के क्योंकि वहाँ तस्करी ज्यादा होती है। इसी तरह से गौशालाओं में सहयोग या अनुदान देने की बात कही गई है। अध्यक्ष महोदय, गौशालाओं की भी 2-3 कैटेगरीज है। कई गौशालाओं की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है और कई ऐसी भी गौशालाएँ हैं जो अपना काम ही चला पाती हैं। अध्यक्ष महोदय, कुछ गौशालाओं की स्थिति काफी खराब है। अध्यक्ष महोदय, जैसे पिछली सरकार ने 15 रूपये भी गौशालाओं को देने के बारे में विचार नहीं किया था लेकिन हमारी सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि सरकार किस गौशाला को जरूरत के हिसाब से कितना सहयोग करे। अध्यक्ष महोदय, देखा जाये तो गौशालाओं की स्थिति इतनी भी बुरी नहीं है। इसमें एक नियमावली बनेगी तो जैसे कि करण सिंह दलाल जी ने कहा कि गायों का पंजीकरण किया जाये। अध्यक्ष महोदय, पंचायत मंत्रालय के पास गायों के लिए एक सवाल भी लगाया गया है। आवारा पशुओं को गाँव या शहर में पहले एक जगह होती थी उसे एक फाटक में बंद कर देते थे। अध्यक्ष महोदय, जब किसी गाय को बंद कर दिया जाता था तो सारा परिवार कंसर्ड फील करता था कि हमारी गाय को बंद कर लिया गया है और वहाँ पर फटाफट जाकर 2 रूपये या 5 रूपये में गाय को छुड़वा लेते थे ऐसा लगता था कि परिवार में से किसी व्यक्ति को दिक्कत आ गई हो। अध्यक्ष महोदय, आज ऐसी स्थिति नहीं है लेकिन गायों की संख्या ज्यादा हो गई है। गाय को गौ-अभ्यारण्य में पहुँचाने के लिए पहले इस सिस्टम से गुजरना पड़ेगा कि कल को कोई यह न कहे दें कि मैं इसका मालिक हूँ। वहाँ पर 2-4 दिन तक गाय को रखा जाये यदि इन दिनों के अंदर कोई व्यक्ति गाय को लेने के लिए नहीं आता तब तो गाय को उसी स्थान पर ही रखा जाये। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी गाय का मालिक नहीं आता है तो उसे गौ अभ्यारण्य में पहुँचाया जाये। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे अच्छी तरह से विचार किया है कि गाँव में किसी के घर में इतनी जगह नहीं

[श्री ओमप्रकाश धनखड़]

होती है कि वे इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से गौ-पालन करना चाहे तो कर सकें इसलिए वहाँ पर उनके लिए गौ गृह वगैरह विकसित करने बारे विचार किया गया। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक गायों को एक्सपोर्ट करने की बात है तो जिन स्टेटों में गौ-हत्या बैन है उन्हीं स्थानों पर ही गायों को भेजने की व्यवस्था करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जाकिर हुसैन जी ने कल हाउस में कहा था और एग्री लीडरशिप समिट में गड़करी जी ने भी कहा था कि हरियाणा में इसका हब बनना चाहिए कि अच्छी किस्म के हजारों की संख्या में दूधारू पशुओं को हम दूसरे प्रदेशों में भेजे क्योंकि उनको जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, हम किस तरह से साहिवाल, राठी, कोकरण नस्ल की गायों को गौ-संवर्धन के लिए आने दें। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से दूध उत्पादन के लिए पौने छह करोड़ रूपये के ईनाम एग्री लीडरशिप समिट में बांटे गए थे। पहली बार सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय के लिए ईनाम भी दिये गए थे जिसके लिए दूध उत्पादक खुश थे। आने वाले समय में इस बिल में भी संशोधन करने जा रहे हैं कि हरियाणा में कोई भी अच्छी नस्ल की गाय 6 किलोग्राम दूध देगी और साहिवाल 8 किलोग्राम दूध देगी तो दूध उत्पादकों को 10,000 से लेकर 20,000 रूपये तक का ईनाम दिया जायेगा। करण सिंह दलाल जी ने गायों की पैंशन की बात की। अध्यक्ष महोदय, दूध उत्पादकों को एक साल में यदि इतना रूपया मिल जायेगा तो दुधारू पशुओं से होने वाली कमाई से किसान अपनी जीविका को चला सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें दो संशोधन आये हैं और दोनों ही संशोधन वाजिब हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी कृष्ण पंवार जी ने वाजिब संशोधन उठाया है कि मृत पशुओं की खाल उतारकर बेचने वाले लोग गौ हत्या के जुर्म में पकड़े जातें हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र दुलीणा में भी एक ऐसी घटना हुई थी। अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों को पुशपालन विभाग के माध्यम से और उस शहर की जो अथॉरिटी है चाहे वह नगर निगम, नगरपालिका या पंचायत दोनों के माध्यम से गाय का रजिस्ट्रेशन करवाकर कोई गाय की डैथ हो गई है तो उसका सर्टिफिकेट लेकर यदि वह ऐसा काम करता है तो उसको शक की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मैं इसे भी विधेयक में शामिल कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, घनश्याम जी ने एक बात उठाई है इस विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति गाय के मास की बिक्री नहीं करेगा और इसके साथ ही साथ वह गाय के मास की खरीद नहीं कर सकेगा। गाय का मांस दूसरे स्थान पर लेकर जा रहा है या वह अपने घर में स्टोर करके रख रहा है या ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है उस पर भी हमने प्रतिबंद लगाया है। अध्यक्ष महोदय, पहले गाय का मांस खाने पर और डिब्बा बंद बीफ की छूट थी। हमारी सरकार ने इस तरह करने से मना किया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें डायरेक्टली या इन-डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन पर उसके स्टोर पर या उसके खाने पर भी इस प्रदेश में प्रतिबंद लगेगा। मुझे लगता है कि इसको इसमें जोड़ा जाना चाहिए और मैं इस संशोधन को भी स्वीकार करता हूँ। जिन राज्यों में गौ हत्या पर बैन है और अगर कोई परमिट लेकर गाय को वहाँ ले जाना चाहता है तो वह लेकर जा सकता है। यदि कोई राज्य हरियाणा राज्य से अच्छी नस्ल की 1000 गाय मांग रहा है तो हम उसको भेजेंगे। कोई व्यक्तिगत रूप से गौ-पालन के लिए बैलों के उपयोग के लिए गाय को ले जाना चाहता है तो उसको भी भेजेंगे लेकिन जिन राज्यों में सख्त कानून है केवल उन्हीं राज्यों में ही अनुमति देंगे। जिन राज्यों में सख्त कानून नहीं है वहाँ नहीं भेजेंगे। (विघ्न) कापड़ीवास जी, गायों को पोलिथीन वाले कूड़े के ढेरों पर नहीं रहने देंगे। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की नियमावली में और इसको लागू करने में इस प्रकार का प्रोविज़न करेंगे कि गायें सड़कों पर भी न हो, खेतों की आवारा रानी गाय जैसे कूड़ों के ढेर पर होती है उस रूप में न हो और गाय गौशाला या घर में ही हो। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता

है कि माननीय सदस्यों ने जो-जो बातें उठाई थी, उन सबका मैंने विधिवत रूप से उत्तर दे दिया है। सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को नियमावली में स्वीकार करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि लोग फख्र के साथ इस बारे में कहेंगें कि हरियाणा गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन विधेयक देश में सर्वश्रेष्ठ है। इसको सभी माननीय सदस्य सर्वसम्मति से पारित करेंगे, इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवान सिंह (फतेहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गौचरण भूमियों पर अवैध कब्जे हुए हैं। बड़ा संघर्ष करने के बाद भी गौचरण भूमि पर अवैध कब्जा को हम नहीं हटवा पाए, इसलिए माननीय मंत्री जी मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी गौचरण भूमि पर अवैध कब्जे छुड़वाये जायें।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा विषय उठाया है, इसलिए मैं इनको कहना चाहूँगा कि पंचायत विभाग भी मेरे पास है। पंचायत विभाग के तहत गौचरण भूमि मुक्त होकर कैसे काम आये, इसका हम प्रबंध करेंगे ताकि गौचरण भूमि का उपयोग हो सके।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि सदन की सहमति हो तो बैठक का समय 20 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बैठक का समय 20 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

विधान कार्य (पुनरारम्भण)

दि हरियाणा गौवंश संरक्षण एण्ड गौसंवर्धन बिल, 2015

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है--

कि हरियाणा गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज-2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-4

श्री अध्यक्ष : अब कृषि मंत्री क्लॉज 4 (3) में संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि वध की गई गाय के अतिरिक्त, मृत गाय की चमड़ी तथा खाल उतारना गौवध नहीं समझा जाएगा :

परन्तु वध की गई गाय के अतिरिक्त, मृत गाय की चमड़ी तथा खाल उतारने व परिवहन से सम्बद्ध प्राधिकृत संविदाकार इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से प्राधिकार प्राप्त करेगा।"

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ--

"कि वध की गई गाय के अतिरिक्त, मृत गाय की चमड़ी तथा खाल उतारना गौवध नहीं समझा जाएगा :

परन्तु वध की गई गाय के अतिरिक्त, मृत गाय की चमड़ी तथा खाल उतारने व परिवहन से सम्बद्ध प्राधिकृत संविदाकार इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से प्राधिकार प्राप्त करेगा।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

"कि वध की गई गाय के अतिरिक्त, मृत गाय की चमड़ी तथा खाल उतारना गौवध नहीं समझा जाएगा :

परन्तु वध की गई गाय के अतिरिक्त, मृत गाय की चमड़ी तथा खाल उतारने व परिवहन से सम्बद्ध प्राधिकृत संविदाकार इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से प्राधिकार प्राप्त करेगा।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि-

क्लॉज 4, संशोधित रूप में, विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-5

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है--

कि क्लॉज-5 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-6

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-6 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-7

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है--

कि क्लॉज-7 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-8

श्री अध्यक्ष : अब कृषि मंत्री क्लॉज 8 में संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे औषधीय प्रयोजनों के सिवाय ऐसी रीति में जो विहित की जाए, गोमांस या गोमांस उत्पादों का विक्रय, रखाव, भण्डारण, परिवहन नहीं करेगा या विक्रय करने की पेशकश नहीं करेगा या विक्रय नहीं करवाएगा।"

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ--

"कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे औषधीय प्रयोजनों के सिवाय ऐसी रीति में

[श्री अध्यक्ष]

जो विहित की जाए, गोमांस या गोमांस उत्पादों का विक्रय, रखाव, भण्डारण, परिवहन नहीं करेगा या विक्रय करने की पेशकश नहीं करेगा या विक्रय नहीं करवाएगा।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

"कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे औषधीय प्रयोजनों के सिवाय ऐसी रीति में जो विहित की जाए, गोमांस या गोमांस उत्पादों का विक्रय, रखाव, भण्डारण, परिवहन नहीं करेगा या विक्रय करने की पेशकश नहीं करेगा या विक्रय नहीं करवाएगा।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि-

क्लॉज 8, संशोधित रूप में, विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-9

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-9 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-10

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-10 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-11

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-11 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-12

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-12 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-13

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-13 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-14

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-14 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-15

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-15 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-16

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-16 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-17

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-17 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज-18

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-18 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-19

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-19 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-20

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-20 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh * LIBRARY

श्री अध्यक्ष : अब कृषि मंत्री विधेयक को संशोधित रूप में प्रस्तुत करेंगे।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ-

कि विधेयक को संशोधित रूप में पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ-

कि विधेयक को संशोधित रूप में पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि विधेयक को संशोधित रूप में पास किया जाये।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन विधेयक पर जिस तरह से विपक्ष ने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। आज सदन में इस महत्वपूर्ण विधेयक पर जो सर्वसम्मति बनी है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से इस सदन को नमन करता हूँ। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, सरकार का यह महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि यह हरियाणा प्रदेश की जनता से संबंधित विधेयक है। सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया इसके लिये मैं सदन का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। **(इस समय मेजें थपथपाई गईं।)**

प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, माननीय सदस्यगण, अब यह सदन दिनांक 17 मार्च, 2015 प्रात:10:00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*08.38 बजे (तत्पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार 17 मार्च, 2015 प्रात: 10:00 बजे तक *स्थगित हुई)

53394—HV.S.—H.G.P., Chd.